श्रम संगम

वर्ष: 5, अंक: 2

जुलाई–दिसम्बर 2019

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा प्रकाशित जर्नल

लेबर एंड डेवलपमेंट

लेबर एंड डेवलपमेंट संस्थान की एक छमाही पत्रिका है, और यह सैद्धांतिक विश्लेषण एवं आनुभविक अन्वेषण के जरिए श्रम के विभिन्न मुद्दों का प्रसार करने के लिए समर्पित है। इस पत्रिका में आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक मुद्दों के साथ–साथ विधिक पहलुओं पर बल देते हुए श्रम एवं संबंधित विषयों के क्षेत्र में उच्च शैक्षिक गुणवत्ता वाले लेखों का प्रकाशन किया जाता है। साथ ही, विशेषकर विकासशील देशों के संदर्भ में उन लेखों पर अनुसंधान टिप्पणियों एवं पुस्तक समीक्षाओं का भी इसमें प्रकाशन किया जाता है।

अवार्ड्स डाइजेस्टः श्रम विधान का जर्नल

अवार्ड्स डाइजेस्ट एक तिमाही जर्नल है, जिसमें श्रम और औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र के अद्यतन मामला विधियों का सार प्रकाशित किया जाता है। इस जर्नल में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, प्रशासनिक अधिकरणों तथा केंद्रीय सरकारी औद्योगिक अधिकरणों द्वारा श्रम मामलों के बारे में दिए गए निर्णय प्रकाशित किए जाते हैं। इसमें श्रमकानूनों से संबंधित लेख, उनमें किए गए संशोधन, अन्य संगत सूचना शामिल होती है। यह पत्रिका कार्मिक प्रबंधकों, ट्रेड यूनियन नेताओं और श्रमिकों, श्रम कानूनों के परामर्शदाताओं, शैक्षिक संस्थानों, सुलह अधिकारियों, औद्योगिक विवादों के मध्यस्थों, प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं और श्रम कानून के विद्यार्थियों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ पत्रिका है।

श्रम विधान

श्रम विधान तिमाही हिन्दी पत्रिका है। श्रम कानूनों और उनमें समय–समय पर होने वाले बदलावों की जानकारी को आधारिक स्तर (Grass Roots Level) तक सरल और सुबोध भाषा में पहुंचाने के लिए इस पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। इस पत्रिका में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के लिए अधिनियमित मौजूदा कानूनों की सुसंगत जानकारी, उनमें होने वाले संशोधनों, श्रम तथा इससे संबद्ध विषयों पर मौलिक एवं अनूदित लेख, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचनाओं के प्रकाशन के साथ–साथ श्रम से संबंधित मामलों पर उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा केंद्रीय प्रशासनीक न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए फैसलों को सार के रूप में प्रकाशित किया जाता है।

चंदे की दरः लेबर एंड डेवलपमेंट पत्रिका के लिए वार्षिक चंदा, व्यक्तियों के लिए 150 रुपए तथा संस्थानों के लिए 250 रुपए है। अवार्ड्स डाइजेस्ट पत्रिका के लिए वार्षिक चंदा, व्यक्तियों के लिए 240 रुपए तथा संस्थानों के लिए 300 रुपए है। श्रम विधान पत्रिका के लिए वार्षिक चंदा, व्यक्तियों के लिए 240 रुपए तथा संस्थानों के लिए 300 रुपए है। चंदे की दर प्रति कैलेण्डर वर्ष (जनवरी–दिसम्बर) है। ग्राहक प्रोफार्मा संस्थान की वेबसाइट www.vvgnli.gov.in पर उपलब्ध है। ग्राहक प्रोफार्मा पूरी तरह भरकर डिमांड ड्राफ्ट सहित जो वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के पक्ष में एवं दिल्ली / नौएडा में देय हो, इस पते पर भेजेः

प्रकाशन प्रभारी
वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सैक्टर–24, नौएडा–201301, उत्तर प्रदेश
ई–मेलः publications.vvgnli@gov.in

मुख्य संरक्षक
डॉ. एच. श्रीनिवास
महानिदेशक

संपादक मंडल
डॉ. संजय उपाध्याय
वरिष्ठ फेलो

डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम
फेलो

श्री बीरेन्द्र सिंह रावत
वरिष्ठ हिंदी अनुवादक

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
सैक्टर-24, नौएडा-201301
उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित

पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाओं की मौलिकता का दायित्व स्वयं लेखकों का है तथा पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं के लिए वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान उत्तरदायी नहीं है।

मुद्रण: चन्दु प्रेस
डी-97, शकरपुर
दिल्ली-110092

श्रम संगम

वर्ष: 5, अंक: 2, जुलाई-दिसम्बर 2019

अनुक्रमणिका

❍	महानिदेशक की कलम से	2
❍	भारत की मजदूरी संहिता – समावेशी विकास सुनिश्चित करना – डॉ. एच. श्रीनिवास	3
❍	राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का श्रम दर्शन और वर्तमान संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता – डॉ संजय उपाध्याय	6
❍	प्लास्टिक को 'ना' कहें (कविता) – बीरेन्द्र सिंह रावत	8
❍	बदल रही है भारत की तस्वीर – राजेश कुमार कर्ण	9
❍	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा द्वारा हिंदी पखवाड़ा – 2019 का आयोजन	18
❍	आँखें (कविता) – डॉ. एलीना सामंतराय	19
❍	अरे अभागा घिसा कपाल (कविता) – प्रकाश मिश्रा	20
❍	अनकही बातें (कविता) – डॉ. पूनम एस. चौहान	20
❍	आओ उसे फिर स्मरण कर लें (कविता) – प्रियंका स्वामी	21
❍	मेरी अभिलाषा (कविता) – ओम प्रकाश सैन	22
❍	दृढ़ निश्चय से बड़े विवाद का समाधान – बीरेन्द्र सिंह रावत	23
❍	हम तो फकत मजदूर हैं (कविता) – डॉ संजय उपाध्याय	26
❍	भारत में जलवायु-अस्थिरता और श्रमिकों का प्रवासन – डॉ. मनोज जाटव, दीपिका जाजोरिया	27
❍	गाँधी के गाँव – डॉ. सतीश कालेश्वरी	31
❍	भारतीय संविधान के अंतर्गत जेंडर – डॉ संजय उपाध्याय	32
❍	नमन, ऐ श्रमिक (कविता) – डॉ. पूनम एस. चौहान	35
❍	अलमारी (कहानी) – ओल्गा तोकार्चुक	36
❍	भारतीय अर्थव्यवस्था उड़ान भरने को तैयार – राजेश कुमार कर्ण	38
❍	वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा द्वारा हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन	44

महानिदेशक की कलम से...

भारत के संविधान के अनुच्छेद 351 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। अतः, यह हमारा संवैधानिक दायित्व है कि हम व्यावहारिक विकल्पों के माध्यम से इसके प्रचार–प्रसार में सतत प्रयत्नशील रहें। वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान में सभी संकाय सदस्य, अधिकारी एवं कर्मचारी राजभाषा नीति का अनुपालन करके अपने इस संवैधानिक दायित्व का पूरी तरह से निर्वाह कर रहे हैं। साथ ही, संस्थान द्वारा वर्ष 2015 से अपनी छमाही राजभाषा गृह पत्रिका ^Je l xe^ का प्रकाशन नियमित तौर पर किया जा रहा है

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित राजभाषा संबंधी नियमों/अधिनियमों का अनुपालन इस संस्थान में बखूबी किया जा रहा है। इसी क्रम में वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (कार्यालय), नौएडा के तत्त्वावधान में 26 दिसंबर 2019 को नराकास (कार्यालय), नौएडा के सदस्य कार्यालयों के लिए हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें 18 सदस्य कार्यालयों के 37 प्रतियोगियों ने भाग लिया।

^Je l xe^ पत्रिका की नियमितता बनाए रखने तथा इसके आगामी अंकों को अधिकाधिक रुचिकर बनाने हेतु आपके बहुमूल्य विचारों और सुझावों का सदैव स्वागत है।

पत्रिका अनवरत इसी प्रकार आकर्षक रूप में हमारे बीच आती रहे तथा हिंदी के प्रचार–प्रसार में सदैव सफलता प्राप्त करे, इसके लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

¼Mk- ,p- Jhfuokl½

भारत की मजदूरी संहिता – समावेशी विकास सुनिश्चित करना

डॉ. एच. श्रीनिवास*

पिछले कुछ वर्षों में कार्य की दुनिया में परिवर्तनों, उभरते नए विकास मॉडलों, कार्यस्थल पर लैंगिक मुद्दों के साथ–साथ कार्य संगठन एवं उत्पादन प्रक्रियाओं में परिवर्तनों से नई चुनौतियाँ उभर कर आई हैं। भारत जैसे विशाल देश में मौजूदा श्रम कानून और समानता को बढ़ावा देने हेतु स्थापित संस्थान तेजी से और अधिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं क्योंकि श्रमिकों की बहुत बड़ी संख्या अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में है। दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग ने अन्य बातों के अलावा आर्थिक और श्रम बाजार संकटों का समाधान करने के उद्देष्य से मौजूदा श्रम कानूनों को चार या पाँच समूहों (मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध, सुरक्षा एवं कल्याण और कार्यदशाएं) में तर्कसंगत बनाने, सरलीकृत और समामेलित करने की संस्तुति की थी।

तदनुसार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के दोहरे उद्देश्यों के साथ 44 से अधिक श्रम कानूनों में सुधार करते तथा व्यवसायों को उत्पादक एवं प्रतिस्पर्धी बनाते हुए उन्हें चार संहिताओं में समूहित करने का महत्वपूर्ण कार्य शुरु किया। मजदूरी संहिता संसद द्वारा पारित कर ली गई है और मसौदा नियमों को टिप्पणियों के लिए अधिसूचित कर दिया गया है जबकि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता को टिप्पणी हेतु श्रम पर संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया है। अन्य दो संहिताएं, औद्योगिक संबंध संहिता तथा सामाजिक सुरक्षा संहिता विचारार्थ लोक सभा में प्रस्तुत की गई हैं।

चारों सहिताओं में सबसे पहले 08 अगस्त 2019 को मजूदरी संहिता को महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह संहिता अधिनियम बन गई है तथा यह पहले से मौजूद चार प्रमुख मजूदरी विधानों नामतः मजूदरी भुगतान अधिनियम, 1936; न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 तथा समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 को एक विधान के अंतर्गत सम्मिलित करती है। यह संहिता उपरोक्त चारों संहिताओं को तर्कसंगत बनाने, सरलीकृत और समामेलित करने का प्रयास करती है तथा जैसे कि दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग ने संस्तुति की थी, यह संहिता 'मजूदरी', 'श्रमिक' आदि मूल शब्दों की परिभाषा का मानकीकरण करती है।

प्रमुख विशेषताएं

- कोई भी नियोक्ता किसी भी कर्मचारी को अधिसूचित न्यूनतम मजूदरी दर से कम मजूदरी नहीं देगा।
- मजूदरी संबंधी मामलों में लैंगिक आधार पर किसी किस्म का कोई भेदभाव नहीं करेगा।
- न्यूनतम मजूदरी दर की समीक्षा/संशोधन हर पाँच वर्ष में किया जाएगा।
- न्यूनतम मजूदरी दर को तय/संशोधित करते समय नियोक्ताओं, कर्मचारियों और स्वतंत्र व्यक्तियों के प्रतिनिधि होंगे।
- राज्यों में न्यूनतम मजूदरी दरों की संख्या में भारी कमी।
- मजूदरी, कर्मचारी, नियोक्ता, श्रमिक, स्थापना आदि की परिभाषा में सरलीकरण।

मजूदरों के हितों की रक्षा करना

मजूदरी संहिता आर्थिक सर्वेक्षण 2018–19 के अनुसार विभिन्न नौकरी श्रेणियों के लिए राज्यों में पहले से मौजूद 1915 अनुसूचित न्यूनतम मजूदरी दरों को, कौशल स्तर और भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार वर्गीकृत करते हुए औसतन प्रति राज्य लगभग 12 मजूदरी दरें, कम करने का प्रयास करती है। यह सरलीकरण प्रयास न केवल मौजूदा न्यूनतम मजूदरी

*महानिदेशक, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, ई–मेलः dg.vvgnli@gov.in

इस लेख में व्यक्त किए गए विचार सरकार के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं।

सटीकता के लिए कृप्या मूल दस्तावेजों को देखें।

प्रणाली की जटिलता को कम करेगा, बल्कि कार्यान्वयन और प्रवर्तन की पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से बेहतर अनुपालन में भी मदद करेगा। देश में न्यूनतम मजूदरी प्रणाली को मजबूत करने से श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और गरीबी को दूर करने के अलावा समावेशी एवं सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

मजूदरी नियम राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) तथा राष्ट्रीय व्यावसायिक वर्गीकरण (एनसीओ) के मानदंडों का उपयोग करके कौशलों को निष्पक्षता के साथ परिभाषित करने का प्रावधान करते हैं ताकि उच्च स्तर के कौशल, दक्षता एवं योग्यता को उच्चतर मजदूरी के माध्यम से उचित रूप से पुरस्कृत किया जा सके। यह श्रमिकों, विशेष रूप से युवाओं के बीच कौशल अधिग्रहण को प्रोत्साहित करेगा और सरकार के ''स्किल इंडिया'' और ''मेक इन इंडिया'' को गति देगा।

मजदूरी सहिता की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसके प्रावधानों का विस्तार औपचारिक और अनौपचारिक दोनों सैक्टरों में श्रमिकों की सभी श्रेणियों के लिए किया गया है। लैंगिक दृष्टिकोण से यह संहिता यह निर्धारित करते हुए कि मजूदरी दरों में लैंगिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, समान पारिश्रमिक अधिनियम से एक कदम आगे बढ़ती है। इसका अर्थ यह भी होगा कि अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में घरेलू कामगार, घर पर काम करने वाले अवैतनिक कामगार और अन्य सीमांत श्रमिकों के रूप में काम करने वाली महिलाओं का एक बड़ा वर्ग अब इस संहिता के दायरे में होगा। इस संहिता के अधिनियमन के साथ न्यूनतम मजूदरी देश के प्रत्येक श्रमिक का अधिकार बन जाता है। यह सार्वभौमिक कवरेज अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के शताब्दी घोषणा, 2019 के अनुरूप है। इस सार्वभौमिक कवरेज का उप–उत्पाद निजी उपभोग और निवेश में वृद्धि होगी क्योंकि श्रमिकों की क्रय शक्ति बढ़ जाती है जिससे समग्र अर्थव्यवस्था और जीवन की गुणवत्ता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

कवरेज को सार्वभौमिक बनाने के अलावा इस संहिता ने सभी श्रमिकों को मजदूरी के समय पर भुगतान को भी सार्वभौमिक बनाया है। मजूदरी से अनधिकृत कटौती को रोकना, नियोक्ता पर सीधे मजदूरी के भुगतान की जिम्मेदारी को स्थानांतरित करना, दंड का युक्तिकरण और डिजिटल माध्यम से भुगतान को बढ़ावा देना इस संहिता की अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के लाखों अनपढ एवं कम शिक्षित श्रमिकों के लिए एक बड़ी राहत होगी और इस प्रकार यह संहिता बहुत सारी ट्रेड यूनियनों की चिंताओं का समाधान करती है। मजदूरी के भुगतान, भर्ती और कार्यदशाओं में लिंग आधारित भेदभाव के निषेध के साथ–साथ उपरोक्त कदमों से श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी दर को बढ़ाने की क्षमता है।

केंद्रीय सलाहकार बोर्ड से सलाह प्राप्त करने के बाद केंद्र सरकार द्वारा एक श्रमिक के न्यूनतम जीवन स्तर के अनुसार 'न्यूनतम मजदूरी' निर्धारित करने का प्रावधान इस संहिता में किया गया है। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लिए अलग–अलग न्यूनतम मजदूरी तय की जा सकती है। राज्यों द्वारा निर्धारित मजदूरी की न्यूनतम दरें न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं हो सकती हैं। न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण के लिए समान मानदंडों के साथ–साथ सामान्यतया पाँच वर्षों के भीतर न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा/संशोधन करने को शामिल करने से वर्तमान में न्यूनतम मजदूरी में भारी अंतर–राज्यीय विविधताओं को दूर करने में मदद मिलेगी और पर्याप्त एवं संतुलित स्तर पर न्यूनतम मजदूरी की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित होगी। यह आईएलओ के न्यनूतम वेतन नियतन अभिसमय, 1970 के प्रावधानों के अनुरूप है। इसके अलावा, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण मानदंडों को शामिल करना ट्रेड यूनियनों की काफी पुरानी मांग थी जिसे इस संहिता में पूरा किया गया है।

उद्यमों और व्यापार सुगमता को बढ़ावा देना

मजदूरी संहिता से नियोक्ताओं और व्यावसायियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। मजूदरी से संबंधित मौजूदा चार अधिनियमों का समामेलन, सरलीकरण और युक्तिकरण अनुपालन बोझ को कम करने में मदद करेगा और इस प्रकार व्यवसाय को आसान बनाने में मदद करेगा। इस संहिता में अधिकारियों, बोर्डों और न्यूनतम मजदूरी दरों की संख्या में कमी के साथ–साथ मजदूरी, श्रमिकों, कर्मचारियों, नियोक्ताओं, प्रतिष्ठानों, उपयुक्त सरकार आदि की सरल

और समान परिभाषाओं का प्रावधान किया गया है। इससे नियमों की अनुप्रयोज्यता में अस्पष्टता, परिहार्य मुकदमों, अनावश्यक कानूनी खर्चों और नौकरशाही की कठोरता को कम करने की उम्मीद है।

इससे पूर्ववर्ती निरीक्षक का पदनाम बदलकर निरीक्षक–सह–सुविधादाता करने के साथ मौजूदा निरीक्षण और प्रवर्तन संस्कृति में व्यावहारिक परिवर्तन होना अपेक्षित है। निरीक्षण के अलावा निरीक्षक–सह–सुविधादाता से अब निदेशित करने, सलाह देने तथा सरकारी एजेंसियों, नियोक्ता और कर्मचारी के बीच सूचना के अंतर को पाटने की उम्मीद है। वेब आधारित यादृच्छिक कंप्यूटरीकृत निरीक्षण योजना की शुरुआत, क्षेत्राधिकार–मुक्त निरीक्षणों का आबंटन, निरीक्षण से संबंधित सूचना को इलैक्ट्रॉनिक रूप में लेना आदि से मनमानी को कम करने और पारदर्शी एवं जवाबदेह तरीके से श्रम कानूनों के प्रवर्तन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अपराधों से निपटने के लिए संहिता में अभियोजन शुरु करने से पहले सुधार करने के लिए पूर्व –सूचना और अवसर प्रदान करने का प्रावधान है। पहली बार के अपराध के लिए बिना किसी आपराधिक कार्यवाही के रु. 50,000/– तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, इस संहिता के तहत इस तरह के मामलों की सुनावाई के लिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से कम स्तर का प्राधिकारी सक्षम नहीं होगा।

उपरोक्त परिवर्तनों से नियोक्ता पर बोझ को कम करके अनुपालन को प्रोत्साहित करने की उम्मीद है। नियोक्ता के दृष्टिकोण से संहिता के प्रावधानों का बेहतर अनुपालन निवेश और विकास को बढ़ावा देने के अलावा अच्छे और स्वस्थ नियोक्ता–कर्मचारी संबंधों को भी बढ़ावा देगा क्योंकि अधिकांश औद्योगिक विवाद भुगतान न करना/कम भुगतान करना/विलंब से भुगतान करने के कारण उत्पन्न होते हैं।

निष्कर्षतः मजदूरी संहिता उद्यमों के विकास और स्थिरता के साथ निष्पक्षता और श्रम कल्याण को बढ़ावा देने का एक अच्छा संतुलन दर्शाती है। इसे आर्थिक विकास, नवाचार, सभ्य रोजगार के अवसरों के सृजन और भारत की अर्थव्यवस्था को 5 खरब (ट्रिलियन) तक ले जाने के लिए तैयार किया गया है। इसके अलावा यह संहिता आईएलओ के शताब्दी वर्ष घोषणा के अनुरूप है जो काम के भविष्य के लिए एक मानव–केंद्रित एजेंडे का प्रस्ताव करती है और लैंगिक समानता के लिए एक परिवर्तनकारी और मध्यम श्रेणी का एजेंडा लागू करती है और इस प्रकार सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के करीब एक और कदम है।

संदर्भ

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (1970), *मिनिमम वेज़ फिक्सिंग कन्वेंशन, 1970* (नं.131) वेबसाइट <https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C131> से लिया गया।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (2019), *वर्क फॉर अ ब्राईट फ्यूचर: ग्लोबल कमीशन ऑन फ्यूचर ऑफ वर्क,* अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय, जेनेवा।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (2019), *दि प्रीलिमिनेरी ड्राफ्ट रूल्स ऑन कोड ऑन वेजिज़, 2019,* श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा परिचालित फाईस सं एस–32017/01/2019–डब्ल्युसी दिनांक 01.11.2019

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार (2002), *रिपोर्ट ऑफ दि सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर,* श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली

भारत का राजपत्र (2019), *दि कोड ऑन वेजिज़, 2019,* विधि और न्याय मंत्रालय, 08 अगस्त 2019 को प्रकाशित।

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी का श्रम दर्शन और वर्तमान संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता

डॉ संजय उपाध्याय*

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी का व्यक्तित्व बहुआयामी था। उनका पूरा जीवन समाज के हाशिए पर पड़े, उत्पीड़ित और सामाजिक रूप से दबे हुए तबकों के लिए न्यायपूर्ण और मानवीय स्थान सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष की कहानी है। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीय मजदूरों के आंदोलन के साथ सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष शुरू किया। तत्पश्चात, उन्होंने जीवन भर अनवरत संघर्ष जारी रखा।

पूंजी श्रम के महत्व और नियोक्ता–कर्मचारी संबंधों से संबंधित विभिन्न मुद्दों जैसे कि मजदूरी, काम के घंटे, हड़ताल, सामाजिक सुरक्षा, मजदूरों के लिए स्वास्थ्य और आवास आदि के बारे में उनके विचार उनके एकीकृत जीवन दर्शन, "सर्वोदय" का हिस्सा थे। उनके दृष्टिकोण में शारीरिक श्रम का अत्यधिक महत्व था और इसी तरह श्रम संबंधों के संबंध में भी उनके विचार अलग थे। यह लेख श्रम के संबंध में उनके कुछ विचारों और नियोक्ता–मजदूर संबंधों के कुछ पहलुओं पर केंद्रित है।

श्रम का महत्व

गाँधी जी शारीरिक श्रम को मानसिक श्रम के समान ही महत्वपूर्ण मानते थे। उनका मत था कि किसी को भी शारीरिक श्रम से छूट नहीं दी जानी चाहिए। इस संदर्भ में उनकी मान्यता थी कि शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम दोनों का अपने–अपने क्षेत्र में अपना महत्व है और उनमें से किसी को भी एक दूसरे के लिए प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। साथ ही उनकी मान्यता थी कि इससे उनका अभिप्राय किसी भी रूप में मानसिक श्रम के महत्व को कम करके आंकना नहीं था लेकिन मानसिक श्रम शारीरिक श्रम के उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता। शारीरिक श्रम मानवता की भलाई के लिए अस्तित्व में आया है। शारीरिक श्रम की तुलना में मानसिक श्रम निश्चित रूप से बेहतर हो सकता है और आम तौर पर ऐसा होता भी है लेकिन यह शारीरिक श्रम का स्थान नहीं ले सकता। उदाहरण के लिए मानसिक आहार उस भोजन

* *वरिष्ठ फेलो, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

की तुलना में बेहतर है जो हम लेते हैं लेकिन मानसिक आहार भोजन की जगह नहीं ले सकता है।

गाँधी जी का यह दृढ़ मत था कि यदि हम उस हीन भावना को दूर करने में सफल हो सकें जो आम तौर पर शारीरिक श्रम से जुड़ी होती है, तो हम देश के औसत बुद्धि के लगभग सभी युवाओं को पर्याप्त काम उपलब्ध करा सकेंगे।

मजदूरों की पूंजी

गाँधी जी का विचार था कि शारीरिक श्रम के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने वाले व्यक्तियों के लिए विभिन्न विशेषताओं और कौशल के ज्ञान का मूल्य पूंजीपतियों के लिए पैसे के मूल्य के समान है। जैसे एक पूंजीपति मजदूरों के सहयोग के बिना अपनी पूंजी को फलदायी नहीं बना सकता है, उसी तरह मजदूर भी पूंजी के सह–संचालन के बिना अपने श्रम का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इस संदर्भ में अपने प्रेरक जॉन रस्किन के हवाले से उन्होंने कहा कि यह सोचना गलत है कि पूंजी धातु के टुकड़ों से निर्मित होती हैं। यह सोचना भी गलत है कि किसी विशेष मात्रा में किया गया उत्पादन पूंजी है। अगर हम मूल स्रोत पर जाएं तो हम पाएंगे कि श्रम ही वास्तव में पूंजी है।

गाँधीजी का विचार था कि क्योंकि प्रायः श्रमिक दृढ़ता से अपनी दिनचर्या और यांत्रिक कार्यों में संलग्न रहते हैं अतः उन्हें अपनी बुद्धि और चेतना के समग्र विकास का मौका नहीं मिल पाता और इसलिए वे पूरी तरह से अपने वर्ग की शक्ति और महत्व को समझने में विफल रहते हैं।

गाँधी जी का यह भी मत था कि आमतौर पर मजदूर अपने मालिक के सामने खुद को कमजोर और असहाय समझते हैं। यह रवैया अच्छा रवैया नहीं है। ऐसे रवैये से मजदूरों को राहत देने के लिए, श्रमिक संघों को आगे आना चाहिए और पहल करनी चाहिए।

मजदूरों की शक्ति का स्रोत

संगठन को मजदूरों की शक्ति का एक मजबूत स्रोत मानते हुए, गाँधी जी ने विचार व्यक्त किया कि मजदूर हमेशा अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं, अगर वे अच्छी तरह से संगठित हों और अपने छोटे मोटे स्वार्थ को त्यागने के लिए तैयार रहें। उनका मत था कि मजदूरों के संघर्षों या आंदोलनों का मार्गदर्शन करने वाले व्यक्तियों आम तौर पर यह एहसास नहीं होता कि पूंजीपति कभी भी श्रम के रूप में ताकत की संपत्ति के अधिकारी नहीं हो सकते हैं। उनका यह भी मत था कि श्रमिक निश्चित रूप से मालिक–मजदूर संबंधों में अपने लिए उचित स्थान सुनिश्चित कर सकते हैं, यदि वे यह समझने में सफल हो सकें कि उनकी अनुपस्थिति में पूंजीपति पूरी तरह से असहाय हैं।

श्रमिक आंदोलनों की विफलता के कारणों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि मजदूर आम तौर पर अपने प्रयासों में सफल नहीं होते हैं क्योंकि वे उनके द्वारा सुझाए अनुसार पूंजी को अपंग करने में विफल होते हैं लेकिन वे स्वयं उस पूंजी को हड़पना चाहते हैं। इसलिए, पूंजीवादी, जो अच्छी तरह से संगठित होते हैं और अपनी स्थिति को मजबूती से बनाए रखने में सफल रहते हैं, जब वे यह देखते हैं कि मजदूर भी पूंजीवादी बनने के इच्छुक हैं और वे मजदूरों के एक हिस्से का उपयोग अन्य मजदूरों को दबाने के लिए करते हैं।

मजदूरों के अधिकार और कर्तव्य

गाँधी जी का विचार था कि उचित मजदूरी के लिए अपने अधिकारों के लिए अपने संगठित संघर्ष को जारी रखने के साथ–साथ, मजदूर संघ बनाकर स्वयं को उद्योगों में प्रबंधन और विनियमन में भागीदारी के अधिकार को सुनिश्चित करने के साथ मजदूरों को अपने कर्तव्यों के बारे में भी पता होना चाहिए। उनका मत था कि यदि मजदूर सच्चे अर्थों में मनुष्य बनना चाहते हैं और समाज में एक गौरवशाली स्थान प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें शराब पीने, जुआ खेलने और ऐसी ही अन्य अनेक बुराइयों से बचना चाहिए। उन्हें एक अनुशासित जीवन जीना चाहिए और विवाह की पवित्रता की रक्षा करनी चाहिए। बाहरी नकारात्मक प्रभावों से खुद को बचाने के साथ–साथ मजदूरों को आंतरिक सुधार के लिए भी अपने संघ का उपयोग करना चाहिए। गाँधी जी के महत्वपूर्ण विचारों में से एक यह था कि मजदूरों के लिए सबसे अच्छी सेवा उन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों और आत्म निर्भरता के बारे में जागरूक करके उनकी समस्या को हल करने में सक्षम बनाना है।

वेतन

गाँधी जी की यह अभिलाषा थी कि मजदूरों को निश्चित रूप से इतनी मजदूरी तो मिलनी ही चाहिए जिससे वे न केवल भोजन की आवश्यकता को पूरा कर सकें बल्कि वे एक मध्यम वर्ग के नागरिक का सामान्य जीवन जी सकें। उन्होंने यह स्पष्ट करते हुए कहा कि मजदूरों की मजदूरी उतनी होनी चाहिए जिससे कि (i) एक मजदूर को पर्याप्त और संतुलित पौष्टिक भोजन मिल सके, ताकि वह दिन में 8 घंटे काम करने के लिए उपलब्ध हो सके (ii) जिससे कि उसको पर्याप्त कपड़े उपलब्ध हो सके और (iii) वह अच्छी आवास और अन्य सामान्य सुविधाएं प्राप्त कर सके (यंग इंडिया, 12.12.1929)। मजदूरों को एक न्यूनतम न्यूनतम मजदूरी देने के बाद, वे कुशल कारीगरों को अधिक मजदूरी देने के खिलाफ नहीं थे।

आवास

मजदूरों को आवास सुविधाओं की आवश्यकता पर बल देते हुए, उन्होंने उस समय कारखानों के मालिकों से अनुरोध किया कि अविवाहित, विवाहित और बच्चों वाले परिवारों के लिए न्यूनतम श्रेणी के आवास की व्यवस्था की जाए। उनका यह मत था कि मालिकों को कर्मचारियों की इस प्राथमिक जरूरत को पूरा करना चाहिए (हरिजन: 11.07.1936)

हड़ताल

गाँधी जी का विचार था कि मजदूरों को वास्तविक कारणों के लिए अपरिहार्य परिस्थितियों में और निश्चित उद्देश्यों के साथ ही हड़ताल का सहारा लेना चाहिए। उन्होंने व्यक्त किया कि हड़ताल का सहारा लेने से पहले, सभी मजदूरों को सामूहिक रूप से निश्चित उद्देश्यों से संबंधित मांगों पर गंभीरता से विचार करने के बाद अपने

विचार लिखित रूप में मालिक के सामने ठीक से रखने चाहिए। यदि नियोक्ता द्वारा मांगों पर एक बार में सहमति नहीं दी जाती है, तो मालिक को मांगों पर विचार करने के लिए उचित समय दिया जाना चाहिए। फिर भी यदि मांगों पर सहमति नहीं बनती है, केवल तभी हड़ताल का सहारा लेना चाहिए। मजदूरों को हड़ताल के दौरान पूर्ण शांति बनाए रखना चाहिए। शांति और प्रभावी ढंग से हड़ताल का नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदार नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। जिन श्रमिक नेताओं को हड़ताल में भाग लेना है, उन्हें प्रतिदिन उचित दिशा–निर्देश प्राप्त करने चाहिए और इस बात कि उचित देखभाल की जानी चाहिए कि कोई भी मजदूर किसी भी प्रकार के खतरे का शिकार न बने। इस बात की व्यवस्था भी की जानी चाहिए कि यदि नियोक्ता हड़ताल अवधि के दौरान एक समझौता करना चाहता है, तो समझौते को निष्पक्ष और सुस्पष्ट शब्दों में दर्ज किया जाना चाहिए। यदि हड़ताल लंबे समय तक जारी रहने की उम्मीद है, तो मजदूरों को अपनी आजीविका के लिए किसी अन्य विकल्प की तलाश करनी चाहिए। हड़ताल समाप्त होने के बाद, नियोक्ताओं और मजदूरों को हड़ताल की सफलता या असफलता को भूलकर आपसी अच्छे संबंध विकसित करने के प्रयास करने चाहिए।

वर्ग सहयोग और वर्ग समन्वय

गाँधी जी वर्ग संघर्ष के बजाय वर्गीय सहयोग और वर्ग समन्वय के सिद्धांत में विश्वास करते थे। श्रम द्वारा पूंजीपतियों के खात्मे का दृष्टिकोण उन्हें स्वीकार्य नहीं था। उनका मानना था कि पूंजीपतियों का दिल भी बदला जा सकता है, फिर चाहे वे कितने भी कठोर हृदय क्यों न हों। उनका मत था कि यदि पूंजीपति मजदूरों के प्रति पिता जैसा रवैया अपनाते हैं और उन्हें अपने धन के उपयोग में भागीदार बनाते हैं, तो वे समाज के लिए भी उपयोगी साबित हो सकते हैं। इस संदर्भ में उनका मत था कि मजदूरों को नौकर के बजाय उत्पादन के साधनों का मालिक होना चाहिए। पूंजी श्रम की सेवक होनी चाहिए न कि उसकी स्वामी। उन्होंने मजदूरों के नैतिक और मानसिक विकास पर जोर दिया। उनका विचार था कि नैतिक और मानसिक विकास के अभाव में मजदूरों की स्थिति पशुओं जैसी हो जाने की आशंका बनी रहती है (युवा भारत: 20.10.1925)

निष्कर्ष के रूपमें यह कहा जा सकता है कि गांधी जी श्रम और पूंजी के बीच अच्छे संबंध स्थापित करने के पक्ष में थे और कभी भी एक का दूसरे पर प्रभुत्व नहीं चाहते थे। उनका विचार था कि दोनों एक–दूसरे पर निर्भर हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए, पूंजीपतियों और मजदूरों को अधिकतम लोगों के कल्याण के लिए अपने उत्पादन संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। गाँधी जी के विचारों की विशिष्टता और सुंदरता इस तथ्य में निहित है कि वे केवल उस दौर के लिए ही प्रासंगिक नहीं थे जब उन्हें व्यक्त किया गया था, बल्कि तेजी से बढ़ती हिंसा, स्व–केन्द्रीकरण और उपभोक्तावाद के वर्तमान परिदृश्य में ये सभी विचार और भी अधिक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक बन गए हैं।

प्लास्टिक को 'ना' कहें

बीरेन्द्र सिंह रावत*

प्लास्टिक हो या पन्नी, छोड़ें हम इसका मोह।
अमिट प्रकृति है इसकी, देती तरह–तरह के रोग।।

दूषित होते हैं इससे, हवा, जल और वातावरण।
नगरों में कई समस्याएँ, होती हैं इसके कारण।।

यहाँ–वहाँ हर जगह इससे, कूड़े के लगते हैं अंबार।
साँस फूलती है सीवर की, शासन होता है लाचार।।

कम बारिश में भी सागर, बन जाती हैं गलियाँ।
जीना मुहाल हो जाता है, सूख जाती हैं कलियाँ।।

थैला–झोला लेते चलें, जब भी जाएँ आप बाजार।
प्लास्टिक को 'ना' कहें, दुआएँ होंगी हमारी हजार।।

*वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

बदल रही है भारत की तस्वीर

राजेश कुमार कर्ण*

पिछले कुछ वर्षों में देश के लगभग हर क्षेत्र में व्यापक सकारात्मक बदलाव आया है। भारत नए सपनों, नए संकल्पों एवं नई संभावनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। आज भारत औद्योगिक दृष्टि से बहु–विकसित, वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत आगे, टेक्नोलॉजिकल दृष्टि से विशिष्ट और राजनीतिक दृष्टि से स्थिर है। भारत ने विश्व समुदाय के बीच एक आत्मनिर्भर, सक्षम और स्वाभिमानी देश के रूप में अपनी जगह बनाई है। 'नए भारत' के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केन्द्र सरकार विभिन्न समावेशी योजनाओं एवं नीतियों के निर्माण एवं बेहतर कार्यान्वयन पर जोर दे रही है। जन कल्याण की योजनाएं बिना किसी भेदभाव के सभी धर्मों, वर्गों और समुदायों तक पहुंच रही हैं। सभी वर्गों को समावेशी योजनाओं एवं नीतियों का लाभ मिला और छह वर्षों के दौरान 'सबका साथ, सबका विकास' से आगे बढ़कर 'सबका विश्वास' तक पहुंची है। नए भारत (जहां गरीब, दलित, महिला, युवा, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यकों सहित समाज के सभी वर्गों को आगे बढ़ने का अवसर हो) के निर्माण का लक्ष्य इसलिए अब नजदीक लगता है क्योंकि देश में एक सर्वस्पर्शी, समावेशी और जनभागीदारी की सरकार चल रही है।

जन–भागीदारी से विकास करने का कौशल इस सरकार की एक प्रमुख विशेषता है। अपने पहले कार्यकाल के दौरान सरकार ने शासनात्मक काम ज्यादा किए। देश में वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए जनधन योजना के तहत 37 करोड़ लोगों के बैंक खाते खुले, उन्हें मोबाईल और आधार से जोड़ा गया। डिजिटल इंडिया के कारण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम से बिना किसी देरी, बिना किसी लीकेज और विचलन के कोई भी सब्सिडी अथवा लाभ सभी योजनाओं के वास्तविक लाभार्थी के खाते में पहुंचने लगा। इससे बिचौलिए साफ हो गए, सरकार को अरबों रूपए की बचत हुई तथा गरीबों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में लाखों लोगों को आवास मिले, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से करोड़ों महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना से बिजली कनेक्शन और स्वच्छ भारत योजना से 10 करोड़ घरों में शौचालय बने। आयुष्मान भारत योजना से 10 करोड़ परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम से लगभग 14 करोड़ किसानों को प्रतिमाह 500 रुपए की दर से रकम मिलने की व्यवस्था हुई। संस्कृत में एक श्लोक है: ''सुखस्य मूलं धर्म, धर्मस्य मूलं अर्थः, अर्थस्य मूलं राज्यं''। अर्थात आर्थिक गतिविधियों में जनता की भागीदारी सरकार का उत्तरदायित्व है। इसे सरकार ने पूरा करके दिखाया है।

आर्थिक मोर्चे पर नोटबंदी से ईमानदारी से जीने और व्यापार करने का संदेश दिया गया तथा जीएसटी से अप्रत्यक्ष कर का सबसे बड़ा सुधार किया गया। बेनामी संपत्ति का कानून, लुटेरे बिल्डरों से घर खरीदारों को बचाने के लिए रेरा का कानून बनाया गया तथा आईबीसी कानून लाकर बताया कि बैंक का पैसा डकारने वालों को अपनी कंपनी से हाथ धोना पड़ेगा। सरकार ने दिवाला और दिवालियापन संहिता के तहत त्वरित विवाद समाधान को भी काफी बढ़ावा दिया है। इसकी बदौलत विवादों के समाधान और संबंधित सिस्टम को दुरुस्त करने में औसतन सिर्फ 374 दिन लगते हैं। निस्संदेह सरकारी बैंकों को डूबने से बचाया गया और उनका वित्तीय स्वास्थ्य सुधारा गया।

सरकार की विभिन्न पहलों से सरकार में शीर्ष स्तर का भ्रष्टाचार लगभग खत्म हो गया। सरकार की दृढ़ता एवं जनता के सहयोग से भ्रष्टाचार को दूर किया जा रहा है। ऊपर से जारी एक रुपया में से लाभार्थी तक मात्र 15 पैसे पहुंचने की परम्परा अब समाप्त हो चुकी है। पांच वर्ष पहले औसतन मात्र 44 प्रतिशत शिकायतों का ही निपटारा होता था लेकिन वर्ष 2019 में यह आंकड़ा 95 प्रतिशत तक पहुंच गया है। इससे सरकारी दफ्तरों में पारदर्शिता बढ़ रही है। शिकायत एवं सुझाव की बेहतर व्यवस्था होने के कारण अधिक से अधिक लोग अपनी बात कह पा रहे हैं। सरकार की सख्त और पारदर्शी नीति के चलते अधिकारियों ने काम करने का तरीका बदला है और अब देश बदल रहा है।

सबसे बड़ी युवा आबादी वाले हमारे देश ने अपनी शक्ति को पहचाना है और खुद को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत कर दिखाया है। वर्ष 2014 में भारतीय अर्थव्यवस्था 1.7 ट्रिलियन डॉलर की थी जो अब आधुनिकीकरण, शहरीकरण और उपभोक्तावाद के पथ पर चलते हुए बढ़कर तीन ट्रिलियन डॉलर की हो गई है। सरकार का लक्ष्य इसे वर्ष 2024–25 तक बढ़ाकर पांच ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने की है। यह लक्ष्य चुनौतीपूर्ण जरूर है लेकिन प्राप्ति योग्य है। आज वैश्विक मंदी के दौर में भी भारतीय अर्थव्यवस्था संतुलित एवं मजबूत है। चरमराई बैंकिंग प्रणाली के पुनरुत्थान, भ्रष्टाचार पर प्रहार के कानून, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश, कानूनों के सरलीकरण, जीएसटी इत्यादि जैसे अनेक प्रयास व्यापार को सुगम बना रहे हैं और भारत आज विश्व में तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनकर पांच

* *आशुलिपिक सहायक ग्रेड–II, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंकिंग लगातार सुधर रही है। भारत का स्थान वर्ष 2014 में 142वें स्थान से वर्ष 2019 में 63वें स्थान पर आ गया है। भारत ने तीन वर्षों में 'कारोबार में सुगमता' सूचकांक में 67 पायदानों की छलांग लगाई है जो वर्ष 2011 के बाद से लेकर अब तक किसी भी बड़े देश की सबसे ऊंची छलांग है। भारत में अब विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट–अप परिवेश है। भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक में वर्ष 2015 के 81वें पायदान से ऊंची छलांग लगाकर वर्ष 2019 में 52वें पायदान पर पहुंच गया है। आईएमडी के 'विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धी क्षमता सूचकांक 2019' में भारत 2015–16 के 55वें पायदान से छलांग लगाकर अब 44वें स्थान पर आ गया है। डब्ल्यूईएफ के 'ट्रेवल एवं पर्यटन प्रतिस्पर्द्धी क्षमता सूचकांक 2019' में भी भारत 2015 के 52वें पायदान से उल्लेखनीय छलांग लगाकर अब 34वें पायदान पर पहुंच गया है। पर्यटन कम्पीटिवनेस इंडेक्स में भारत 65 से 34वीं रैंक पर पहुंच गया है और सरकार का लक्ष्य 2024 तक एक से तीन रैंक पर पहुंचना है।

इन सब उपलब्धियों के कारण भारत विश्व में सबसे ज्यादा विदेशी निवेश प्राप्त करने में सफल हुआ है और इससे विकास की कई बाधाएं दूर हुई हैं। आज जितने भी विकसित देश हैं, उन सभी ने अपने विकास के प्रारंभिक दौर में किसी न किसी रूप में विदेशी पूंजी की सहायता अवश्य ली हैं। विदेशी पूंजी अपने साथ आधुनिक तकनीक भी ला रही है जिससे उत्पादकता एवं गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। 2019 में यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को पछाड़कर भारत विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। पीडब्ल्यूसी सर्वे के अनुसार भारत दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा संभावनाओं वाला बाजार बन गया है और वर्ष 2020 में इसके दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना दिखाई दे रही है। तीव्र औद्योगिक विकास के परिणामस्वरूप भारतीयों की क्रयशक्ति लगातार बढ़ रही है। क्रय शक्ति की अनुरूपता की तुलना में भारत 11.33 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के साथ विश्व में अमेरिका और चीन के बाद तीसरे पायदान पर है। भारत एक हद तक कृषि प्रधान देश रहा है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में तस्वीर बदली है और आज के दौर में भारत में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में तेजी से वृद्धि हुई है। काफी लंबे समय से देश में बुनियादी ढ़ांचे का विकास मनमानी तरीके से किया गया। मोदी सरकार के सकारात्मक दृष्टिकोण से व्यापक परिवर्तन आया है। अब नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के शुभारंभ के साथ हम समग्र और व्यवस्थित तरीके से विकास कर रहे हैं। इससे देश जलवायु संकट, तेजी से बढ़ती शहरीकरण और दूसरी बातों का सामना करने में पूरी तरह से सक्षम बन रहा है।

अब गरीबी और अमीरी के बीच की खाई को पाटने का काम तेजी से किया जा रहा है। पहले कार्यकाल की अधिकांश योजनाएं अभी भी जारी हैं। सरकार महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं को विशेष महत्व दे रही है। उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 8 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। दिव्यांग–जनों को सहायता उपकरण इत्यादि उपलब्ध कराने के लिए भी सरकार ने लगभग 800 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और उनकी स्थिति में सुधार आया है। पिछले पांच वर्षों में अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाओं को जितनी सफलता से मोदी सरकार ने लागू किया है उतना शायद ही किसी सरकार ने किया है। यह पहली बार है जब देश के विकास में पूर्वोत्तर भी उसी रफ्तार से दौड़ रहा है, जैसे कि अन्य हिस्से दौड़ रहे हैं। मोदी सरकार पूर्वोत्तर में अल्पसंख्यकों और जातीय विवादों से जुड़े लंबित मुद्दों के समाधान के लिए तेजी से काम करती दिखाई दे रही है। बोडो समझौते के तहत असम का विभाजन किए बिना बोडो लोगों की राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा किया गया है। 50 वर्ष पुरानी बोडो समस्या की समाप्ति के परिणामस्वरूप शांति एवं सौहार्द कायम होने से पूर्वोत्तर के विकास को एक नई गति मिलेगी। साथ ही, केन्द्र सरकार की पहल पर त्रिपुरा और मिजोरम के बीच एक समझौता हुआ है जिसके तहत ब्रू जनजाति के लोगों को स्थायी रूप से त्रिपुरा में बसाया जाएगा। लगभग 23 वर्षों से निर्वासित जीवन गुजार रहे मिजोरम के 35000 ब्रू जनजाति के परिवारों के लिए एक नया जीवन शुरू करने की दिशा में यह मील का पत्थर साबित होगी। सबका साथ सबका विकास की भावना से लैस मोदी सरकार ने बिना कोई भेदभाव किए 115 आकांक्षी जिलों का चयन करके, उन्हें जरूरत के अनुरूप विकसित करने की दिशा में काम कर रही है।

वन रैंक वन पेंशन के बाद एक देश एक राशन कार्ड की परिकल्पना को साकार कर केन्द्र सरकार देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को नया रूप देने के साथ ही एक तरह से देश को आर्थिक रूप से एक सूत्र में पिरोने का काम कर रही है। एक जनवरी 2020 से केन्द्र सरकार ने देश के 12 राज्यों में एक देश एक राशन कार्ड योजना शुरू कर दी है। 30 जून 2020 तक सभी राज्यों को इससे जोड़ने का लक्ष्य है। इससे न सिर्फ कोटेदारों की मनमानी रुकेगी, बल्कि उनके भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा। इस योजना के तहत लाभार्थी एक ही

राशन कार्ड से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत किसी भी उचित दर की दुकान से अपने कोटे का अनाज ले सकेंगे। इसका सबसे अधिक फायदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले गरीबों, विशेषकर प्रवासी मजदूरों को मिलेगा।

करोड़ों लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए हैं। गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य की ओर हम तेज कदम से बढ़ रहे हैं। जीडीपी के पांच ट्रिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंचने के साथ ही हमारे देश में गरीबी में भारी कमी देखने को मिलेगी। सरकार आम आदमी की जिंदगी को बदलने वाली अपनी कई सफल योजनाओं के माध्यम से गरीबी का मुकाबला करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है और इस संदर्भ में वह दुनिया से सीख लेने और साथ ही उसे दिशा दिखाने के लिए भी तत्पर है। अनाज उत्पादन के मामले में भारत न केवल आत्मनिर्भर है बल्कि निर्यात भी करता है। भूख पर हमने लगभग जीत पा ली है, अब अजेंडे पर पौष्टिकता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1990–2017 के बीच कुपोषण से होने वाली मौत में दो–तिहाई की कमी आई है। बच्चों के अलावा भी सारे गरीबों को कैसे पोषण युक्त भोजन मिले, इस पर सरकार विचार कर रही है। केन्द्र सरकार ने सस्ता खाद्यान्न उपलब्ध कराने, घर एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाली कई योजनाएं लागू की हैं जिसने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में काफी मदद की है। दीन दयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य कौशल विकास के माध्यम से स्थायी आजीविका के अवसरों को बढ़ाकर शहरी गरीब लोगों के उत्थान के लिए काम करना है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण गरीब परिवारों को घर में शौचालय बनाने के लिए 12 हजार रुपये दिए जाते हैं। इस योजना से बीमारियों में कमी आई है और रोजगार भी बना रहता है। ऐसे में यह गरीबों के लिए अप्रत्यक्ष रूप से काफी लाभदायी है। प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों के घर का सपना पूरा हो रहा है। पीएम–उदय योजना से दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों में रह रहे 50 लाख से अधिक लोगों को अपने घर का मालिकाना हक और बेहतर जीवन का भरोसा मिला है।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की भारत में स्थायी प्रतिनिधि शोको नोडा ने दिसंबर 2019 में एचडीआर–2019 रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि भारत में 2005–06 से 2015–16 के बीच 27.1 करोड़ लोगों को गरीबी के दलदल से बाहर निकाला गया। इस उपलब्धि का श्रेय उन्होंने प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री जनधन योजना और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं को दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 1990 से 2018 के बीच जीवन प्रत्याशा में 11.6 वर्ष, बच्चों के स्कूली जीवन की औसत अवधि 3.5 वर्ष और संभावित स्कूली अवधि में 4.7 वर्ष की बढ़ोत्तरी हुई है। साथ ही इस दौरान प्रति व्यक्ति आय में भी 250 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है।

एक स्वस्थ समाज ही बेहतर राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। सरकार बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आयुष्मान भारत योजना के तहत केन्द्र सरकार का लक्ष्य देश के 10 करोड़ परिवारों या 50 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना है। इसमें सभी गंभीर बीमारियों का इलाज कवर है। आयुष्मान भारत के तहत अबतक 60 लाख से ज्यादा लोगों को लगभग 9,000 करोड़ रुपये से अधिक का मुफ्त इलाज मिला है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (शहरी एवं ग्रामीण) में लोगों को बेहतर, समानतापूर्वक और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं देने का संकल्प निहित है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में फैले भ्रष्टाचार के चलते इस संस्था को खत्म करने की कोशिश पहले भी कई सरकारों ने की थीं, हालांकि कोई इसमें सफल नहीं हो सका था। यह काम जुलाई 2019 में जाकर पूरा हो सका जब संसद ने नेशनल मेडिकल कमीशन विधेयक को मंजूरी दी। बड़े–बड़े अस्पतालों का निर्माण करने, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सक्षम बनाने और अस्पतालों को सुविधाओं से लैस करने पर सरकार जोर दे रही है। केन्द्र सरकार डेढ़ लाख स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र भी खोलने जा रही है। सुरक्षात्मक हेल्थकेयर के रूप में योग ने नए सिरे से अपनी पहचान स्थापित की है तथा यह देश–दुनिया में एक जन–आंदोलन बन रहा है। दुनिया में भारत ही ऐसा देश है जहां पर चिकित्सा की विविध पद्धतियां विद्यमान हैं और उनका लगातार विस्तार भी हो रहा है। चिकित्सा की दुनिया में भारतीय ज्ञान–परंपरा का लोहा पूरी दुनिया मान रही है।

स्वच्छ भारत मिशन की सफलता से भारत कई विकसित देशों की तरह काफी हद तक साफ–सुथरा दिखने लगा है। हाल ही में पूरा देश खुले में शौच से मुक्त हुआ है। प्लास्टिक से मुक्ति की जंग जारी है। नमामि गंगे योजना के तहत नदियों को साफ–सुथरा बनाने पर जोर है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत साफ–सफाई पर लगातार बल देने से भारत में स्वच्छता कवरेज वर्ष 2014 के 39 प्रतिशत से बढ़कर 2019 में 95 प्रतिशत हो गई है। इसके स्वास्थ्यगत और साथ ही आर्थिक लाभ दिखने शुरू हो गए हैं। इससे चिकित्सा लागत घटी है, जीवन की रक्षा हुई है, समय की बचत हुई है और महिलाओं के सम्मान में भी वृद्धि हुई है।

पिछले पांच वर्षों में स्वच्छ भारत क्रांति ने दस करोड़ से अधिक घरों में सुरक्षित स्वच्छता की सुविधा उपलब्ध कराकर महिलाओं के जीवन को बदल दिया है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत करोड़ों ग्रामीण महिलाओं को एलपीजी सिलेंडर मिलने से उन्हें जहरीले धुएं से मुक्ति मिली है। पोषण अभियान का बड़ा लक्ष्य ही बच्चों, किशोरियों और महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार लाना है ताकि जन्म के समय बच्चों में कम वजन, उनके

विकास में रुकावट, उनके पोषण में कमी और किशोरियों में एनीमिया के मामलों में कमी आए। मोदीजी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने महिला हितों को व्यापक दृष्टिकोण से देखते हुए माँ एवं शिशु की स्वास्थ्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा, शैक्षणिक एवं वित्तीय कार्यक्रमों के माध्यम से भविष्य की सुरक्षा और महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कई पहल की हैं। 1990 में एक लाख महिलाओं में से 556 महिलाओं की मौत स्वास्थ्य देखभाल के अभाव में हो जाती थी जो अब वैश्विक संगठनों के मुताबिक घटकर 145 हो गई है। साथ ही नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य के लिए विशेष इकाइयां बनाई गई हैं। स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने वालों की क्षमताओं को बढ़ाया गया है। टीकाकरण कार्यक्रम बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। परिणामतः जहां 2006 में शिशु मृत्युदर प्रति एक हजार में 57 थी, वह वर्ष 2017 में 42 प्रतिशत घटकर 33 रह गई है। स्पष्ट है, शिशु एवं मातृ–मृत्यु दर घटी है। मार्च 2014 में हम पोलियो मुक्त देश घोषित हो चुके हैं। मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्रों का निर्माण और वंचित रह गए बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है। अब तक पांच करोड़ बच्चों और दो करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण किया जा चुका है। देश में नियमित टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार ने दिसंबर 2019 से मार्च 2020 तक देश के 27 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के 272 जिलों में सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पूर्ण टीकाकरण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 (आईएमआई) की शुरुआत की है। इसके तहत हो रहे प्रयास स्वच्छ और समृद्ध भारत का सपना साकार करने वाला है।

किसी भी देश के विकास का सीधा संबंध वहां की महिलाओं के विकास से जुड़ा होता है। विभिन्न कानूनी पहलें, शिक्षा एवं नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था के कारण महिलाओं का काफी हद तक सशक्तीकरण हुआ है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, जहां पर महिलाओं ने अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है। वे देश को आगे बढ़ाने में बराबर की भागीदार हैं। श्रमशक्ति के साथ इनके बीच वेतन असमानता भी धीरे–धीरे कम हो रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वैश्विक लैंगिक भेद सूचकांक 2016 में 144 देशों की सूची में हम 87वें पायदान पर पहुंच गए हैं। 2006 में 98वें स्थान की तुलना में हमारी बढ़त संतोषजनक है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में हमें पहली रैंक हासिल है।

मोदीजी के नेतृत्व में सरकार के प्रयासों से देश की महिलाओं के अंदर आज विश्वास का माहौल बना है। आज वे न सिर्फ अनेक महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हैं, बल्कि शहरों–महानगरों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी निरंतर आगे बढ़ रही हैं। महिलाओं की बढ़ती जागरूकता और उनके दृढ़ इरादे आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को सशक्त कर रहे हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उन्हें कुशल बनाना अति आवश्यक है। प्रत्येक महिला तक शिक्षा और कौशल पहुंचाना सरकार का संकल्प है और इसी संकल्प की पूर्ति के लिए सरकार गंभीरता से काम कर रही है। इन्हें कौशल विकास और बालिका शिक्षा जैसी कवायद से मदद दी जा रही है। सरकार की कोशिश है कि देश की महिलाएं अनेक क्षेत्रों में अपने कौशल का विकास करने के लिए प्रशिक्षित हों और बेहतर रोजगार प्राप्त करें। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षित कुल 73 लाख उम्मीदवारों में से करीब 40% महिलाएं हैं। जन–शिक्षण संस्थान द्वारा वर्ष 2018 से अबतक 4.08 लाख महिलाएं प्रशिक्षित हुई हैं, जबकि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) द्वारा 38.72 लाख महिलाएं प्रशिक्षित हुई हैं। आज देश में 33 में से 18 राष्ट्रीय कौशल प्रक्षिक्षण संस्थान तो विशेष रूप से महिलाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं।

महिला सशक्तीकरण को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने महिलाओं को पुरुषों के बराबर अवसर प्रदान करने के लिए सही दिशा में प्रयास किया है। कामकाजी आबादी में महिलाओं की घटती संख्या की स्थिति को पलटने के लिए सरकार ने रोजगार सृजन को प्रोत्साहन देने वाले कार्यक्रमों पर जोर दे रही है। इसके लिए मनरेगा और मुद्रा जैसी योजनाओं में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं। स्वयं सहायता समूहों और महिला उद्यमियों की संभावनाओं को पहचानते हुए सरकार ने वुमनिया सरकारी ई मार्केटप्लेस यानी जीईएम बनाया है ताकि महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिले।

निस्संदेह सरकार के तमाम कदमों से महिलाओं का आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तीकरण हुआ है। जैसे मुद्रा योजना ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण की बुनियाद रखी है। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसे कार्यक्रमों का व्यापक असर हुआ है। इससे लैंगिक अनुपात सुधरा और जागरूकता भी बढ़ी है। तीन तलाक उन्मूलन, उज्ज्वला, सुकन्या समृद्धि, मातृत्व अवकाश में वृद्धि जैसे निर्णयों के जरिए भी सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके जीवन में बदलाव लाने का काम किया है।

आदिकाल से भारतीय ज्ञान–विज्ञान से दुनिया अभिभूत रही है। भारत विश्व गुरु हुआ करता था, आज हम फिर विश्व गुरु बनने की कोशिश कर रहे हैं, नीतियां बना रहे हैं, लक्ष्य तय कर रहे हैं। शिक्षा में यह क्षमता है कि वह किसी राष्ट्र को वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर सकती है। इसी के मद्देनजर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का ड्रॉफ्ट केन्द्र सरकार ने जारी कर दिया है। नई प्रौद्योगिकी, नए ज्ञान–विज्ञान को अत्यंत रुचिकर रूप में प्रस्तुत करना, बच्चों के भीतर प्रश्न पूछने का भाव जगाकर उनका समग्र विकास करना नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों में शामिल है। यह ड्रॉफ्ट नए पाठ्यक्रम एवं शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव रखता है। इस ड्रॉफ्ट में बार–बार प्रयुक्त भारतीय पद्धति, शिक्षा और संस्कृति, लिबरल आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, जीवन कौशल, उदार प्रणाली तथा बुनियादी अवधारणा जैसे शब्द इस नीति के ड्रॉफ्ट को प्रभावशाली बनाते

हैं। नई शिक्षा नीति भारत केंद्रित है जिसमें हमारी गौरवमयी संस्कृति और मानवीय मूल्यों के संरक्षण–संवर्धन पर काफी जोर है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से हम विद्यार्थियों को यह सिखाने में कामयाब होंगे कि जीवंत समाज के लिए हमारे स्वास्थ्य, हमारे कार्यों और प्रकृति के बीच सामंजस्य आवश्यक है। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली व उच्च शिक्षा में शोध, नवाचार और सृजनात्मक वातावरण को बढ़ावा देने के गंभीर प्रयास किए गए हैं। भारत की शिक्षा में नव प्रवर्तन, शोध, अनुसंधान का वातावरण विकसित करना न केवल शैक्षिक उन्नयन के लिए आवश्यक है बल्कि नव भारत के निर्माण के लिए यह एक आवश्यक शर्त है।

सरकार बच्चों को स्कूलों तक लाने और उन्हें बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए साक्षर भारत, शिक्षा का अधिकार, मिड डे मिल, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्राथमिक शिक्षा में लड़कियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, अल्पसंख्यक संस्थानों में बुनियादी ढांचा विकास योजना आदि कई योजनाएं चला रही है। इसके परिणामस्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में पिछले कुछ सालों में सकारात्मक बदलाव आया है। शिक्षा में धीरे–धीरे किताबी ज्ञान के साथ और भी बहुत सी चीजें जुड़ती जा रही हैं, जो एक शिक्षित व्यक्ति को सुशिक्षित समाज में बदल सकती है। आशा है हम यथाशीघ्र बेहतर इंसान बनकर अपने दायित्वों और कर्तव्यों से राष्ट्र निर्माण में भागीदार बन सकेंगे। आज भारत में 700 से ज्यादा विश्वविद्यालय तथा 35 हजार से ज्यादा कॉलेज हैं जिनमें मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेजों के अलावा आईआईएम जैसे संस्थान भी शामिल हैं। अध्ययन–अध्यापन के मामले में हम किसी से पीछे नहीं हैं। हमारे देश के शिक्षित–प्रशिक्षित युवा दुनिया भर में अपने ज्ञान एवं हुनर का परचम लहरा रहे हैं। हर हाथ को हुनर और हर दिमाग को कौशल युक्त करने के लिए सरकार ने कौशल विकास कार्यक्रम में तेजी दिखाई है। युवाओं के पास बेहतर भविष्य के सपने और हौसले तो हैं ही, उन्हें पूरा करने के लिए पर्याप्त अवसर भी हैं।

परिवहन, संचार तथा बिजली आदि बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। देश में सड़कों, रेल एवं हवाई अड्डों का काफी विस्तार हुआ है। अभी भारत में लगभग 50 लाख कि.मी. पक्की सड़कें बन चुकी हैं। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। आज भारत में लगभग 1 लाख 30 हजार कि.मी. रेल पटरियां बिछ चुकी हैं। यह दुनिया का अमेरिका एवं चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। कई शहरों में मेट्रो ट्रेन की सुविधा लोगों को मिल रही है। अहमदाबाद–मुम्बई के बीच बुलेट ट्रेन की भी आधारशिला रखी जा चुकी है। छोटे शहरों में भी हवाई अड्डे बन गए हैं।

बिजली के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रगति हुई है। पहले शहरी क्षेत्रों को भी कुछ घंटे ही बिजली मिल पाती थी, किंतु अब गांवों में भी 20–22 घंटे बिजली मिल रही है। नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, परमाणु शक्ति, सूचना प्रौद्योगिकी एवं अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्रों में भारत आज विश्व के देशों में अग्रणी पंक्ति में खड़ा है। इसरो ने अंतरिक्ष में भारत के पहले मानव मिशन 'गगनयान' की तैयारी कर ली है। भारत अंतरिक्ष में पहली ही कोशिश में मानव यात्री भेजने वाला दुनिया का पहला देश होगा। चंद्रयान–3 और गगनयाद के बाद इसरो का अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बनाने का इरादा है। स्पेस स्टेशन से इसरो की अंतरिक्ष के साथ–साथ पृथ्वी की निगरानी की क्षमता बढ़ेगी। अंतरिक्ष टेक्नॉलॉजी की सहायता से जल, थल और नभ में हमारी सुरक्षा और मजबूत हुई है।

रक्षा के हर क्षेत्र में हमने बड़ी कामयाबी हासिल की है और इससे देश की ताकत काफी बढ़ी है। अभी भारत के पास विश्व की दूसरी सबसे बड़ी थलसेना, पांचवीं बड़ी वायुसेना तथा सातवीं बड़ी नौसेना है। भारत ने अनेक मिसाइलों, तोप, टैंक, लड़ाकू जहाज का विकास करके देश की प्रतिरक्षा तंत्र को काफी मजबूत किया है। 1962 की लड़ाई में लाचार–सी नजर आने वाली हमारी सेना आज चीन को ललकारने का आत्मविश्वास दे रही है। सरकार ने तमाम विवादों पर विराम लगाते हुए फ्रांस से राफेल विमान भारत लाने में सफलता पाई और दुनिया की सबसे आधुनिक और सटीक एंटी बैलेस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रणाली 'एस 400' का रूस से भारत आना सुनिश्चित कर दिया है। भारत को दी जाने वाली इस प्रणाली का उत्पादन रूस ने शुरू कर दिया है। जमीन पर अग्नि श्रृंखला की मिसाइलें और आकाश में सुखोई–30 व मिराज–2000 जैसे लड़ाकू विमानों से परमाणु हमले की क्षमता भारत के पास पहले से मौजूद है। अब के–4 मिसाइल के सफल परीक्षण की बदौलत भारत जमीन, आसमान और समुद्र के भीतर से परमाणु हथियार छोड़ने की ताकत यानी त्रिआयामी परमाणु क्षमता को साबित करने में भी सफल हुआ है। इन्हें हासिल कर लेने से ही एक देश को इतनी ताकत हासिल हो जाती है कि दुश्मन देश डर कर पहले परमाणु हमला करने की जुर्रत ही नहीं कर पाता। सरकार मेक इन इंडिया के तहत आधुनिक अस्त्र–शस्त्र, तोप, टैंक, लड़ाकू जहाज भारत में ही बनाने पर बल दे रही है और अपनी आवश्यकताएं पूरी करते हुए इन रक्षा उपकरणों के निर्यात को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

देश में संचार उपकरणों का व्यापक प्रसार हुआ है। ई–प्रशासन से लेकर ई–कॉमर्स और आईटी आउटसोर्सिंग से लेकर दूरसंचार तक कामयाबी के अनेक उदाहरण मौजूद हैं। देश में कम्प्यूटर क्रांति आई और विज्ञान–प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत ने आशातीत उन्नति की है तथा उसका विश्व में दबदबा बना है। भारत में पिछले कुछ वर्षों से तकनीकी विकास का बेहतर माहौल बना है। केन्द्र सरकार ने महसूस किया है कि अगर देश को विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है तो उस तकनीक को अपनाना होगा, जो भविष्य में अहम भूमिका निभाने वाली है। इसी को ध्यान में रखकर कई योजनाएं शुरू की गईं जैसे डेटा पार्क, टाइड 2.0 (टेक्नॉलॉजी इनक्यूबेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ आंट्रप्रेनर्स), सीओई (सेंटर ऑफ एक्सलेंस)

और डिजिटल इंडिया। इसका सुखद परिणाम है कि आज हम तकनीकी नवाचार के मामले में विश्व में अमेरिका के बाद चीन के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। भारत में पिछले कुछ वर्षों में पूंजी के बढ़ते प्रवाह, विशाल युवा आबादी और शहरीकरण ने तकनीकी शोध और अनुसंधान के लिए उपयुक्त माहौल तैयार किया है। विज्ञान और तकनीकी संचार की दुनिया में भारत ने बड़ी छलांग लगाई है। वह दुनिया के उन देशों की फेहरिस्त में चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर आ गया है जो लगातार विज्ञान एवं इंजीनियरिंग से जुड़े विषयों पर आलेख प्रकाशित कर रहे हैं।

हालांकि गांव, गरीब और किसान सभी सरकारों की प्राथमिकता सूची में रहे हैं, लेकिन इसे एक मिशन का रूप देने का श्रेय मोदी सरकार को जाता है। ग्रामीण विकास विभाग के बजटीय प्रावधान में काफी बढ़ोत्तरी की गई है। वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस दिशा में पहल करते हुए सरकार ने 2019 में 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' नामक योजना शुरू की थी, जिसमें प्रतिवर्ष 6000 रुपए की सहायता किसानों को दी जा रही है। सरकार ने किसानों की बाजार तक पहुंच बढ़ाकर उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई–नैम जैसी पहल की। ई–नैम के जरिये जो अंतर–मंडी और अंतरराज्यीय व्यापार बढ़ा उसे देखते हुए सरकार ने जुलाई 2019 के बजट में पांच वर्षों के भीतर 10000 किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ बनाने का एलान किया था। अब एफपीओ कंपनियों, सहकारी इकाइयों या समितियों के रूप में स्थापित हो रहे हैं ताकि कृषि को एक कारोबार की तरह चलाया जा सके। 'एक जिला–एक उत्पाद' जैसी योजना चलाने वाले उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में एफपीओ विशिष्ट उत्पादों के उत्पादन एवं बिक्री पर जोर दे रही है। वास्तव में एफपीओ किसानों और उपभोक्ता के बीच की खाई को पाटने का मोदी सरकार का एक और प्रयास है। भारत के जीडीपी में कृषि का योगदान मात्र 15% है, लेकिन देश की 60% आबादी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इसी पर निर्भर है। देश को समृद्ध बनाने के लिए इस असंतुलन को दूर करना जरूरी है और मोदी सरकार इसके लिए पुरजोर कोशिश कर रही है।

गांव के हर व्यक्ति के पास अपनी छत का सपना पूरा करने की प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के तहत वर्ष 2022 तक हर पात्र व्यक्ति को पक्का मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी तक 2 करोड़ से अधिक लोगों को अपना घर मिल चुका है। गांवों की जीवन रेखा मानी जाने वाली सड़कों के विकास और विस्तार की दिशा में भी केन्द्र सरकार ने उल्लेखनीय काम किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सभी गांवों को सड़क संपर्क से जोड़ा गया है। मनरेगा के तहत अब कृषि क्षेत्र के विकास और जल संरक्षण पर पर्याप्त बल दिया जा रहा है। मनरेगा पर खर्च में आशातीत वृद्धि हुई है। इसमें महिलाओं की भागीदारी दिनानुदिन बढ़ रही है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत लगभग 9,46,842 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया और 5,08,098 लोगों को रोजगार दिलाया गया। भारत नेट परियोजना के तहत दो लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी उपलब्ध करा दी गई है। सभी गांवों का विद्युतीकरण कार्य पूरा किया जा चुका है। इससे गांवों में विकास की गति बढ़ी है।

गांव, गरीब और किसान के जीवन स्तर में सुधार से जुड़ी विभिन्न जन–कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में सभी ग्राम पंचायतें, ब्लॉक पंचायतें और जिला पंचायतें पूरे मनोयोग से लगी हुई है। विभिन्न जन–कल्याणकारी योजनाओं की कामयाबी से उम्मीद बंधी है कि ग्रामीण भारत नए भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान करने को तैयार है। इस नए भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया काफी तेज हुई है। धीरे–धीरे कस्बों और गांवों के एक भाग का शहरीकरण होता जा रहा है। 1901 में जहां शहरी आबादी 11.4% थी, वह बढ़कर 2017 तक 34% हो चुकी है। इस नए भारत में ग्रामीण आबादी कम होते–होते लगभग 65.37% के आसपास रह गई है। नए भारत का भविष्य ग्रामीण से शहरी में रूपांतरण की दिशा में जाता दिख रहा है।

देश विकास के पथ पर तो अग्रसर है ही, विश्व पटल पर भी भारत की साख में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्रीजी के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा योग दिवस को विश्व स्तर पर मान्यता देना एवं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 71 वर्ष के ब्रिटिश राज का अंत कर भारत के जस्टिस दलवीर सिंह भंडारी की जीत भारत के बढ़ते कद का सूचक है। संयुक्त

राष्ट्र महासभा के 74वें अधिवेशन को संबोधित करते हुए माननीय प्रधानमंत्रीजी ने विश्व में शांति एवं सद्भाव की जरूरत पर जोर देते हुए जिस तरह यह कहा कि हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए उससे यही रेखांकित हुआ कि वह संयुक्त राष्ट्र के मंच का उपयोग विश्व राजनेता के रूप में कर रहे थे। अमेरिका–ईरान में तनाव को कम करने के लिए अमेरिका एवं ईरान दोनों ने भारत से पहल करने का अनुरोध किया है। दिल्ली में ईरानी राजदूत अली चेगेनी ने कहा कि दुनिया में शांति बनाए रखने में भारत अच्छी भूमिका निभाता है। मोदीजी विभिन्न मंचों पर सारी दुनिया के हितों की चिंता कर रहे हैं जबकि अधिकांश देशों के नेता अपने देश के हितों की चिंता करते नजर आते हैं।

आर्थिक, सामरिक तथा सांस्कृतिक तौर पर भारत विश्व को प्रभावित कर रहा है। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए पेरिस समझौते द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा काम कर रहे शीर्ष पांच देशों में भारत भी शामिल है। भारत ने कार्बन उत्सर्जन में वर्ष 2030 तक 35 प्रतिशत कमी लाने के लक्ष्य पर काम करते हुए उत्सर्जन में 21 प्रतिशत की कटौती कर ली है। यह भी माना जा रहा है कि भारत वर्ष 2030 से पहले 50 प्रतिशत से अधिक ऊर्जा अक्षय स्रोतों से पैदा करने का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा, जबकि पेरिस समझौते में 40 प्रतिशत अक्षय या स्वच्छ ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है। भारत लक्ष्य से अधिक हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। गैर पारंपरिक ऊर्जा के उत्पादन एवं विश्व स्तर पर सौर क्रांति का नेतृत्व करने से लेकर हरित क्षेत्र में विस्तार करने तक कई क्षेत्रों में भारत ने उल्लेखनीय काम किया है। जलवायु परिवर्तन, आर्थिक और साइबर अपराध, आतंकवाद, भ्रष्टाचार और कालाधन पर कार्रवाई, स्वच्छ ऊर्जा आदि मुद्दों पर भारत के विचारों को विश्व समुदाय ने काफी सराहा है एवं संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी मजबूत हुई है। टाइम्स पत्रिका में 'सुपर इंडिया द नेक्स्ट मिलिटरी पॉवर' शीर्षक से प्रकाशित लेख में बताया गया है कि, ''पिछले कुछ वर्षों में भारतवर्ष इतनी तेजी से एक महाशक्ति के रूप में उभरकर आया है कि अब रूस, चीन, अमेरिका, फ्रांस जैसी शक्तियां उसकी उपेक्षा नहीं कर सकतीं।''

भारत को आज एक बड़ी आर्थिक और सामरिक ताकत के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार कई देशों के साथ अपने रणनीतिक रिश्तों को प्रगाढ़ करने में जुटी है ताकि वैश्विक स्तर पर भारत का कद बढ़ाने के साथ ही राष्ट्रीय हितों की अधिकाधिक पूर्ति हो सके। इतना ही नहीं अपने हितों पर प्रहार करने वाले देशों को भारत अपनी आर्थिक मजबूती का अहसास कराने से परहेज नहीं कर रहा है। केन्द्र की मोदी सरकार ने देश के अंदर ही नहीं, अपितु विदेशी मोर्चे पर भी बदलाव की बयार बहायी है। उनके साहसिक फैसलों से पूरे विश्व में यह संदेश गया है कि भारत अब देश–विदेश में कड़े कदम उठाने में किसी का मोहताज नहीं है। पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया जैसे देशों की हेकड़ी ढ़ीली हुई है। संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर के मुद्दे पर चीन मात पर मात खा रहा है। पाकिस्तान तथा चीन के साथ भारत के संबंध कुछ तनावपूर्ण अवश्य हैं किंतु अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, जर्मनी, आस्ट्रेलिया, जापान, इजरायल सहित कई बड़े देशों के साथ हमारे संबंध और मजबूत हुए हैं। उरी, पठानकोट तथा अन्य पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ भारत ने वर्ष 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक किया। वर्ष 2019 में पुलवामा में पाकिस्तानी आतंकवादी समूह जैश–ए–मोहम्मद द्वारा किए गए आत्मघाती हमले में मारे गए 46 जवानों की मौत का बदला लेते हुए हमारी सेना ने पीओके स्थित बालाकोट पर एयर स्ट्राइक कर दिया और 300 आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा। भारत धैर्य रखना जानता है, लेकिन डरता नहीं है और इसीलिए आतंकवाद के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ता है और जीतता भी है। पाताल से लेकर आकाश की बुलंदियों तक ब्रम्हांड का शायद ही कोई कोना हो जहां भारतीय तिरंगा शान से न लहरा रहा हो।

इसके विपरीत कुछ ऐसी सच्चाई भी है, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भूख, कुपोषण, गरीबी, असमानता, बढ़ती आबादी, बेरोजगारी, किसानों की आत्महत्या, बिगड़ती कानून व्यवस्था, भीड़ हिंसा, नक्सलवाद, आतंकवाद, जातिवाद, वंशवाद, लिंगभेद, भाषायी विभेद, क्षेत्रवाद एवं साम्प्रदायिकता की समस्या से देश अभी भी पूरी तरह से उबर नहीं पाया है। हमारे देश में हर व्यक्ति निजी स्तर पर कानून से डरता है लेकिन भीड़ का हिस्सा बनते ही वह कानून को अपनी जेब में समझने लगता है। तारीख पे तारीख, अदालत–अदालत के खेल में उलझी न्याय प्रक्रिया के कारण बहुत से लोगों को लगता है कि न्याय अन्याय का ही साथ दे रही है। गरीबी एवं अशिक्षा के कारण भारत में जनसंख्या न केवल बढ़ रही है बल्कि यह विकराल रूप लेती जा रही है। देश की खुशहाली, प्रगति, औद्योगिक विकास, आर्थिक उन्नति को बढ़ती हुई जनसंख्या बाधित कर रही है।

केन्द्र सरकार इन समस्याओं को अपने मूल मंत्र 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के साथ कड़ी चुनौती दे रही है। सरकार ने कठिन चुनौतियों को अवसरों में बदला है। युवा देश होने के नाते हम अपनी चुनौतियों से उबरने में सक्षम और सबल हैं। प्रधानमंत्रीजी के अनुसार, 'हमारा युवा अब देश बदलना चाहता है। उसने तय किया है कि अब टाला नहीं जाएगा, अब टकराया जाएगा, निपटा जाएगा।' हमें इसमें सहभागी बनना चाहिए तथा विकास में सभी जातियों, धर्मों, समुदायों और वर्ग के लोगों की समान भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। सरकार में सबसे निचले स्तर पर भी ढांचे को बदलने, विभिन्न मंत्रालयों की स्कीमों को समेकित करने, वास्तविक प्रगति को मापने और समुदायों के विकास में उन्हें शामिल करने के प्रयास किए गए हैं। इन कदमों से आने वाले दशकों में भी भारतीय नागरिकों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण पर सरकार के प्रोत्साहन को देखते हुए यह माना जा रहा है कि हम मानव विकास सूचकांक के क्षेत्र में उत्तरोत्तर बेहतर परिणाम देख सकेंगे।

मोदी सरकार का एजेंडा स्पष्ट है और इसके तहत वह देश की पुरानी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। दूसरे कार्यकाल में मोदीजी अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए कहीं अधिक संकल्पबद्ध हैं। अनेक पुरानी समस्याओं का संविधान सम्मत समाधान करने में मोदी सरकार कामयाबी से आगे बढ़ रही है। अपने दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार ने विधायी कार्य शुरू कर दिए। तीन तलाक विधेयक को पारित कराकर मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभाव समाप्त कर उन्हें न्याय दिलाया। जब तीन तलाक देने वाले पतियों को दंडित करने वाला कानून बना तो मुस्लिम महिलाओं ने चैन की सांस ली और उन्होंने एक नई आजादी का एहसास किया। अब कई मुस्लिम महिलाओं के टूटे घर फिर से आबाद होने लगे हैं।

अयोध्या में राम जन्मभूमि पर एक अत्यंत भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए सरकार ने विशेष पहल की और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से मंदिर बनने का रास्ता प्रशस्त हुआ। अपने आराध्य के जन्म स्थान का विवाद हिंदुओं के हृदय में पांच सौ साल तक शूल बना रहा। श्री राम अपने जन्म स्थान की लड़ाई लड़ रहे थे। चित्त में आह्लाद, भक्ति और वात्सल्य लाने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नाम क्रूर आक्रमणकारी बाबर के साथ जोड़ा जा रहा था। अयोध्या पर फैसला आने के बाद देशवासियों ने शांति और सौहार्द बनाए रखने की जो अनूठी मिसाल पेश की, वह भारतीय लोकतंत्र की मजबूती एवं ताकत का एक अहम प्रमाण है। स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर और मस्जिद का निर्माण शुरू होने पर दोनों पक्षों के लोग मिल–जुलकर योगदान करेंगे। यह भावना देश की साझी संस्कृति से मेल खाती है। राम मंदिर जब बनकर तैयार होगा तब वह न केवल भारत की सभ्यता के गौरव बल्कि लोकतंत्र एवं सौहार्द के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का भी प्रतीक होगा।

जम्मू एवं कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35ए हटाने के असंभव से दिखने वाले लक्ष्य को भी सरकार ने पूरा किया। यह इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि एक तरफ तो यह आतंक व अलगाव को जन्म दे रहा था और दूसरी तरफ कश्मीर के लोगों में भेदभाव कर रहा था। एक मजबूत और इरादों के प्रति दृढ़ सरकार ही ऐसे निर्णय ले सकती है। अनुच्छेद 370 और 35ए की समाप्ति के साथ जम्मू–कश्मीर को दो हिस्सों में विभाजित कर दो नए केन्द्र शासित क्षेत्र (जम्मू–कश्मीर और लद्दाख) बनाना 'एक देश, एक विधान, एक निशान' की संकल्पना को साकार करना है। इससे कश्मीर में निचले स्तर पर लोकतंत्र की बहाली तो हुई ही, सरकार की योजनाओं को जरूरतमंदों तक पारदर्शी ढंग से पहुंचाना भी सरल और सुगम हुआ है। अब कश्मीर के लोग उन सभी अधिकारों एवं सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं जो देश के दूसरे क्षेत्र के नागरिकों को मिलती हैं। सरकार ने जम्मू–कश्मीर में वर्षों के अलगाव को मिटाकर भारत की संप्रभुता को मजबूत किया है। कश्मीर जब सही मायने में देश की मुख्यधारा से जुड़ा तो देश के लोगों ने संतोष का भी अनुभव किया और यह आस भी करनी शुरु कर दी कि अब जल्दी ही पूरा कश्मीर भारत के पास होगा। जो समस्या दशकों पुरानी हो जाए उसके हल होने की उम्मीद खत्म हो जाती है तथा जनता इसे कोरी चुनावी आश्वासन मानने लगती है। किंतु सरकार ने धड़ाधड़ ये सारे मुद्दे सुलझा दिए और जनता की उम्मीदों पर खड़ी उतरी। पिछले आठ महीने में सरकार ने जो और जितना किया है उसकी छह दशक से भी ज्यादा समय से प्रतीक्षा थी।

मोदी सरकार दबाव में न झुकने और नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए जानी जाती है। सरकार ने तमाम विरोध को दरकिनार कर शरणार्थियों की पीड़ा को दूर करने के लिए नागरिकता संशोधन कानून 2019 (सीएए) को अधिसूचित कर दिया। सीएए में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में उत्पीड़न का शिकार हुए हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन और पारसी अल्पसंख्यक समुदाय के उन लोगों को विर्निदिष्ट तरीके से ही भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है, जो 31 दिसंबर, 2014 तक भारत आ गए थे। तीनों देशों में गैर–मुस्लिमों के साथ प्रताड़ना एवं भेदभाव के पर्याप्त प्रमाण हैं। इन लोगों की वहां क्या हालत है, इसका अंदाजा वहां उनकी तेजी से घटती जनसंख्या से हम लगा सकते हैं। यह अनायास नहीं कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, सरदार पटेल आदि महापुरुषों ने पूर्व में मजहबी आधार पर उत्पीड़ितों को भारत में शरण देने की पुरजोर वकालत की थी। वहां के अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने से इस अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति होती है। इसलिए यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता। सीएए संवैधानिक रूप से पूरी तरह वैध है। सीएए से किसी मौलिक अधिकार का हनन नहीं होता। सीएए में ऐसा कुछ भी नहीं है जो भेदभावपूर्ण हो। यह मुस्लिम विरोधी नहीं है। वे भी नागरिकता कानून के एक अलग प्रावधान से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं।

भारत वह देश है जहां दुनिया के हर हिस्से में प्रताड़ित लोगों को न केवल शरण मिली बल्कि स्वतंत्रता और सम्मान के साथ जीवनयापन की सुविधा भी मिली। यह सुविधा आज भी उपलब्ध है, लेकिन हर देश को अपने हितों की भी चिंता करनी होती है। सीएए उन वैश्विक मापदंडों के अनुकूल है जो यह रेखांकित करते हैं कि धार्मिक उत्पीड़न के शिकार शरणार्थी स्वाभाविक तौर पर उन लोगों के मुकाबले कहीं अधिक प्राथमिकता पाने के हकदार हैं जो आर्थिक कारणों से किसी देश आते हैं। इसे मुस्लिम, गैर–मुस्लिम बनाने की बजाय इसे गैर–प्रताड़ित और प्रताड़ित मानने की जरूरत है। इसमें

नागरिकता देने का प्रावधान है, किसी से छीनने का नहीं। यह धर्म, जाति, पंथ, संप्रदाय के आधार पर किसी भी भारतीय नागरिकों के अधिकारों को न तो चुनौती देता है और न ही इसमें कोई बदलाव करता है। नागरिकता संशोधन कानून का तो किसी भारतीय नागरिक से कोई लेना–देना ही नहीं है। यह ऐतिहासिक रूप से प्रताड़ना एवं भेदभाव के शिकार हुए लोगों को उनका अधिकार देता है। सीएए मानवाधिकारों एवं मानवीय मूल्यों को बनाए रखने की पुष्टि करता है। सीएए के मुद्दे पर सरकार को किसी दवाब में नहीं आना चाहिए। सीएए लागू होने का असर दिखने लगा है। घुसपैठिए भारत छोड़कर भाग रहे हैं। किंतु विरोधियों ने अपने विरोध के दायरे को बढ़ाते हुए स्वकल्पित राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनआरसी) को भी लपेट लिया है जबकि सीएए को एनआरसी के साथ जोड़ने के संबंध में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 22 दिसंबर, 2019 को स्पष्ट कर दिया था कि सरकार ने एनआरसी पर कोई चर्चा नहीं की है। एनआरसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप केवल असम तक ही सीमित है। आखिर जो कानून किसी भारतीय नागरिक के लिए है ही नहीं उसके विरोध का क्या औचित्य?

किंतु यह दुखद है कि किसी सरकारी नीति, योजना या फैसला से अगर कुछ लोग सहमत नहीं होते हैं तो वे चक्का जाम, उग्र प्रदर्शन, उपद्रव, हिंसक आंदोलन, देश विरोधी नारे का सहारा लेने लगते हैं। इससे आम नागरिकों को तमाम परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, देश को आर्थिक नुकसान होती है एवं विदेशों में हमारी छवि भी खराब होती है। यह कितना उचित है कि जिस मसले पर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाए उसी को लेकर सड़कों पर भी उतर आया जाए। संसद से पारित कानून को सड़क पर खारिज करने की जिद अराजकता है। देश के हर कानून की संवैधानिकता अंततः सर्वोच्च न्यायालय से ही तय होती है, लिहाजा सभी पक्षों को उसकी व्याख्या का इंतजार करना चाहिए।

वास्तविकता यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात लगभग सात दशकों तक हमारा देश एक बने बनाये ढर्रे पर चलने का अभ्यस्त हो गया था परंतु बीते कुछ सालों में लकीर का फकीर बने रहने की अपेक्षा नये नेतृत्व ने स्वतंत्र एवं साहसिक निर्णय लेना शुरू किया। किंतु देश के एक छोटे वर्ग ने इसे सीधे अपने हितों पर चोट माना। बेशक कभी विश्व का सिरमौर रहा हमारा देश एक बार फिर बदलाव के दौर से गुजर रहा है। बदलाव के दौर में विरोध अस्वाभाविक नहीं है परंतु देश का अहित करने वाला विरोध सर्वथा अनुचित है। हालांकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। किंतु कोई भी अधिकार कर्तव्य से मुक्त नहीं है और न ही स्वच्छंद। मौलिक अधिकारों की तरह ही संविधान के भाग–4क में शामिल मौलिक कर्तव्य भी महत्वपूर्ण हैं। संविधान का पालन, देश की एकता–अखंडता की रक्षा, प्रभुसत्ता का सम्मान, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से इसे बचाना, सांप्रदायिक सौहार्द, विधि का शासन स्थापित करने में सरकार का सहयोग हर नागरिक का संवैधानिक दायित्व भी है। हम मौलिक अधिकारों के प्रति तो सचेत हैं किंतु मौलिक कर्तव्यों के प्रति उदासीन, यह उचित नहीं है। मौलिक अधिकारों एवं मौलिक कर्तव्यों में संतुलन बनाना जरूरी है।

जन–कल्याण, राष्ट्रीय स्वाभिमान एवं देशहित में लिए गए किसी फैसले से किसी का अहित कैसे हो सकता है? इसलिए हम चाहे किसी भी विचारधारा, जाति–धर्म के हों, हम तमाम मतभेदों के साथ भी सहिष्णु रहकर समाज और देश के लिए समवेत रूप से कार्य कर सकते हैं। कायदे से भारत के सभी नागरिक एक कौम हैं। साथ–साथ रहना, उन्नति करना, राष्ट्रीय समृद्धि में वृद्धि करना, समृद्धि में भागीदार बनना और संविधान के अनुशासन में रहना हम सबकी नियति है। जब दंगे और हिंसा के बावजूद साथ–साथ रहना ही हम सबकी नियति है तो आखिर सांप्रदायिक आक्रामकता का क्या मतलब है?

राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र के लिए जीना, काम करना तथा सर्वस्व समर्पण करना हर नागरिक का कर्तव्य है। आखिर जन्मभूमि से बढ़कर और है भी क्या? ठीक ही कहा गया है 'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी' अर्थात माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। किंतु दुर्भाग्यवश कुछ भटके हुए लोग सरकार के विरोध में आजादी तक के नारे लगाने लगते हैं, जो किसी के भी हित में नहीं है। कवि श्री उदय प्रताप सिंह ने ठीक ही कहा है, 'चाहे जो हो धर्म तुम्हारा, चाहे जो वादी हो, नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो अपराधी हो।' इस संदर्भ में हमारी भारतीय चिंतन पद्धति मार्गदर्शक है। ऋग्वेद में उल्लिखित है, 'संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम, देवा भागं यथा पूर्वे सज्जानाना उपासते'। अर्थात हमसब एकसाथ आएं, आपस में बात करें, एक दूसरे को समझें। यही आचरण वंदनीय और श्रेष्ठ है। देश में आपसी सद्भाव एवं शांति का माहौल रहेगा तभी देश का चहुमंखी विकास हो सकेगा। बदहाल कानून–व्यवस्था, गरीबी, भ्रष्टाचार तथा आतंकवाद से रक्तरंजित मजबूर भारत आज सशक्त भारत है। सरकार भी मजबूत एवं निडर है। आखिर पहले ऐसा कब हुआ था कि पथराव–आगजनी करने वाले आकर कहें कि यह लीजिए जुर्माना, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। केन्द्र सरकार के सभी फैसलों का महत्वपूर्ण सिद्धांत और भावना 'इंडिया फर्स्ट' रही है। 'सबका साथ सबका विकास' के व्यापक विजन के साथ सरकार अपने सभी अहम मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने और इसके साथ ही 'सबका विश्वास' हासिल करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। निस्संदेह किसी भी देश का शासन–प्रशासन सरकारी तंत्र के जरिये ही संचालित होता है, लेकिन देश बनता और संवरता है आम लोगों के सहयोग और समर्पण भाव से। वर्ष 2019 में हमने काफी प्रगति हासिल की है। उम्मीद है कि नववर्ष 2020 हमारे जीवन को और सशक्त बनाएगा।

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा द्वारा हिंदी पखवाड़ा – 2019 का आयोजन

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा द्वारा 16–30 सितंबर 2019 के दौरान हिंदी पखवाड़ा – 2019 का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया गया। 16 सितंबर 2019 को हिंदी पखवाड़ा के शुभारंभ पर संस्थान के महानिदेशक डॉ. एच. श्रीनिवास ने सभी संकाय सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने का आह्वान किया। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह को देखते हुए इस वर्ष हिंदी पखवाड़ा गांधी जी को समर्पित किया गया तथा प्रत्येक प्रतियोगिता में महात्मा गांधी के आदर्शों एवं गांधीवादी दर्शन से संबंधित विषयों पर प्रश्न पूछे गए। हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संस्थान में हिंदी पखवाड़ा के दौरान आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं की जानकारी वरिष्ठ हिंदी अनुवादक श्री बीरेन्द्र सिंह रावत द्वारा दी गयी। उद्घाटन समारोह के दौरान संस्थान की राजभाषा पत्रिका ''श्रम संगम'' के नौवें अंक का लोकार्पण भी किया गया।

हिंदी पखवाड़े के दौरान कुल सात प्रतियोगिताएँ आयोजित की गयीं तथा इन प्रतियोगिताओं में संस्थान के संकाय सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों सहित कुल 43 लोगों ने हिस्सा लिया और इनमें से 25 सदस्य कोई न कोई पुरस्कार हासिल करने में सफल रहे। सामान्य टिप्पण एवं आलेखन प्रतियोगिता में श्री नरेश कुमार ने प्रथम, श्री राजेश कुमार कर्ण ने द्वितीय एवं श्री विजय कुमार ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। सुलेख एवं श्रुतलेख प्रतियोगिता में श्री सत्यवान ने प्रथम, श्री कृष्ण कुमार व श्री दिलीप सासमल ने द्वितीय एवं श्री जगत सिंह ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। निबंध एवं पत्र–लेखन प्रतियोगिता में श्रीमती रुचिका चौहान ने प्रथम, श्री राजेश कुमार कर्ण ने द्वितीय एवं श्री नीरज शर्मा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। गैर–हिंदी भाषी प्रतियोगियों में डॉ. ओतोजीत क्षेत्रिमयूम ने प्रथम एवं श्रीमती सुधा गणेश ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। सस्वर काव्य पाठ/गीत/गजल प्रतियोगिता में डॉ. एलीना सामंतराय ने प्रथम, श्रीमती प्रियंका स्वामी ने द्वितीय एवं श्री सतीश कुमार ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। हिंदी टंकण एवं वर्ग पहेली प्रतियोगिता में श्री नरेश कुमार ने प्रथम, श्रीमती मोनिका गुप्ता ने द्वितीय एवं श्रीमती रुचिका चौहान ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। राजभाषा एवं सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में श्रीमती मोनिका गुप्ता ने प्रथम, श्रीमती पिंकी कालड़ा ने द्वितीय एवं श्रीमती गीता अरोड़ा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। त्वरित भाषण प्रतियोगिता में डॉ. रम्य रंजन पटेल ने प्रथम, डॉ. हेलन आर. सेकर ने द्वितीय एवं श्री प्रकाश मिश्रा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक प्रतियोगिता में प्रोत्साहन पुरस्कारों का भी प्रावधान किया गया था।

महात्मा गाँधी की 150वीं जयंती समारोह के उपलक्ष्य में स्कूली बच्चों के लिए 28 सितंबर 2019 को एक चित्रकारी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता शुरू करने से पहले डॉ. हेलेन आर. सेकर, सीनियर फेलो ने प्रतिभागियों और उनके माता–पिता/अभिभावकों को महात्मा गांधी के विशाल कार्यों के बारे में बहुत ही सूक्ष्म तरीके से अवगत कराया। यह प्रतियोगिता तीन श्रेणियों (कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 8, तथा कक्षा 9 से 12 में पढ़ने वाले बच्चे) में आयोजित की गयी तथा प्रत्येक श्रेणी में दो पुरस्कार रखे गये थे।

पुरस्कार विजेता बच्चों के नाम इस प्रकार हैं:

कक्षा 1 से 5: प्रथम पुरस्कार – मा. अद्विक स्वामी (सुपुत्र श्रीमती प्रियंका)

द्वितीय पुरस्कार – मा. कृष सासमल (सुपुत्र श्री दिलीप सासमल)

कक्षा 6 से 8: प्रथम पुरस्कार – कु. प्रशिता स्वामी (सुपुत्री श्रीमती प्रियंका)

द्वितीय पुरस्कार – मा. अमन कुमार (सुपुत्र श्री नरेश कुमार)

कक्षा 9 से 12: प्रथम पुरस्कार – मा. अभिषेक श्रीवास्तव (सुपुत्र श्री ए. के. श्रीवास्तव)

सभी विजयी प्रतिभागियों के साथ ही केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्ष 2019 में आयोजित 12वीं की परीक्षा

में हिंदी में उत्कृष्ट अंक (92 प्रतिशत) प्राप्त करने पर कु. निकिता यादव (सुपुत्री श्री राधेश्याम यादव) को हिंदी प्रतिभा पुरस्कार योजना के तहत हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह के अवसर पर 30 सितंबर 2019 को संस्थान के महानिदेशक डॉ. एच. श्रीनिवास द्वारा पुरस्कृत किया गया। उन्होंने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई देने के साथ–साथ राजभाषा हिंदी के प्रचार–प्रसार को बढ़ावा देने के संबंध में अपने विचार रखे तथा सभी संकाय सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग का आह्वान किया।

आँखें

डॉ. एलीना सामंतराय*

यह है एक दूसरा दिन
घड़ी ने आठ बजाए
मैं गहरी निंद्रा से जागी
मानो मैं पिछली रात सो ही न सकी
मेरी आँखें अनिंदि तथा कुछ भरी–सी थी
मानो उन्होंने जीवन की कुछ
अनचाही चीजों को देख लिया,
पीड़ा, अत्याचार, घृणा और अनेकों भेदभाव।

उन्हें वहाँ से हटाने की कोशिश की मैंने
एक ऐसी दुनिया में ले जाने की कोशिश
कि जहाँ प्यार, सम्मान और आदर हो
पर आश्चर्य! ऐसा लगा जैसे वह जीवन की
इन कठोर सच्चाइयों को देखने की अभ्यस्त है
हाँ, ऐसा गला कि वे जीवन की
कठोर सच्चाइयों को देखने की थीं अभ्यस्त।

एक क्षण के लिए मैंने बंद कर ली आँखें
और अतीत की गहरी यादों में खो गयी
मैंने स्वयं को एक इठलाती, चुलबुली
लड़की के रूप में पाया
जो सदैव आगे की ओर बढ़ने को उत्सुक
जिंदगी को एक ही छलांग में नाप लेने को उत्सुक।

हे ईश्वर! कितनी सुदर यादें,
जब मेरी इन सरल, निश्छल आँखों ने
जीवन की इन कठोर सच्चाइयों को देखा नहीं था
लेकिन आज यह सरल आँखें
जीवन के कटु सत्य को देखकर भारी हो उठी हैं
करती हैं यह मुझसे सवाल
क्यों नफरत से भरी इस दुनिया में
कुछ होते हैं विशेष और कुछ होते हैं वंचित
आज फिर भारी हो उठी हैं आँखें।

मेरी यह दो सरल सुदर आँखें
समय के साथ परिपक्व हुईं
और इन सूनी आँखों में
दुख और घृणा का सागर तैरने लगा
आज वे पुराने दिन चले गए,
जब ये दो आँखें खुशी से चमकती थीं।

आज आया फिर एक और दिन
जब मैं दुख से भरी हुई
इन दो आँखों के साथ जागी
ऐसा पहले कभी नहीं था
हे ईश्वर! मैं करूँ प्रार्थना
ऐसी दुख से भरी हुई इन आँखों को
फिर कभी न खोलूँ
सदा के लिए बंद मैं कर लूँ,
सदा के लिए बंद मैं कर लूँ।

* *फेलो, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

अरे अभागा घिसा कपाल

प्रकाश मिश्रा*

ऐसी आग लगी दहेज की सब
लड़कों का हाल हुआ बेहाल
तेरा क्या होगा रे रामू
अरे अभागा घिसा कपाल

बोल रहे थे ना शादी कर लो, कर लो
बड़े मोल भाव किए पिछले साल
अरे एमबीए, एमसीए, बीसीए, सीए
सब टुक–टुक देखें बीच बाजार।
तेरा क्या होगा रे रामू
अरे अभागा घिसा कपाल।

शादी यदि व्यापार समझोगे
तो मंदी रहेगी सालों साल
दुल्हन का सपना दिल मे रख
कर जाओगे अन्तिम निवास
तेरा क्या होगा रे रामू
अरे अभागा घिसा कपाल।

पांचाली प्रमाण शास्त्र में
फिर होगा वही व्यवहार
संभल जाओ ओ पुरूष समाज
अगर नारी का सन्मान नहीं
तो लेगी व कालिका अवतार
तब तेरा क्या होगा रे रामू
अरे अभागा घिसा कपाल।

क्यों सौदा करता है अपना
भेड़ बकरा बैलों के समान
श्वेत आतंकी बन बैठा है
बिगड़ रहा है लिंग अनुपात
अब समलैंगिक मे शादी होगी
तब बसेगा घर परिवार
तेरा क्या होगा रे रामू
अरे अभागा घिसा कपाल।

बेटा देकर बेटी बदलेगा
जैसे बदले कृष्ण भगवान
बेटी चढ़ेगी घोड़ी पर
तुम बैठोगे डोली कहार
अरे उस के नाम से ही पहचान मिलेगी
जग बोलेगा इस नारी की ये संतान
तेरा क्या होगा रे रामू
अरे अभागा घिसा कपाल।

* अकाउंट एसोसिएट, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

अनकही बातें

डॉ. पूनम एस. चौहान*

तुम चले गये,
रह गईं अनकही बातें।
दिल में ख्याल मचल गये,
रह गयी प्यार की सौगातें।

बहुत कुछ कहना चाहते हैं हम,
पर तुमसे कह नहीं पाते।
तुम्हारे ही होकर रहना चाहते हैं हम,
पर दिल ही में रह जाती हैं अनकही बातें।

जब दूर जाते हो तुम,
बस मर ही जाते हैं हम।
भुला कर सब रिश्ते–नाते,
चाह कर भी, कह नहीं पाते अनकही बातें।

इस अनूठे मनमोहक मौसम में,
दूरियाँ दे जाती हैं चुभन हृदय में।
कैलेंडर पर ही नज़र जाती है आते जाते,
इसी प्रतीक्षा में कि कब होंगी वो अनकही बातें।

इस अनूठे प्रेम को क्या नाम दूँ
मुझे चाहने के लिए, तुम्हें क्या इनाम दूँ।
काश! तुम्हे समझा पाते
हृदय में बसी अनकही बातें।

समझो न मेरे दिल का राग
कैसे दिखाएं दिल के दाग
निगाहें नहीं थकती, दिन गिनते–गिनते
अब कैसे कहूँगी वो सारी अनकही बातें।

* भूतपूर्व वरिष्ठ फेलो, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

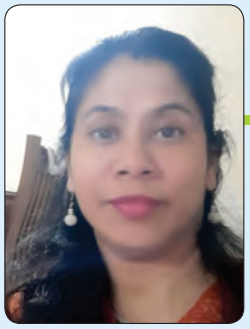

आओ उसे फिर स्मरण कर लें

प्रियंका स्वामी*

ऐ मातृभूमि ..... तूझे शत् शत् नमन कर लें
जो मिला था महापुरुष हमें, आओ उसे फिर स्मरण कर लें।
आओ मिलकर दीप जलाएं, उनकी 150वी वर्षगांठ मनाएं
नाम था जिनका "गांधी", पर बापू वह कहलाये ।।
आओ उसे फिर स्मरण कर लें.....

हाड़– मांस का पुतला थे, थे वो व्यावहारिक गुणवान
न जाने कौन सा रूप थे, थे जनता के भगवान।
सीधा सादा जीवन था उनका, थे अहिंसा के पुजारी वो
आँख के बदले आँख दिखाना, था नहीं स्वीकार उनको।।
आओ उसे फिर स्मरण कर लें.....

अपने लिए कब थे जिये वो, था देश पर जीवन कुर्बान
खादी धोती, चश्मा और लाठी थी उनकी पहचान।
साबरमती के संत थे, ओढ़ा था भक्ति का चोला
सबक अहिंसा का सिखाकर, नैनों से पर्दा खोला।।
आओ उसे फिर स्मरण कर लें.....

न तलवार से, न गोलियों की बौछार से
आजादी दिला गए अपने कुशल व्यावहार से।
करके विरोध विदेशी वस्त्रों का, थामा हाथ चरखे का
सत्य, अहिंसा के पुजारी इतिहास रचा गए।।
आओ उसे फिर स्मरण कर लें .....

क्या हिन्दू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई
लेकर साथ सभी को अंग्रजों को धूल चटाई।
दो सौ वर्ष तक राज किया, वो अंग्रेज भी घबराए थे
देख एकता..... राष्ट्र छोड़....फिर वापस न आए थे।।
आओ उसे फिर स्मरण कर लें.....

* अकाउंट एसोसिएट, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा

मेरी अभिलाषा

ओम प्रकाश सैन*

मैंने अपने भारत को बहुत करीब से देखा है।
मेहनत की रोटी खाकर सोते गरीब को देखा है।
जनगणमन की धुन पर मन में सैलाब उमड़ते देखा है।
फौजी की हिम्मत देख सर्द तूफान कांपते देखा है।
अहिंसा के पुजारी के आगे शीषों को नवते देखा है।
ईद, दिवाली, क्रिसमस पर सब धर्मों को मिलते देखा है।
एक बुजुर्ग के उपवास से सिंहासन हिलते देखा है।
वोट की ताकत के दम पर तख्तोताज़ पलटते देखा है।
खेलों में भी भारत को इतिहास को रचते देखा है।
भारत की बेटी को हमनें अंतरिक्ष में उड़ते देखा है।
अनपढ कबीर के दोहों पर पीएच.डी. करते देखा है।
भारत की प्रतिभा का संसार में लोहा मनते देखा है।
इंटरव्यू पर जाती बेटी को मीठा दही खिलाते देखा है।
बेटे की शहादत पर माँ को गर्व से मुस्काते देखा है।
बेटी की विदाई पर पिता को चुपचाप सुबकते देखा है।
बच्चों को खिलाकर सोती माँ को करवटें बदलते देखा है।
भूखे फकीर को भी पहले कुत्तों को खिलाते देखा है।
घर आए मेहमान को अपना कंबल देकर सुलाते देखा है।
विदेशियों को भी भागवद्, गीता, रामायण पढ़ते देखा है।
कान्हा की भक्ति और होली के रंग में रंगते देखा है।
मैंने मेरे देश में गाय, पेड़, पत्थर को पुजते देखा है।
इसके संस्कारों के आगे संसार को झुकते देखा है।
जो बरसों पहले होता था वो फिर आज देखना चाहता हूँ।
मैं अपने भारत में फिर से सुराज देखना चाहता हूँ।
देश पर मर मिटने वाले वो भगत देखना चाहता हूँ।
तुलसी, कबीर, रैदास से वो सन्त देखना चाहता हूँ।
भारत के नेता में फिर से ईमान देखना चाहता हूँ।
सलाखों के पीछे सारे बेईमान देखना चाहता हूँ।
नालंदा, तक्षशिला से शिक्षा संस्थान देखना चाहता हूँ।
बच्चों में मूल्यों के ऊँचे प्रतिमान देखना चाहता हूँ।
माता–पिता की सेवा करे वो श्रवण देखना चाहता हूँ।
तन–मन–धन से देश सेवा का प्रण देखना चाहता हूँ।
हर युवक को अपने पैरों पर खड़ा देखना चाहता हूँ।
देश की प्रगति में कंधे से कंधा जुड़ा देखना चाहता हूँ।
बेटी के जन्म पर घर में हर्षोल्लास देखना चाहता हूँ।
भ्रूण हत्या जैसी बुराई का समूल नाश देखना चाहता हूँ।
नारी जिसकी अधिकारी है उसका सम्मान देखना चाहता हूँ।
हर एक क्षेत्र में उसे पुरुषों के समान देखना चाहता हूँ।
हर एक को मिलता रोटी, कपडा, मकान देखना चाहता हूँ।
हर दलित के चेहरे पर आत्मसम्मान देखना चाहता हूँ।
मैं अपने भारत को कर्ज़ से मुक्त देखना चाहता हूँ।
धन–धान्य और सम्पदा से युक्त देखना चाहता हूँ।
मैं हर भारतवासी को तन्दुरुस्त देखना चाहता हूँ।
बुरी नजर जो देश पर डाले उसे पस्त देखना चाहता हूँ।
सारे विश्व में अपने भारत की ऊँची शान देखना चाहता हूँ।
अगले जन्म में फिर खुद को इसकी संतान देखना चाहता हूँ।

* प्रशिक्षणार्थी, केन्द्रीय श्रम सेवा इंडक्शन कार्यक्रम (नवम्बर 4 – दिसम्बर 13, 2019), वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान तथा वर्तमान में भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, मायापुरी, नई दिल्ली में श्रम कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय) के रूप में पदस्थ

दृढ़ निश्चय से बड़े विवाद का समाधान

बीरेन्द्र सिंह रावत*

घर, दफ्तर, समाज हो या फिर देश–दुनिया, हर जगह किसी–न–किसी रूप में हमारा सामना विवादों से होता ही रहता है। इनकी वजहें कुछ भी हो सकती हैं। परंतु कुछ विवाद उपेक्षणीय होते हैं तो कुछ इतने बड़े कि संबंधित पक्षों द्वारा अपने–अपने मत पर अड़े रहने के कारण इनके समाधान में वर्षों लग जाते हैं या फिर सदियां भी गुजर जाती हैं। जब विवाद दो विभिन्न समुदायों के मध्य धार्मिक भावनाओं के आधार पर हो तो यह और भी बड़ा एवं जटिल हो जाता है तथा शासन–प्रशासन के साथ–साथ न्यायपालिका भी संबंधित पक्षों द्वारा इसके समाधान की स्वीकार्यता के प्रति सशंकित रहती है। इस प्रकार हर कोई निर्णय देने से बचने की कोशिश में लगा रहता है। ऐसा ही एक विवाद था – रामजन्म भूमि–बाबरी मस्जिद विवाद। इस विवाद में दोनों समुदायों, हिंदू और मुस्लिम के अलग–अलग अनेक पक्षकार होने की वजह से यह विवाद और भी जटिल बन गया था। धर्म–निरपेक्ष देश भारत में, जहाँ हर बात को विभिन्न समुदायों और धार्मिक–राजनैतिक वर्गों के अनेकों व्यक्तियों द्वारा सांप्रदायिकता के चश्मे से देखा जाता है, इस विवाद के समाधान की संभावना समय के साथ क्षीण होती जा रही थी। परंतु नवंबर 2019 में उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन माननीय मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई के दृढ़ निश्चय से इस बहुत ही जटिल विवाद का समाधान हो पाया।

आईये, अब सबसे पहले इसके संक्षिप्त इतिहास पर दृष्टिपात करते हैं। ऐसा माना जाता है कि सन् 1528 में भारत के प्रथम मुग़ल सम्राट बाबर के आदेश पर एक मस्जिद का निर्माण उसके सेनापति मीर बाकी द्वारा अयोध्या में कराया गया था और मीर बाकी ने इसका नाम बाबरी मस्जिद रखा, जबकि हिंदुओं के पौराणिक ग्रंथ रामायण और रामचरित मानस के अनुसार यहां भगवान राम का जन्म हुआ था। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच इस जमीन को लेकर पहली बार विवाद हुआ सन् 1853 में हुआ और इस बात के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं कि 325 साल तक इस जगह मुस्लिमों ने नमाज पढ़ी या फिर यह जगह उनके नियंत्रण में थी। सन् 1859 में ब्रिटिश सरकार ने इस विवाद की जटिलता को ध्यान में रखते हुए विवादित स्थल पर बाड़ लगा दी और एक निर्णय दिया जिसके अनुसार परिसर के भीतरी हिस्से में मुसलमानों को और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति मिली। सन् 1934 में इस मामले को लेकर दंगे हुए थे। 30 मार्च 1946 को एक विचारण न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि बाबरी मस्जिद सुन्नी समुदाय की संपत्ति है। सन् 1949 में अन्दर के हिस्से में भगवान राम की मूर्तियां पाई गईं। ऐसा कहा गया कि ये मूर्तियाँ हिंदुओं ने वहाँ रखवाईं थीं। दोनों पक्षों ने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। सरकार ने इस स्थल को विवादित स्थल घोषित करते हुए इसके गेट में ताला लगा दिया। सन् 1986 में फैजाबाद के जिला न्यायाधीश ने विवादित स्थल को हिंदुओं की पूजा के लिए खोलने का आदेश दिया। मुस्लिम समुदाय द्वारा विरोध में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया। सन् 1989 में विश्व हिंदू परिषद द्वारा विवादित स्थल से सटी जमीन पर राम मंदिर निर्माण की मुहिम शुरू की गयी। राम मंदिर निर्माण हेतु चले आंदोलन के दौरान 06 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के गुंबद अनियंत्रित जन–समूह द्वारा गिरा दिए गए और इसके परिणामस्वरूप देशव्यापी दंगों में दुर्भाग्यवश करीब दो हजार लोगों की जानें गईं। उसके दस दिन बाद 16 दिसम्बर 1992 को तत्कालीन भारत सरकार ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले की जाँच करने हेतु लिब्रहान आयोग गठित किया। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एम. एस. लिब्रहान को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। लिब्रहान आयोग को 16 मार्च 1993 को यानि तीन महीने में रिपोर्ट देने को कहा गया था, लेकिन आयोग ने रिपोर्ट देने में 17 साल लगा दिए। इस दौरान जांच आयोग का कार्यकाल 48 बार बढ़ाया गया। लिब्रहान आयोग के कार्यकाल को अंतिम बार तीन महीने अर्थात् 30 जून 2009 तक के लिए 01 अप्रैल 2009 को बढ़ाया गया और 30 जून 2009 को

* *वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

लिब्रहान आयोग ने चार भागों में 700 पन्नों की रिपोर्ट प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और गृह मंत्री पी. चिदंबरम को सौंपी।

इस बीच भारत सरकार ने एक कानून के द्वारा अप्रैल 1993 में 2.77 एकड़ की विवादित जमीन को छोड़कर शेष 67 एकड़ की गैर–विवादित जमीन का अधिग्रहण कर लिया। केंद्र सरकार के इस अधिग्रहण को सुप्रीम कोर्ट में मोहम्मद इस्माइल फारुकी नामक एक शख्स द्वारा चुनौती दी गयी। मगर कोर्ट ने इस चुनौती को यह कहकर ख़ारिज कर दिया कि केंद्र सिर्फ इस जमीन का संग्रहक है। जब मलिकाना हक़ का फैसला हो जाएगा तो मालिकों को जमीन लौटा दी जाएगी। उच्चतम न्यायालय ने फिर सन् 1994 में अपने एक फैसले में कहा था कि 'मस्जिद इस्लाम धर्म की पूजा का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और नमाज कही भी, यहाँ तक कि खुले में भी अदा की जा सकती है।' इसके बाद सन् 1996 में राम जन्मभूमि न्यास ने केंद्र सरकार से यह जमीन माँगी लेकिन सरकार द्वारा उनकी यह माँग ठुकरा दी गयी। इसके बाद न्यास ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जिसे सन् 1997 में कोर्ट ने भी ख़ारिज कर दिया। सन् 2002 में जब गैर–विवादित जमीन पर कुछ गतिविधियां हुईं तो असलम भूरे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और अगले वर्ष (सन् 2003) इस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि विवादित और गैर–विवादित जमीन को अलग करके नहीं देखा जा सकता।

सन् 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने निर्णय सुनाया जिसमें विवादित भूमि को रामजन्मभूमि घोषित किया गया। न्यायालय ने बहुमत से निर्णय दिया कि विवादित भूमि जिसे रामजन्मभूमि माना जाता रहा है, उसे हिंदू गुटों को दे दिया जाए। न्यायालय ने यह भी कहा कि वहाँ से रामलला की प्रतिमा को नहीं हटाया जाएगा। न्यायालय ने यह भी पाया कि चूंकि सीता रसोई और राम चबूतरा आदि कुछ भागों पर निर्मोही अखाड़े का भी कब्ज़ा रहा है इसलिए यह हिस्सा निर्माही अखाड़े के पास ही रहेगा। दो न्यायाधीधों ने यह निर्णय भी दिया कि इस भूमि के कुछ भागों पर मुसलमान प्रार्थना करते रहे हैं इसलिए विवादित भूमि का एक तिहाई हिस्सा मुसलमान गुटों को दे दिया जाए। लेकिन हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्षों ने इस निर्णय को अस्वीकार करते हुए सन् 2011 उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। 09 मई 2011 को उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बहाल कर दी। इसके बाद उच्चतम न्यायालय में कई मुद्दों पर बहस हुई और उच्चतम न्यायालय ने निर्णय लिया कि 11 अगस्त 2017 से तीन न्यायधीशों की पीठ इस विवाद की सुनवाई प्रतिदिन करेगी। सुनवाई से ठीक पहले शिया वक्फ बोर्ड ने न्यायालय में याचिका लगाकर विवाद में पक्षकार होने का दावा किया और 70 साल बाद 30 मार्च 1946 के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी जिसमें मस्जिद को सुन्नी वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति घोषित कर दिया गया था। शिया वक्फ बोर्ड ने इस विवाद में पक्षकार होने का दावा यह कहकर किया कि बाबरी मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट बाबर, जो सुन्नी समुदाय से था, ने नहीं किया था बल्कि इसका निर्माण बाबर के सेनापति मीर बाकी, जो शिया समुदाय से था, ने किया था।

इस मामले की अंतिम सुनवाई शुरू करने हेतु 05 दिसंबर 2017 की तारीख उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा द्वारा तय की गयी। लेकिन मुस्लिम पक्षकारों के वकीलों ने कहा कि इतनी जल्दी क्या है? यह कोई साधारण जमीन विवाद नहीं है बल्कि इस मामले का भारतीय राजनीति के भविष्य पर असर होने वाला है अतः इस मामले की सुनवाई जुलाई 2019 के बाद होनी चाहिए। 05 दिसंबर 1917 को करीब डेढ़ घंटे की सुनवाई के बाद जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच ने अगली सुनवाई के लिए 08 फरवरी 2018 की तारीख तय करते हुए कहा था कि अब मामले की सुनवाई नहीं टाली जाएगी। इस दौरान तमाम पक्षकारों के वकील मामले से जुड़े सभी दस्तावेजों को पूरा करें। 27 सितंबर 2018 को उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में एक अहम फैसला सुनाया। उच्चतम न्यायालय ने सन् 1994 के फैसले को दोबारा विचार के लिए संवैधानिक बेंच भेजने से इनकार कर दिया। साथ ही, उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा था कि मामले का साक्ष्यों के आधार पर परीक्षण किया जाएगा न कि धार्मिक महत्व के आधार पर। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई ने अयोध्या मामले में जमीन विवाद से संबंधित मुख्य मामले की सुनवाई के लिए तीन के बजाय पाँच जजों के बेंच का गठन किया जिसमें जस्टिस

रंजन गोगोई के अलावा जस्टिस एस.ए. बोबडे, जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जस्टिस यू.यू. ललित और जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ शामिल थे। लेकिन जैसे ही 10 जनवरी 2019 को सुनवाई शुरु हुई सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील ने बताया कि बाबरी मस्जिद विध्वंस से संबंधित कल्याण सिंह मामले में जस्टिस यू.यू. ललित वकील के तौर पर पेश हुए थे। इस पर जस्टिस ललित ने इस मामले से अपने को अलग करने का निर्णय लिया। अब मुख्य न्यायाधीश ने जस्टिस यू.यू. ललित और जस्टिस एन.वी. रमन्ना की जगह जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर को शामिल करते हुए बेंच का पुनर्गठन किया और इस संवैधानिक बेंच ने 06 अगस्त 2019 से रोजाना सुनवाई का फैसला दिया और 06 अगस्त 2019 से 16 अक्तूबर 2019 तक 40 दिन नियमित सुनवाई की। 09 नवंबर 2019 को संवैधानिक पीठ ने 1045 पेजों में अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक बेंच के इस ऐतिहासिक फैसले के अनुसार विवादित स्थल पर मालिकाना हक रामलला विराजमान को मिला। इस फैसले के अनुसार केंद्र सरकार एक ट्रस्ट बनाएगी जो 2.77 एकड़ की विवादित जमीन पर मंदिर निर्माण करेगा; विवादित जमीन पर निर्मोही अखाड़े का दावा खारिज, लेकिन ट्रस्ट में प्रतिनिधित्व मिलेगा; सुन्नी वक्फ बोर्ड को नई मस्जिद के निर्माण हेतु सरकार अयोध्या में कहीं और 5 एकड़ जमीन देगी तथा शिया बोर्ड का दावा खारिज कर दिया गया। यह भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई का दृढ़ निश्चय ही था जो इस बहुत ही बड़े विवाद का समाधान ढूंढने में सफल रहा अन्यथा कुछ वकीलों ने नाना प्रकार की दलीलें पेश करते हुए इसमें अड़ंगा डालने की पुरजोर कोशिश की थी।

रामजन्म भूमि–बाबरी मस्जिद विवाद का समाधान ढूंढने के लिए चार बार मध्यस्थता की कोशिशें भी हुईं लेकिन कामयाबी नहीं मिल पायी। सबसे पहले सन् 1989 में अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के बाद सत्ता में आई वी.पी. सिंह सरकार ने इस विवाद का हल निकालने की पूरी कोशिश की थी परंतु सरकार गिर गई और समझौते की कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। इस विवाद के समाधान की दूसरी पहल सन् 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर द्वारा शुरु की गई लेकिन उनकी भी सरकार चली गई। हालांकि इस प्रयास को उसके बाद गठित नरसिम्हा राव की सरकार ने जारी रखा, लेकिन अंतिम हल तक नहीं पहुंचा जा सका। 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कांची पीठ के शंकराचार्य के जरिए भी इस विवाद को सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन इसमें में भी सफलता नहीं मिल पाई। उच्चतम न्यायालय ने 08 मार्च 2019 को उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एफ.एम. कलीफुल्ला की अध्यक्षता में एक तीन–सदस्यीय मध्यस्थता समिति गठित की थी, जिसे आठ हफ्ते में बातचीत से मामले का सर्वमान्य समाधान निकालना था। इस मध्यस्थता समिति में आध्यात्मिक गुरु श्रीश्री रविशंकर और वरिष्ठ वकील श्रीराम पांचू शामिल थे। उच्चतम न्यायालय ने 18 जुलाई 2019 को मध्यस्थता समिति से कहा कि वह एक अगस्त तक नतीजे पर अपनी रिपोर्ट पेश करे। रिपोर्ट देखने के बाद 02 अगस्त 2019 को मुख्य न्यायाधीश ने अपने ऑर्डर में कहा कि मध्यस्थता फेल हो गई है। ऐसे में संवैधानिक बेंच 06 अगस्त 2019 से रोजाना सुनवाई करेगी और फिर सुनवाई शुरु कर दी गयी।

उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के मामले में यह मामला कुल 40 दिन के साथ दूसरे स्थान पर है जबकि लगभग साढ़े चार दशक पूर्व केशवानंद भारती मामले में उच्चतम न्यायालय में सुनवाई 68 दिन चली थी। इस मामले के अनुसार केरल में एक इडनीर नामक स्थान पर 1200 साल पुराना हिंदू मठ है। नौवीं सदी के महान संत आदिगुरु शंकराचार्य के चार शुरुआती शिष्यों में से एक तोतकाचार्य की परंपरा में यह मठ स्थापित हुआ था और केरल और कर्नाटक में इसका काफी सम्मान है। मठ के प्रमुख को केरल के शंकराचार्य का दर्जा दिया जाता है और स्वामी केशवानंद भारती केरल के तत्कालीन शंकराचार्य थे। 19 साल की उम्र में संन्यास लेकर वह अपने गुरु की शरण में आए थे, लेकिन गुरु के निधन के बाद वहाँ के मुखिया बन गए। अब मामला यह था कि उस दौरान केरल सरकार ने दो भूमि सुधार कानून बनाए थे। इन कानूनों से मठ के प्रबंधन पर कई पाबंदियां लगाने की कोशिश हो रही थीं। केशवानंद भारती ने अदालत में सरकार की इन्हीं कोशिशों को चुनौती दी थी। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 26 का हवाला देते हुए अपील की कि देश के हर नागरिक को धर्म–कर्म के लिए संस्था बनाने, उनका प्रबंधन करने और इस सिलसिले में चल और अचल संपत्ति जोड़ने का अधिकार है। केशवानंद भारती का कहना था कि सरकार का

बनाया कानून उनके संवैधानिक अधिकार के खिलाफ है। केशवानंद ने संविधान संशोधन के जरिए अनुच्छेद 31 में प्रदत्त संपत्ति के मूल अधिकार पर पाबंदी लगाने वाले केंद्र सरकार के 24वें, 25वें और 29वें संविधान संशोधनों को भी चुनौती दी थी, लेकिन केरल हाईकोर्ट में मठ को कामयाबी नहीं मिली। आखिरकार यह मामला उच्चतम न्यायालय पहुंच गया। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई के लिए 13 जजों की एक बेंच बनाई थी। बेंच की अगुआई तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस. एम. सीकरी कर रहे थे और कुल 68 दिनों (31 अक्टूबर 1972 से 23 मार्च 1973) तक चली सुनवाई के बाद अंततः सुप्रीम कोर्ट ने 703 पेजों में अपना फैसला सुनाया। 13 जजों की पीठ में केवल एक वोट के अंतर से फैसला तय हुआ।

कहते हैं कि आदि भला तो अंत भला और अंत भला तो सब भला। अब, जबकि इस विवाद का ऐतिहासिक फैसला माननीय उच्चतम न्यायालय ने सुना दिया है, यह उम्मीद की जानी चाहिए कि दोनों समुदायों के लोग फैसले का सम्मान दिल से करेंगे व देश में सामाजिक सद्भाव के नए युग की शुरुआत होगी, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण सौहार्दपूर्ण माहौल में जल्द से जल्द होगा तथा देश के धार्मिक एवं राजनैतिक नेता अपनी ऊर्जा का सदुपयोग देश के सर्वांगीण विकास के लिए करेंगे। यह फैसला न केवल इस मामले में ऐतिहासिक रहा कि दशकों पुराने राजनैतिक रूप से बेहद संवेदनशील विवाद का फैसला संवैधानिक बेंच के पाँचों माननीय न्यायाधीशों ने एकमत से सुनाया अपितु उच्चतम न्यायालय के 69 वर्ष के इतिहास में पहली बार कोई फैसला शनिवार को सुनाया गया।

'हम तो फकत मजदूर हैं'

डॉ. संजय उपाध्याय*

मेरा बनाया सब जहां लेकिन हम ही मजबूर हैं,
देते कमाई सब तुम्हें हम तो फकत मजदूर हैं।

ऊंचे महल ओर ये अटारी, सब बनाये हैं मेरे,
करके नक्काशी बेल बूंटे से सजाये हैं मेरे।
बनाकर खुश्नुमा नक्शे निकाले हैं मकां कितने,
तिजोरी माल–धन रखने को बनाई सब गुप्त हमने।
मनाते ऐश तुम उनसे हम तो हुए मजबूर हैं,
देते कमाई सब तुम्हें हम तो फकत मजदूर हैं।

कुदाली और तसला ही हमारे दोस्त हैं, जानी,
सहारा इनका लेकर ही सजाया सब जहां फानी।
बनायी सब जमीं इक तल इन्हीं की है मेहरबानी,
यहीं हैं माँ और बाप मेरे यहीं हैं रोटी और पानी।
उगाया लाखों मन गल्ला, खिलाया सारी दुनिया को
बनायी रेल और सड़कें, निकाली नहरें पानी की।
बनाये बांध, पुल, खंदक निछावर जान अपनी करके,
हुई हैं लाखों विधवायें जवानी की रवानी पर।
उठाते ऐश तुम उनसे हम तो हुए मजबूर हैं,
देते कमाई सब तुम्हें हम तो फकत मजदूर हैं।

* *वरिष्ठ फेलो, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

भारत में जलवायु–अस्थिरता और श्रमिकों का प्रवासन

डॉ. मनोज जाटव, दीपिका जाजोरिया

सार

"जलवायु–प्रेरित प्रवासन ने श्रम प्रशासन के लिए नई उभरती चुनौतियों को सामने रखा है। पहले से मौजूद क्षेत्रीय असमानताएँ, मौजूदा गरीबी स्तर, मौजूदा श्रम कानूनों की बिखरी हुई तथा आंशिक प्रकृति, आदि हमें 'जलवायु–प्रवासियों' की कमजोर स्थितियों के और बदतर होने के बारे में सचेत करते हैं।"

विभिन्न सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत सरकार के चल रहे प्रयासों में जलवायु–अस्थिरता एक बड़े खतरे के रूप में सामने आई है। श्रम और रोजगार को विकास नीति के केंद्र में रखते हुए, जलवायु–अस्थिरता की एक नई चुनौती के रूप में पहचान दी गई है। यह चुनौती श्रम से जुड़ी हुई नीतियों और कार्यक्रमों, जिनका उद्देश्य देश में सभी के लिए पूर्ण और उत्पादक रोजगार और सभ्य–रोजगार उपलब्ध करना है, के माध्यम से हुई प्रगति को प्रभावित करती है। 'सभ्य काम और सतत आर्थिक विकास' से संबंधित एसडीजी 8, सदस्य देशों के लिए बंधुआ मजदूरी को खत्म करने, आधुनिक दासता और मानव तस्करी को समाप्त करने और बाल श्रम के सबसे बुरे रूपों के निषेध और उन्मूलन के लिए तत्काल और प्रभावी उपाय करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है, जिसमे बाल सैनिकों की भर्ती और उपयोग और 2025 तक बाल–श्रम के सभी रूपों का पूर्णतः खात्मा सम्मिलित है (यूएन 2019)। हालांकि, देश के विभिन्न हिस्सों में चरम जलवायु घटनाओं की अनिश्चितता के कारण, इन लक्ष्यों को निर्धारित समयावधि तक प्राप्त करना कठिन प्रतीत होता है। अनुसंधान अध्ययनों ने एक बदले हुए वर्षा के प्रतिरूप और अधिक तीव्र जलीय–चक्र का अनुमान लगाया है, जिसके परिणामस्वरूप सूखा, चक्रवात और बाढ़ जैसे चरम जलवायु घटनाओं की निरंतरता और गंभीरता में बढ़ोत्तरी होगी (आईओएम 2008)। यह भी अनुमान है कि दक्षिण एशियाई मानसून के दौरान भारत और बांग्लादेश के पूर्वी क्षेत्र में वर्ष 2050 के आसपास सामान्य स्तर से 20 प्रतिशत अधिक वर्षा होगी (ह्यूटन 2004)। अन्य पड़ोसी क्षेत्रों के साथ भारतीय उपमहाद्वीप के शुष्क मौसम के दौरान जलापूर्ति की अत्यधिक कमी एवं आर्द्र जलवायु के दौरान बाढ़ के जोखिम से गंभीर रूप से प्रभावित होने की उम्मीद है (स्टर्न 2006)।

विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु–अस्थिरता न केवल एक निश्चित समयावधि के अन्तर्गत बढ़ी है अपितु किसी एक क्षेत्र विशेष की बात की जाए तो उस क्षेत्र में जलवायु में अस्थिरता की परिवर्तनशीलता बढ़ी है। जलवायु की परिवर्तनशीलता के संदर्भ में कई क्षेत्र और भी अस्थिर हो गए हैं जैसे कि केरल, तटीय महाराष्ट्र, पर्वतीय उत्तराखंड, ओडिशा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के अर्ध–शुष्क क्षेत्र और उत्तरप्रदेश में बुंदेलखंड, इत्यादि। पिछले दो दशकों में ये क्षेत्र, उष्ण लहरों, बाढ़ की बारम्बारता और उष्णकटिबंधीय चक्रवात जैसे झटकों और तनावों से प्रभावित होते रहे हैं। इसके अलावा, ओडिशा, केरल और महाराष्ट्र जैसे कुछ क्षेत्रों में, जलवायु संबंधी झटकों और तनावों की बारम्बारता ने सामान्य रूप से विकास योजना, और विशेष रूप से चल रहे रोजगार सृजन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को चुनौती दी है। अक्सर, यह भी देखा जाता है कि एक क्षेत्र के भीतर, एक समय में एक से अधिक जलवायु झटके/तनाव एक साथ होते हैं, जैसा कि तटीय ओडिशा (चक्रवात/बाढ़) और आंतरिक ओडिशा (सूखा), तटीय महाराष्ट्र (बाढ़) और आंतरिक महाराष्ट्र (सूखा), जहाँ लोगों की आजीविका बुरी तरह से प्रभावित होती है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। इन नकारात्मक जलवायु घटनाओं ने प्रभावित क्षेत्रों से श्रम–बल के मजबूरन पलायन को तेज करके स्थिति को और अधिक बढ़ा दिया है जो अक्सर भारत में प्रवास एवं रोजगार से सम्बंधित मौजूदा सर्वेक्षणों में परिलक्षित नहीं होता है।

श्रमिक–प्रवास के बारे में जानकारी के दोनों प्रमुख स्रोत यानी जनसंख्या जनगणना और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा किए गए कुटुम्ब–स्तरीय सर्वेक्षण, जलवायु प्रेरित प्रवासन के लिए पर्याप्त आँकड़े

लेखक क्रमशः वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा में एसोसिएट फेलो और अर्थशास्त्र विभाग, श्यामलाल कॉलेज (सायंकाल), दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं।

उपलब्ध नहीं कराते। सन 2001 की जनगणना से ही 'प्राकृतिक आपदा' श्रेणी (सूखा, बाढ़, चक्रवात, भूकंप, इत्यादि शामिल हैं) को पलायन के मुख्य कारणों से हटा दिया गया। यद्यपि इसे प्रवास पर कुटुम्ब–स्तरीय एनएसएसओ सर्वेक्षणों में मजबूरन–प्रवासन की श्रेणी में एक कारण के रूप में रखा गया है, फिर भी, अनिश्चितता यह है की सर्वे के दौरान यह पलायन के 'रोजगार–संबंधी' कारणों की श्रेणी के साथ मिश्रित हो जाता है। इस प्रकार, यहाँ यह संभावना है कि 'प्राकृतिक–आपदा' श्रेणी के तहत होने वाले श्रम–प्रवास अनुमान कम हो। एनएसएसओ सर्वेक्षण में उन कुटुम्बों को भी सम्मिलित नहीं किया गया है जो कि पूर्णतया पलायित हो चुके हैं। एनएसएसओ के नवीनतम उपलब्ध अनुमानों के अनुसार, 2007–08 के दौरान आयोजित किए गए 64 वें दौर में, देश के कुल 116.5 मिलियन बाह्य–प्रवासियों में से केवल 14.5 हजार ही प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपने मूल–स्थान से अन्य स्थानों के लिए पलायन कर गए थे (एनएसएसओ 2010)। श्रम–प्रवास की प्रक्रिया, इसके विभिन्न रूपों में बहुआयामी है, जिसका सीधा सम्बन्ध चरम जलवायु घटनाओं के नकारात्मक प्रभावों से है, जैसे कि सूखा, बाढ़, गंभीर मौसम की स्थिति। यह विभिन्न उत्पादक संपत्तियों एवं कुटुम्बों के स्थायी आजीविका स्रोतों को नुकसान पहुँचाता है जो कि फलस्वरूप गरीबी के स्तर को बढ़ा देता है। सामान्य रूप से कठिन कृषि–जलवायु परिस्थितियाँ एवं विशेष रूप से जलवायु–अस्थिरता, ग्रामीण आबादी के एक विशेष हिस्से को कम कमाई वाले व्यवसायों और प्रक्रियाओं की ओर धकेलती हैं, जिसके परिणामस्वरूप आपदा–ग्रस्त बाह्य–प्रवास होता है। यह तब होता है जब एक नकारात्मक जलवायु घटना इतनी प्रभावी होती है कि कुटुम्ब की आपदा झेलने की क्षमता को नुकसान पहुंचाती है। नतीजतन, एक या एक से अधिक कुटुम्ब के सदस्य आजीविका के लिए वैकल्पिक साधन ढूंढने के लिए अपने मूल–स्थान से पलायित हो जाते हैं; इस प्रकार का पलायन अधिकतर शहरी केंद्रों की ओर देखा जाता है।

संकटग्रस्त क्षेत्रों, विशेष रूप से उत्तराखण्ड, ओडिशा, उत्तरप्रदेश के बुंदेलखण्ड, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के साथ–साथ कई अन्य राज्यों से पलायन ने देश में शहरीकरण को वर्तमान प्रतिरूप देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जलवायु–अस्थिरता का सामना करने की रणनीतियों के हिस्से के रूप में, ग्रामीण श्रम–बल (जलवायु–प्रवासियों) के एक बड़े हिस्से ने खुद को भारतीय शहरों में समायोजित कर लिया है। इसके अलावा, इन शहरों में श्रम–बल के तेजी से प्रवाह (विशेष रूप से संकट की अवधि के दौरान) में श्रमिकों के कार्य करने और रहने की स्थिति, शोषण का जोखिम, आधुनिक दासता और तस्करी, इत्यादि पर गंभीर निहितार्थ हैं। भारत में, कार्यस्थल पर शोषण की स्थितियों से प्रवासी श्रमिकों को बचने के लिए विशिष्ट सख्त कानून बनाए गए हैं, जैसे 'अंतर–राज्य प्रवासी कामगार (रोजगार और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1979' और 'संविदा श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970'। हालाँकि, इन कानूनों का प्रभावी प्रवर्तन श्रम प्रशासकों के लिए एक चुनौती है क्योंकि नियोक्ता या ठेकेदार द्वारा तथ्यों को सरलतापूर्वक भटकाया जा सकता है।

भारत में प्रवासी श्रमिकों के लिए कानूनी संरक्षण

अंतर–राज्य प्रवासी श्रमिक अधिनियम को अंतर–राज्य मजदूरों की कार्य करने की परिस्थितियों को विनियमित करने के लिए लागू किया गया था। यह अधिनियम हर उस प्रतिष्ठान पर लागू होता है जिसमें पाँच या अधिक अंतर–राज्य कर्मचारी (कार्य करने वाले अन्य लोगों के अलावा) कार्यरत हैं और प्रत्येक ठेकेदार जो पूर्ववर्ती बारह महीनों के किसी भी दिन पांच या अधिक अंतर–राज्य प्रवासी श्रमिकों (अन्य श्रमिकों के अलावा) को नियुक्त कर चुका/चुकी है अथवा करता/करती है। भारत में समकालीन आर्थिक विकास परिदृश्य में इसका बहुत महत्व है। चयनित क्षेत्रों में,जलवायु–अस्थिरता और अन्य कारकों के साथ–साथ देश भर में क्षेत्रीय असमानताओं ने प्रवासी श्रम–बल के आकार को निर्धारित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई है, फलस्वरूप, प्रवासी–श्रमिक आमतौर पर बड़े शहरों में अवसरों की तलाश कर रहे हैं। अधिनियम का उद्देश्य गंतव्य शहरों में इन श्रमिकों की रक्षा करना है, ताकि उनके लिए सभ्य कार्य सुनिश्चित करके उनके कानूनन अधिकारों को सुरक्षित किया जा सके। इन अधिकारों के अन्तर्गत विस्थापन भत्ता, यात्रा की अवधि के दौरान मजदूरी का भुगतान, पर्याप्त और उपयुक्त आवास और लागत–मुक्त चिकित्सा सुविधा,बिना किसी दायित्व के संविदा की अवधि के बाद रोजगार की समाप्ति, शिकायत दर्ज करने का अधिकार, इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है।

संविदा श्रम अधिनियम उस प्रत्येक प्रतिष्ठान पर लागू होता है जिसमें बीस या अधिक श्रमिक कार्यरत हैं या पूर्ववर्ती बारह महीनों के किसी भी दिन वे संविदा श्रमिक के रूप में कार्यरत थे। कवरेज के संदर्भ में, यह

प्रवासी–श्रमिक अधिनियम से अलग है क्योंकि इसमें प्रवासी और गैर–प्रवासी दोनों श्रमिक शामिल हैं। दोनों अधिनियम इस अर्थ में एक–दूसरे के समान हैं कि वे केवल उन श्रमिकों को कवर करते हैं जो आम–तौर पर संगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं (अर्थात, 9 से अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठान/उद्यम)। इसलिए, असंगठित क्षेत्र के कार्यकर्ता[1] इन विधानों के दायरे से बाहर हैं और इस प्रकार, वे असुरक्षित बने हुए हैं और शोषणकारी परिस्थितियों के खतरे में हैं। 2017–18 के दौरान एनएसएसओ के आवधिक श्रम–बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के हालिया अनुमान बताते हैं कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कुल श्रमिकों (470 मिलियन) का 79.2 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में कार्यरत था (चित्र 1)। इसके अलावा, रोजगार के आकार में गिरावट देखी जा रही है, परिणामस्वरूप, जिसके श्रमिकों की सौदेबाजी क्षमता और उनकी कामकाजी परिस्थितियों पर कई निहितार्थ हैं, विशेष रूप से उनके सन्दर्भ में जो जलवायु से पीड़ित क्षेत्रों से पलायन करते हैं।

fp= 1 & d|y jkstxkj ei vlaxfBr {k= dk çfr'kr fgLlk

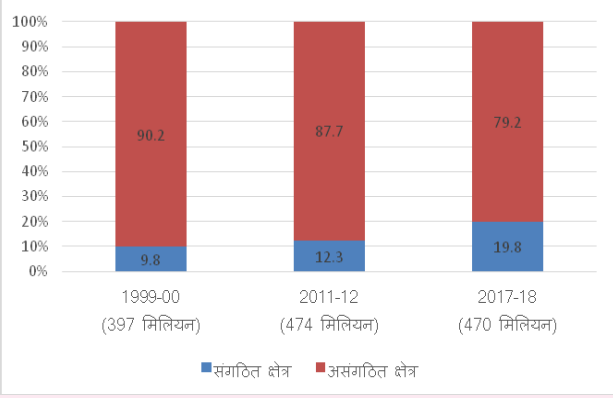

स्रोतः वार्षिक आँकड़े, पीएलएफएस; कोष्ठकों में श्रमिकों की कुल संख्या; अनुमानित आँकड़े इसी वर्ष के लिए अनुमानित जनगणना आबादी के साथ समायोजित किए गए हैं।

उपर्युक्त विधायी प्रावधानों के अलावा, अन्य अधिकार आधारित उपाय भी हैं, जो कार्यस्थल पर सुरक्षा प्रदान करने के मामले में प्रवासी श्रमिकों से प्रत्यक्ष रूप से सम्बंधित हैं। इनमे से कुछ न्यूनतम मजदूरी, बोनस का भुगतान, समान पारिश्रमिक, कर्मचारियों का मुआवजा, स्वास्थ्य और चिकित्सा लाभ, आदि से संबंधित हैं तथा विभिन्न श्रम कानूनों के अन्तर्गत उल्लिखित हैं जैसे कि मजदूरी श्रम संहिता, 2019 व ड्राफ्ट सामाजिक–सुरक्षा श्रम संहिता, 2019।

आईएलओ द्वारा प्रवासी–श्रमिकों के लिए प्रावधान

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के संस्थापक सदस्य के रूप में भारत, प्रवासी–श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए आईएलओ के मानकों/विभिन्न परिपाटियों (conventions) तथा संस्तुतियों (recommendations) के रूप में, का पालन करने के लिए बाध्य है। आईएलओ के अन्य सदस्यों की तरह, भारत भी इसके 'कार्य–स्थल पर मौलिक सिद्धांतों और अधिकारों की उद्घोषणा (1998)' के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्घोषणा में प्रवासी–श्रमिकों तथा बेरोजगारों जैसे तबके के लिए जो कि समाज के सबसे जरूरतमंद हिस्से हैं, पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया गया है (आईएलओ, 2007)। अपने विभिन्न श्रम–कानूनों में भारत द्वारा आईएलओ मानकों को अपनाया गया है और बुनियादी न्यूनतम सामाजिक–मानकों को लागू किया गया है ताकि प्रवासी–श्रमिक स्वतंत्रता, सुरक्षा और आत्म–गरिमा में कार्य कर सकें।

आईएलओ के मानक जो विशेष रूप से प्रवासी–श्रमिकों के लिए बनाए गए हैं वे इस प्रकार हैं – 'रोजगार के लिए प्रवासन परिपाटी (संशोधित), 1949 (नंबर 97)' और इससे सम्बन्धित 'संस्तुति (संशोधित) 1949 (नंबर 86)', 'प्रवासी श्रमिकों का संरक्षण (अविकसित देश) संस्तुति, 1955 (नंबर 100)', 'प्रवासी श्रमिक (पूरक प्रावधान) परिपाटी, 1975 (नंबर 143)' व 'प्रवासी श्रमिक संस्तुति, 1975 (नंबर 151)'। प्रवासी श्रमिकों के लिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण मानक, जिनका सदस्य देशों को पालन करना है, वे हैं– 'जबरन श्रम परिपाटी, 1930 (संख्या 29)', जबरन श्रम का उन्मूलन परिपाटी, 1957 (नंबर 105)', 'समान पारिश्रमिक परिपाटी, 1951 (नंबर 100)', 'भेदभाव (रोजगार और व्यवसाय) परिपाटी, 1958 (नंबर 111)', 'सामाजिक सुरक्षा (न्यूनतम मानक) परिपाटी, 1952 (नंबर 102)'। भारत में, इन परिपाटियों की संबंधित श्रम कानूनों के कार्यान्वयन के माध्यम से उचित रूप से पुष्टि की गई है, हालांकि, मौजूदा कानूनों के तहत एक सार्वभौमिक कवरेज की आवश्यकता है क्योंकि इनमें से अधिकांश परिपाटियाँ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर लागू नहीं होती।

1 जैसा कि असंगठित क्षेत्र में रोजगार पर राष्ट्रीय आयोग (एनसीईयूएस) द्वारा परिभाषित किया गया है अर्थात् ऐसे प्रतिष्ठान / उद्यम जिनमें 10 से कम श्रमिक कार्यरत हैं (एनसीईयूएस, 2008)

आईएलओ एवं सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों की कमजोरियों को कम करने के लिए किए गए प्रयास

आईएलओ समय–समय पर अपने विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से भारत में प्रवासी–श्रम पर अपने प्रावधानों का प्रचार करता रहा है। उदाहरण के लिए, आईएलओ ने अन्य अफ्रीकी देशों जैसे इथियोपिया, केन्या और घाना के साथ जलवायु–परिवर्तन के लिए भारत को बेहद संवेदनशील माना है। एक दशक से, आईएलओ ने अपने 'माइक्रो–इंश्योरेंस इनोवेशन फैसिलिटी' के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से निपटने के लिए ग्रामीण परिवारों के लिए शमन रणनीतियों का पता लगाने हेतु कई दृष्टिकोणों का भी परीक्षण किया है। 2017 में, आवास और शहरी गरीबी–उन्मूलन मंत्रालय (एमएचयूपीए) ने अपने 'रिपोर्ट ऑफ वर्किंग ग्रुप ऑन माइग्रेशन' में, स्थानीय रूप से संकटग्रस्त क्षेत्रों में स्थानीय–स्तर पर उपलब्ध आजीविका विकल्पों की कमी के कारण आपदाग्रस्त–प्रवासन की समस्या का उल्लेख किया है (एमएचयूपीए, 2017)। सन 2008 के दौरान, आईएलओ एवं भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के साथ, भारत के श्रम और रोजगार मंत्रालय (एमओएलई) ने तमिलनाडु राज्य में जबरन कार्य में संलग्न मजदूरों के कल्याण के लिए एक सहयोगात्मक परियोजना पर कार्य किया। कुछ उत्साहजनक परिणामों के साथ तमिलनाडु के दो जिलों में पायलट आधार पर दृष्टिकोण का परीक्षण किया गया और अब इसे आंध्रप्रदेश, उड़ीसा और हरियाणा में भी दोहराया जा रहा है (जीओआई 2012–17)। हाल ही में एक पहल में, भारत–सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के सहयोग से ओडिशा और आंध्रप्रदेश के श्रम–विभागों ने ईंट–भट्ठा उद्योग में जलवायु–प्रवासियों के शोषण को रोकने के लिए परियोजना शुरू की है। इसके अतिरिक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) ने आपदा–ग्रस्त ग्रामीण परिवारों के पुनर्वास में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है; विशेष रूप से चरम जलवायु घटनाओं के दौरान जरूरतमंद कुटुम्बों को एक वर्ष में कुल 150 दिन की रोजगार गारंटी दे कर ऐसा किया गया।

आगे की राह

बढ़ी हुई जलवायु–अस्थिरता ने विशेष रूप से ग्रामीण–क्षेत्रों में समाज के कमजोर वर्गों के संकट को बढ़ा दिया है, जहाँ श्रम–बल का एक बड़ा वर्ग अपनी आजीविका को बनाए रखने के लिए शहरी केंद्रों में जबरदस्ती पलायन करता है। यद्यपि देश में संकट–ग्रस्त क्षेत्रों से पलायन करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा के लिए देश में कई कानूनी सुरक्षा उपाय मौजूद हैं, फिर भी, न केवल संगठित, वरन, असंगठित क्षेत्र के प्रवासी–कामगारों को भी इन कानूनों में सम्मिलित आवश्यकता है, अर्थात, इन कानूनों के सार्वभौमीकरण की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में, भारत में प्रवासी–श्रम से संबंधित आईएलओ के मानकों का अनुसमर्थन, विभिन्न परिपाटियों में उल्लिखित सभी प्रावधानों को लागू करके, एक समावेशी कवरेज को सुनिश्चित करके किया जाना जरूरी है। जलवायु–अस्थिरता के साथ युग्मित वर्तमान नव–उदारवादी परिदृश्य में, मौजूदा श्रम–कानून कमजोर प्रवासी–श्रमिकों के लिए एक व्यापक सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करते हैं। इसके अलावा, ऐसे श्रम का एक बड़ा वर्ग मौजूदा कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक नहीं है। इसलिए, श्रम–प्रशासन मशीनरी, प्रवासी–श्रमिक और उनके प्रतिनिधियों, और नियोक्ताओं को जलवायु–प्रेरित प्रवास और प्रवासी–श्रम की कमजोरियों से संबंधित मुद्दों पर क्षमता–निर्माण, जागरूकता और संवेदनशीलता कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसके अलावा, भारत में सांख्यिकीय प्रणाली में प्रवासन पर आँकड़ों की नियमित आपूर्ति की आवश्यकता है, जिससे योजनाओं की मजबूती को सुनिश्चित किया जा सके। अब तक, प्रवासन पर वर्तमान सर्वेक्षणों ने 'जलवायु–प्रवासन' और संभावित आपदाओं के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं दी है। अतः, प्रवासन पर भविष्य में होने वाले कुटुंब–स्तरीय सर्वेक्षणों में 'जलवायु–प्रवासियों' से पूछे जाने वाले पर्याप्त प्रश्नों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए।

ग्रन्थसूची

जीओआई (2012–17), "Working Group for Social inclusion of Vulnerable Group like Child Labour and Bonded and Migrant Labour in the 12th Five Year Plan (2012–17)", योजना आयोग, भारत सरकार: नई दिल्ली. यहाँ उपलब्ध है: http://planningcommission-nic-in/aboutus/committee/wrkgrp12/wg_vulnerable_groups-pdf

ह्यूटन, जे. (2004), "Global Warming: The Complete Briefing", तीसरा संस्करण, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस.

आईएलओ (2007), "International Labour Standards on Migrant Workers* Rights: Guide for

Policymakers and Practitioners in Asia and the Pacific", अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय, बैंकॉक. यहाँ उपलब्ध है: https://www-ilo-org/wcmsp5/groups/public/&&&asia/&&&ro&bangkok/documents/publication/wcms_146244-pdf

आईओएम (प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन) (2008), "Migration and Climate Change", आईओएम प्रवासन अनुसंधान श्रृंखला, नंबर 31: प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिनेवा: स्विट्जरलैंड.

एमएचयूपीए (आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय) (2017), "Report of the Working Group on Migration", नई दिल्ली: भारत. यहाँ उपलब्ध है: http://mohua-gov-in/upload/uploadfiles/files/1566-pdf

एनसीईयूएस (असंगठित क्षेत्र में रोजगार पर राष्ट्रीय आयोग) (2008), "Report on Definitional and Statistical Issues Relating to Informal Economy", नई दिल्ली: भारत.

एनएसएसओ (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय) (2010), "Migration in Indi 2007–2008", एनएसएस रिपोर्ट संख्या 533 (64/10.2/2), राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, जून.

स्टर्न, एन. (Ed.) (2006), "The Economics of Climate Change: The Stern Review", कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, यू.के., कैम्ब्रिज.

यूएन (2019), "The Sustainable Development Goals Report 2019", संयुक्त राष्ट्र, न्यूयॉक, संयुक्त राज्य अमेरिका. यहाँ उपलब्ध है: https://unstats-un-org/sdgs/report/2019/The&Sustainable&Development&Goals&Report&2019-pdf

गाँधी के गाँव

डॉ. सतीश कालेश्वरी*

पीपल की छैंया गई देखो सूख
आँतों से लिपट गई निर्मोही भूख
गाँधी के गाँव ये हैं गाँधी के गाँव।

कहाँ गया पनघट, कहाँ वो पनिहारिन
सूना है उपवन, खलिहान अन्न बिन
अमुवा की बौरें भी सकुचा गई हैं
पगडंडी राहों की छितरा गई हैं
जेठ दुपहरी न वृक्षों की छाँव
गाँधी के गाँव ये हैं गाँधी के गाँव।

धर्म रखा कदम तले, अहिंसा ताक पर
उसी को काट रहे, बैठे जिस साख पर
सत्य व नैतिकता की बात बूढ़ी हो गई
भारतीयता की लो जात बूढ़ी हो गई
सहिल पर आकर डूब गई नाव
गाँधी के गाँव ये हैं गाँधी के गाँव।

चरखे की जगह अब आ गई मशीनें
महंगाईवश खादी छोड़ दी सभी ने
द्रोपदी के चीर जैसा नारी का शोषण
अंगों में मिला रहा जहर, कुपोषण
स्वतंत्रता रोये देख मोरों के पाँव
गाँधी के गाँव ये हैं गाँधी के गाँव।

राम के से राज्य की कहाँ गई कल्पना
सागर में बना रहे अनचीन्ही अल्पना
क्षितिज की भाँति तथ्य बनके रह गया
हे राम हे राम वो कहता रह गया
अधूरी है घटना ये किसको समझाऊँ
गाँधी के गाँव ये हैं गाँधी के गाँव।

कार्य था जिनका निर्धनता हटाना
सीख लिया उन्होंने निर्धन को मिटाना
''मत्स्य न्याय'' भाँति ये प्रश्न है मौन
किसकी थी लाठी और ले गया कौन
नहीं इस सफर का ये अंतिम पड़ाव
गाँधी के गाँव ये हैं गाँधी के गाँव।

*पूर्व उप महाप्रबंधक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड, नई दिल्ली तथा हिंदी पखवाड़ा–2019 के दौरान निर्णायक

भारतीय संविधान के अंतर्गत जेंडर

डॉ. संजय उपाध्याय*

किसी समाज की वास्तविक प्रगति उस दर्जे से आंकी जा सकती है, जो वह, एक–दूसरे से स्वतंत्र व्यक्तिगत अस्तित्वों के रूप में अपने पुरुषों और महिलाओं को देता है। परंतु बहुत छोटे अंतरालों को छोड़कर, सभ्यता के दौरान आम प्रवृत्ति, जीवन के अनेक क्षेत्रों में संबंधों की भूमिका के हिसाब से पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के प्रति रही है।

प्राचीन भारत में, विशेष रूप से वैदिक काल में महिलाओं की एक सम्मानजनक स्थिति थी और उन्हें पुरुषों के बराबर का दर्जा प्राप्त था। परंतु धीरे–धीरे स्मृति काल और स्मृति काल के पश्चात उनकी स्थिति बिगड़नी आरंभ हो गई। आधुनिक काल तक भारतीय समाज में पुरुषों का प्रभुत्व बना रहा और देश के अधिकतर हिस्सों में कमोबेश यह प्रवृत्ति आज भी जारी है। स्मृति काल के प्रतिनिधिक प्रवक्ता के रूप में माने जाने वाले मनु का विश्वास था कि महिलाएं, पुरुषों के बराबर नहीं हैं और वे पूरी तरह पुरुषों पर निर्भर हैं। उनकी यह मान्यता थी कि "महिला जब एक बच्ची होती है तो अपने पिता की अधीनता में होती है, जब विवाहित होती है तो अपने पति की अधीनता में होती है, अपने पति के पश्चात अपने पुत्रों की अधीनता में होती है और यदि उसके पुत्र नहीं हैं तो अपने सपिण्ड संबंधियों की अधीनता में होती है क्योंकि ऐसी कोई महिला नहीं है जो स्वतंत्र होने के लिए उपयुक्त हो।" (मनु स्मृति {9.3} हर गोविंद शास्त्री द्वारा संपादित)।

ऊपर उल्लिखित प्रवृत्ति बहुत लंबे समय तक जारी रही और इसने पर्दा प्रथा, बाल विवाह, महिला भ्रूण हत्या, सती प्रथा, दहेज प्रथा, विधवा पुनर्विवाह का निषेध आदि जैसी अनेक सामाजिक कुप्रथाओं को जन्म दिया, जिन्होंने हमारी संस्कृति और सामाजिक जीवन में इतनी गहरी जड़ें जमा लीं कि राजाराम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और ईश्वर चंद विद्यासागर जैसे अत्यन्त समर्पित तथा कटिबद्ध समाज सुधारकों को भी महिलाओं की सामाजिक स्थिति को उन्नत करने के लिए बहुत कठिन संघर्ष करना पड़ा ताकि ये बुराइयां भारतीय परिदृश्य से समाप्त हो जाएं। बाद में ये समाज सुधारक ब्रिटिश सरकार द्वारा अनेक महत्त्वपूर्ण कानूनों का अधिनियमन कराने में भी सफल हुए। परंतु सुदृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति और सामाजिक चेतना के अभाव के कारण, ये सुधार पूरे नहीं किए जा सके और विभिन्न कानूनों के अधिनियमन, भारतीय महिलाओं की स्थिति और सामाजिक दर्जा उन्नत करने और उसमें सुधार करने में अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं कर सके। इसके परिणामस्वरूप, भारत की लगभग आधी आबादी (महिलाओं) का पुरुषों पर आश्रित रहना जारी रहा और उनकी स्थिति लगभग पशुओं और गुलामों के बराबर हो गई।

स्वतंत्रता के पश्चात, जब भारत सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ा तो बदली हुई सामाजिक–राजनैतिक परिस्थितियों में सदियों से चली आ रही इस पुरानी प्रवृत्ति को जारी नहीं रखा जा सकता था, क्योंकि अपनी लगभग आधी आबादी को पीछे छोड़कर कोई वास्तविक प्रगति कैसे की जा सकती थी? आजादी के बाद कल्याणकारी सरकार के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह भारतीय महिलाओं की खेदजनक दुर्दशा में सुधार के लिए ठोस तथा सकारात्मक प्रयास करे।

इस उद्देश्य को प्राप्त करने की दृष्टि से, भारत सरकार ने अनेक नियामक सिद्धांत अपनाए, जिनमें कुछ आर्थिक अभिधारणाओं का अंगीकरण, अनेक कानूनों का अधिनियमन तथा अपनी जनता, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण के उद्देश्य के लिए विस्तृत अवसंरचना का विकास शामिल था।

इसके अलावा, हमारे संविधान निर्माताओं ने देश के मूलभूत कानून संविधान के अंतर्गत विस्तारपूर्वक, महिलाओं के प्रति पक्षपात और उनके प्रति किए जाने वाले अन्यायों को दूर करने के लिए विभिन्न सुरक्षा उपायों और गारंटियों का उपबंध किया।

* *वरिष्ठ फेलो, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

इस आलेख में, अनेक तरीकों से सदियों से पक्षपात की षिकार हुई महिलाओं के सरोकार वाले, भारतीय संविधान के अंतर्गत अनेक उपबंधों को प्रमुखता से दर्शाने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार के सरोकार संविधान की पूरी योजना में स्पष्ट हैं, चाहे वह मौलिक अधिकारों, मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए मूलभूत गारंटियों से संबंधित (भाग III) हों या सरकार के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित भाग–IV जिसमें भावी नीति निर्धारण और कानूनों के अधिनियमन या नागरिकों के लिए मौलिक कर्त्तव्यों से संबंधित नये जोड़े गए भाग (IV–क) में सरकार द्वारा अपनाए जाने वाले दिशानिर्देश विनिर्धारित किए गए हैं।

समानता और जेंडर का अधिकार

संविधान के अनुच्छेद 14 में "समानता का सिद्धांत" व्यापक रूप से प्रतिष्ठापित किया गया है। समानता के व्यापक सिद्धांत का उल्लेख करते हुए अनुच्छेद 14 में यह घोषणा की गई है कि "सरकार, भारत के क्षेत्र के अंदर किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगी।" "कानून के समक्ष समानता" और "कानून का समान संरक्षण" अभिव्यक्तियों का उद्देश्य, संविधान की प्रस्तावना में यथा विचारित "स्थिति की समानता" स्थापित करना है।

अनुच्छेद 15, समान नागरिक के रूप में महिलाओं से संबंधित है। इस अनुच्छेद की भाषा निम्नलिखित हैः "अनुच्छेद 15(i) – सरकार केवल धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर या इनमें से किसी के आधार पर किसी नागरिक के प्रति भेदभाव नहीं करेगी।"

संविधान–निर्माता इस तथ्य से पूरी तरह अवगत थे कि भारतीय महिलाओं की खेदजनक दुर्दशा में, केवल उन्हें समान नागरिक मानकर सुधार नहीं किया जा सकता बल्कि उन्हें इस बात का एहसास भी था कि अतीत में उनके साथ किए गए निरंतर पक्षपात और अन्याय को दूर करने की दृष्टि से महिलाओं को विशेष संरक्षण दिए जाने की आवश्यकता है। तदनुसार, महिलाओं और बच्चों को समाज के कमजोर वर्ग मानते हुए उनके कल्याण के लिए विशेष कानून बनाने के लिए सरकार को समर्थ बनाने हेतु अनुच्छेद 15 के खंड (3) में उपबंध किए गए। सुसंगत उपबंध की भाषा निम्नलिखित हैः "अनुच्छेद 15, खंड (I) में दी गई कोई भी बात, सरकार को महिलाओं और बच्चों के लिए कोई ऐसा उपबंध करने से नहीं रोकेगी।"

संविधान का अनुच्छेद 16, जो संविधान में प्रतिष्ठापित "समानता के सिद्धांत" का स्पष्टीकरण है, सरकारी नियोजन के मामलों में नागरिकों की समानता से संबंधित है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ जेंडर संबंधी पहलू भी शामिल है। अनुच्छेद 16 का खंड (4), तथ्यात्मक (वास्तविक) असमानताओं की क्षतिपूर्ति करने की दृष्टि से संरक्षात्मक भेदभाव करने हेतु सरकार को समर्थ बनाता है।

जैसाकि पहले उल्लेख किया गया है, खंड (3) के आधार पर संविधान का अनुच्छेद 15 सरकार को महिलाओं के लिए ऐसे उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान करता है ताकि समानता की अवधारणा, जनता के लिए एक सजीव वास्तविकता बन सके क्योंकि जो असमान हैं, उन्हें एकसमान मानकों द्वारा नहीं मापा जा सकता और न ही मापा जाना चाहिए। यह समर्थकारी उपबंध, समानता के सिद्धांत का अपवाद होने के बजाय केवल एक स्पष्टीकरण है।

मधुकिश्वर और अन्य बनाम बिहार राज्य सरकार और अन्य (1992 एससीसी 102) के मामले में याचिकाकर्ता, जो बिहार के हो एवं उराँव जनजातियों के सदस्य थे, ने छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 लागू किए जाने को इस आधार पर चुनौती दी कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति का उत्तराधिकार केवल पुरुष वंश तक ही सीमित था। याचिकाकर्ताओं द्वारा यह दलील दी गई थी कि यह अधिनियम, समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। न्यायालय ने राय व्यक्त की कि देश के नागरिकों के रूप में, इन जनजातियों की महिला सदस्य, अनुच्छेद 14 द्वारा उन्हें दी गई संवैधानिक गारंटियों की हकदार हैं। तथापि, गुणावगुणों के आधार पर मामले का निर्णय करने के बजाय न्यायालय ने बिहार राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह महिलाओं को भी उत्तराधिकार की संभावना का पता लगाए।

एक अन्य मामले, उत्तराखंड महिला कल्याण परिषद और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार (एआईआर 1992 एससी 1865) में जहां याचिकाकर्ताओं द्वारा यह दलील दी गई थी कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रशासनिक कार्य कर रही महिला अध्यापकों और अन्य महिला सदस्यों के साथ भेदभाव किया जा रहा

था। याचिकाकर्ताओं द्वारा यह भी दलील दी गई थी कि अपने पुरुष सहयोगियों की तरह उन्हें उसी प्रकार का कार्य करने के लिए कहा गया था परंतु अपने पुरुष सहयोगियों की तुलना में उन्हें अपेक्षाकृत कम भुगतान किया जा रहा था और पदोन्नति के अवसर भी कम थे। इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि पुरुष कर्मचारियों और महिला कर्मचारियों के बीच किसी भिन्न संव्यवहार के लिए संवैधानिक योजना के अंतर्गत कोई कारण नहीं है, जबकि वे एक ही प्रकार का कार्य कर रहे हैं। न्यायालय ने, पुरुष अध्यापकों को पदोन्नति के अवसर प्रदान करने में वरीयताप्राप्त संव्यवहार का कोई औचित्य भी नहीं पाया।

सरकार के नीति निर्देशक सिद्धांत और जेंडर

जहां तक "सरकार के नीति निर्देशक सिद्धांतों" से संबंधित संविधान के भाग IV का संबंध है, इस अध्याय में ऐसे अनेक निर्देश हैं, जो समान न्याय सुनिश्चित करने की दृष्टि से महिलाओं और बच्चों के लिए सरोकार दर्शाते हैं। संवैधानिक निर्देशों के अनुसार, सरकार का यह दायित्व है कि वह यथासंभव प्रभावी ढंग से ऐसी सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित और संरक्षित करके लोगों के, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा दे, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जीवन की सभी संस्थाओं में व्याप्त हो (अनुच्छेद 38)।

खंड (क) के आधार पर अनुच्छेद 39 में सरकार पर यह भी दायित्व डाला गया है कि वह अपनी नीतियां, पुरुषों और महिलाओं सहित समान रूप से सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन सुनिश्चित करने के प्रति निर्देशित करे। उसी अनुच्छेद के खंड (घ) में सरकार के लिए आदेशक है कि वह, अपनी नीतियां, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने के प्रति निर्देशित करे। खंड (ङ) में पुनः सरकार के लिए यह आदेशक है कि वह अपनी नीतियां, ऐसे तरीके से निर्देशित करे कि निश्चित रूप से महिलाओं और बच्चों सहित कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग न किया जाए और उन्हें, उनके स्वास्थ्य, आयु और शक्ति के लिए अनुपयुक्त व्यवसायों और उप–व्यवसायों में प्रवेश करने के लिए बाध्य न होना पड़े।

अनुच्छेद 42 में सरकार को यह निर्देश दिया गया है कि वह कार्य की न्यायपूर्ण और मानवीय शर्तें सुनिश्चित करने और मातृत्व राहत प्रदान करने के लिए उपबंध बनाए। इस निर्देश को लागू करने की दृष्टि से सरकार ने मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 पारित किया है। 'समान कार्य के लिए समान वेतन' से संबंधित निर्देष के संबंध में अनुच्छेद 39(घ) के अनुसरण में सरकार ने समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 अधिनियमित किया है। अनुच्छेद 39 (घ) और वर्ष 1976 में पारित किए गए अधिनियम में दिए गए निर्देशों को अब, न्यायसम्मत ढंग से उच्चतम न्यायालय सहित विभिन्न न्यायालयों द्वारा न्यायिक ढंग से लागू किया जा सकता है और किया जा रहा है।

इस संदर्भ में, यहां संविधान के अनुच्छेद 37 का उल्लेख करना सुसंगत होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से यह विनिर्धारित किया गया है कि हालांकि भाग IV में दिए गए उपबंध, न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं किए जाएंगे, परंतु उसमें विनिर्धारित सिद्धांत फिर भी देष के अभिशासन में मौलिक होंगे और उन सिद्धांतों को लागू करना सरकार का कर्त्तव्य होगा।

1976 में संविधान में एक नया भाग (भाग IV क) जोड़ा गया था, जिसमें नागरिकों के लिए 'मौलिक कर्त्तव्य विनिर्धारित किए गए थे। इन कर्त्तव्यों में से एक कर्त्तव्य, महिलाओं के लिए अपमानजनक प्रथाओं को समाप्त करना है। हालांकि, संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि महिलाओं की प्रतिष्ठा के लिए कौन सी प्रथाएं अपमानजनक हैं परंतु निश्चित रूप से सती प्रथा, पर्दा प्रथा और दहेज आदि जैसी प्रथाएं महिलाओं की प्रतिष्ठा के लिए अपमानजनक प्रथाओं के कुछ उदाहरण हैं।

महिलाओं का और भी सशक्तीकरण करने की दृष्टि से भारत के संविधान में 73वें और 74वें संषोधन द्वारा, पंचायतों और स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का उपबंध किया गया है। पंचायतों और स्थानीय निकायों में महिलाओं के आरक्षण से संबंधित उपबंध, संविधान के आमुख में यथा विचारित, अपने लोगों को राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का एक संकेतक है। इसके अलावा, राज्य की विधान सभाओं और संसद में महिलाओं के लिए सीटों का इसी प्रकार का आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए कार्रवाई चल रही है।

परंतु जो सदियों से दबे–कुचले और उपेक्षित रहे हैं, उनकी सहायता करने की दृष्टि से यह अकेला प्रयास

पर्याप्त नहीं है, क्योंकि कानून की अपनी सीमाएं और बाधाएं हैं और संवैधानिक कानून भी इसका अपवाद नहीं है। अपना उचित हक प्राप्त करने की दृष्टि से महिलाओं को उनके लिए समाज में अपने न्यायसंगत स्थान के लिए लड़ना होगा। उन्हें, उनसे संबंधित संवैधानिक पहलुओं सहित विभिन्न कानूनों के अंतर्गत उनके अधिकारों, उन सामाजिक परिवर्तन संबंधी पहलुओं, जो उनके सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में उनसे प्रत्यक्षतः संबंधित हैं, से शिक्षित और अवगत कराना होगा। स्वयं के लिए और अपनी उन बहनों के लिए जो असुरक्षित, शोषित, उत्पीड़ित, अपमानित और सुविधावंचित हैं, केवल उचित कानूनी शिक्षा और साक्षरता वाली महिलाएं ही सदियों से चल रही वास्तविक स्थितियों में परिवर्तन लाने में सफल हो सकती हैं। यह वही बात है, जो भारत के उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति एम. फातिमा बीवी ने, 'महिलाएं, कानून और सामाजिक परिवर्तन' (समसुद्दीन शाम द्वारा 1991 में संपादित) विषय पर एक महत्त्वपूर्ण कृति का प्राक्कथन लिखते समय महसूस की थी। उन्होंने भावना व्यक्त की थी कि 'समानता के लिए संघर्ष करने और पुरुष तथा महिला सिंड्रोम को समाप्त करने की दृष्टि से महिलाओं को समाज में अपने न्यायसंगत स्थान के लिए लड़ना चाहिए। उन्हें, उनके जीवन को प्रभावित करने वाले विभिन्न कानूनों से स्वयं को शिक्षित करने के लिए आगे आना होगा।'

नमन, ऐ श्रमिक

डॉ. पूनम एस. चौहान*

बहते दरिया और सागर को बाँधने वाले,
पर्वत का सीना चीर कर झरना बहाने वाले।
मंदिर, मस्जिद और गिरिजाघर बनाने वाले
श्रमिक तुम्हारी जय हो।
खेतों में अथक परिश्रम करने वाले,
खून पसीने से फसल उगाने वाले,
पूरे देश को अन्न देने वाले,
श्रमिक तुम्हारी जय हो।

ईंट–पत्थर, गारा ढोने वाले
गाँवों–शहरों में मकान बनाने वाले
किसी चित्रकार सा अनूठा डिजाइन बनाने वाले
श्रमिक तुम्हारी जय हो।
मिलों में कपड़ा बुनने वाले
कपड़ों को अनुपम रंग देने वाले
उन पर सजीले प्रिंट और कढ़ाई करने वाले
श्रमिक, तुम्हारी जय हो।

बस, रेल, गाड़ी और जहाज बनाने वाले
रेल की पटरियाँ बिछाने वाले
अपना परिश्रम लगाने वाले
श्रमिक, तुम्हारी जय हो।

ताजमहल, अजंता और लालकिला बनाने वाले,
अजंता, एलोरा की सुंदरता बनाने वाले
मनमोहक दुनिया बसाने वाले
श्रमिक, तुम्हारी जय हो।

शहर की गंदगी उठाने वाले
सड़कों पर झाड़ू लगाने वाले
नालियों को साफ करने वाले
श्रमिक तुम्हारी जय हो।
कागज़, कलम, दवात बनाने वाले
कुर्सी, मेज, सोफा बनाने वाले
पलंग और तोशक सजाने वाले
श्रमिक तुम्हारी जय हो।

तुम–सा कलाकार संसार में कोई नहीं,
विभिन्न कौशलों का मालिक कोई नहीं।
कण–कण में, तुम्हारे ही श्रम की बूँदें हैं
जमीं से आसमाँ तक खून पसीने की बूँदें हैं
श्रमिक तुम्हारी जय हो।

तुम नहीं तो कुछ नहीं
तुम्हारी श्रमशक्ति तो अनमोल है।
पहचानो अपनी ताकत को
रचो एक नये संसार को
श्रमिक तुम्हारी जय हो।

* *भूतपूर्व वरिष्ठ फेलो, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा*

dgkuh

अलमारी

ओल्गा तोकार्चुक
दैनिक हिंदुस्तान से साभार

साहित्य में नोबेल पुरस्कार (वर्ष 2018) विजेता पोलैंड की मशहूर कथाकार और सामाजिक कार्यकर्ता सुश्री ओल्गा तोकार्चुक की प्रसिद्ध कहानी 'अलमारी' एक सुरक्षित जगह की प्रतीक है। एक ऐसी जगह, जहाँ कोई भी बिना डर के निश्चिंत होकर रह सके। यह एक ऐसा एहसास है जो किसी भी व्यक्ति को बेइंतिहा सुकून देता है। हर इंसान को एक सुरक्षित जगह की तलाश होती है। यह किसी का साथ भी हो सकती है या कुछ और भी.....। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह किस रूप में आपको आपके अकेलेपन या डर से बचाती है। आपको जीने का हौसला देती है। कुछ ऐसा ही है इस कहानी में। इस कहानी के मुख्य पात्रों के लिए उनके घर में रखी अलमारी ही सबसे सुरक्षित जगह है। इसमें एक अलमारी के एक चरित्र में ढल जाने का अद्‌भुत वर्णन है।

जब हम इधर रहने आए थे, हमने एक अलमारी खरीदी थी। वह गहरे रंग की थी, पुरानी और उसकी कीमत उसे इस्तेमालशुदा सामान की दुकान से लाने के खर्च के मुकाबले बहुत कम थी। उसके दो दरवाजों पर फूलवाली डिजाइन थी और तीसरे दरवाजे पर शीशा लगा था, जिसमें प्रतिबिंबित हो रहा था पूरा शहर, जब हम इसे टेंपो में घर ला रहे थे। लाते समय इसे रस्सी से बाँधना पड़ा था ताकि यह रास्ते में खुल न जाए। उसके पास खड़े और बंधी हुई रस्सी को देखते हुए मुझे पहली बार अपनी असंगति का अहसास हुआ।

यह हमारे दूसरे फर्नीचार के साथ अच्छी लगेगी–अर. ने कहा और लाड़ से उसके लकड़ी के शरीर पर हाथ फेरा बिल्कुल इस तरह जैसे वह कोई नई खरीदी हुई गाय हो। सबसे पहले हमने उसे कॉरिडोर में रखा था–हमारे सोने के कमरे की दुनिया में आने से पहले यह एक किस्म की संगरोध–अवधि थी। मैं मुश्किल से दिखते सूराखों में सुइयां लगाती थी–समय की बीमारी के लिए जरूरी टीके। नई लाई हुई अलमारी रातभर कर–कर की आहें भरती थी। मरती दीमक जोर से रोती रहती थी।

उन दिनों हम उस पुराने मकान के अपने नए फ्लैट की सफाई में लगे हुए थे। फर्श के लकड़ी के पाटों के बीच मुझे एक कांटा मिला, जिसके हैंडल में जर्मनी के स्वास्तिक का चिह्न बना हुआ था। दीवारों पर लगी लकड़ी के पीछे से पुराने अखबार का गला हुआ टुकड़ा बाहर निकलना हुआ था, जिसका एक ही शब्द पहचान में आता था: 'श्रमिक वर्ग....।' अर. ने पर्दे लगाने के लिए सारी खिड़कियां खेल दी थीं और कमरे में शाम के वक्त शहर में घूमते खान मजदूरों के वाद्य–वृंद का शोर फैल आया था। उस पहली रात जब अलमारी हमारे सपनों का हिस्सा बन गई थी, हमें देर तक नींद नहीं आई थी। अर. का हाथ अनिंद्रा में मेरे पेट पर भटक आया, और उसके बाद हम दोनों को एक ही सपना दिखाई दिया। तब से हमारे सपने एक से ही होते हैं। उस समय हमें संपूर्ण सन्नाटे का सपना आया था और सपने की उस खामोशी में सब कुछ ऐसे लटका हुआ था, जैसे सजावट की चीजें दुकानों की खिड़कियों में और सपने में हम बहुत खुश थे। क्योंकि गैरमौजूद, सवेरे हमें एक–दूसरे को अपना–अपना सपना सुनाना नहीं पड़ा था–बस एक शब्द काफी था। और उस समय से हम एक–दूसरे को सपने नहीं सुनाते थे। एक दिन पता चला कि फ्लैट में कुछ करने के लिए नहीं बचा था। सब कुछ अपनी ज गह पर था, साफ और सुसज्जित। मैं सिगड़ी के पास अपनी पीठ सेंक रही थी और ध्यान से मेजपोश को देख रही थी। उसकी धागे वाली डिजाइन में कोई तौर–तरीका नहीं था। किसी ने कांटे से अखंड जड़तत्व में सूराख–सूराख बना रखे थे। इन्हीं सूराखों से मैं अलमारी को देख रही थी और मुझे वह वाला सपना याद आया। उसका सन्नाटा अलमारी से ही आ रहा था। अब हम दोनों, अलमारी और मैं, एक दूसरे के सामने खड़े थे और मैं वही थी–क्षणभंगुर, गतिशील और नश्वर। अलमारी केवल अलमारी थी। एक संपूर्ण ढंग से वह अपने असली स्वरूप में मौजूद थी। मैंने उसके चिकने हैंडल को छुआ और वह मेरे सामने खुल गई। मुझे आनी दो ड्रेसों की छायाएं दिखीं और अर. के

पुरुषत्व में कोई फर्क नहीं था। न ही इस बात का कोई मतलब था कि कोई चीज मुलायम है या रूखी, गोल या चौरस, नजदीक या दूर, अपनी या परायी। यहाँ से किसी दूसरे स्थान और अनजाने समय की महक आ रही थी। पर ख़ुदा कसम, वह फिर भी किसी चीज की याद दिला रही थी, किसी बहुत जानी–पहचानी, बहुत नजदीकी चीज की, जिसके लिए इतने शब्द भी नहीं थे कि उसका बयान किया जा सके (शब्दों को आखिरकार दूरी चाहिए किसी चीज को सही नाम देने के लिए)। मेरी आकृति अलमारी के अंदर वाले आईने के सामने आ पड़ी। मेरी प्रतिबिंब काली–सी छाया बन गया था, जो मेरे टंगी हुई ड्रेसा मिलता–जुलता मालूम होता था। जीवित और अजीवित के बीच कोई फर्क नहीं था। अलमारी की एक शीशेवाली आँख के लिए मैं केवल इतनी–सी थी। अब सिर्फ एक पाँव उठाना और अंदर आना बाकी था। मैंने ऐसा ही किया। मैं बैठ गई थी कुछ लिफाफों के ऊपर, जिनमें ऊन के गोले रखे थे और बंद जगह में मुझे सुनाई देने लगी अपनी गूंजती सांस।

जब अक्ल अकेली पडती है वह प्रार्थना करना शुरु कर देती है। यह अक्ल का अपना स्वभाव है। 'मेरे फरिश्ते, मेरी रक्षा करने वाले'–मैंने अपने फरिश्ते को देखा और उसकी शक्ल इतनी खूबसूरत थी कि वह जरूर मृत हुई होगी, 'मेरे पास हमेशा रहा.....'– उसके मोमनुमा पंख प्यार से मेरे आस–पास की सारी जगह घेर रहे थे। 'सवेरे'–कॉफी की खुशबू और खिड़कियों का उजाला जो नींदभरी आँखों को जख्मी कर रहा था, 'शाम को' –गतिहीन होता हुआ समय जब सूरज डूबता है, 'दिनभर'–एक तरफ से केवल होना और दूसरी तरफ तजुर्बा, शोर, गति, लाख–लाख बेमतलब काम, दोनों पक्ष एक से हो जानेवाले, 'रात को'–बेबस, अकेला शरीर अंधेरे में, 'हमेशा मेरी मदद करो'–कगार के किनारे पर चलते बच्चों की सुरक्षा करता हुआ फरिश्ता। 'मेरी आत्मा और मेरे शरीर की रक्षा करो'–गत्ते के डब्बे जिनके ऊपर लिखा है 'सावधानी से' नाजुक। और 'मुझे ले चलो अनंत की जिंदगी तक आमीन'–नीम अंधेरे में टंगी ड्रेस।

तब से अलमारी मुझे रोज अपने अंदर ले जाया करती थी, वह हमारे सोने के कमरे की एक बड़ी–सी कूपीनुमा वस्तु बन चुकी थी। पहले मैं उसमें दोपहर के बाद बैठा करती थी जब अर. घर पर नहीं होता था। उसके बाद मैं सवेरे–सवेरे जरूरी काम निबटा देती थी, बाजार से सामान ले आती थी, कपड़े धोने के लिए वाशिंग मशीन में डाल देती थी, फोन से बात कर लेती थी और अलमारी के दरवाजे अपने पीछे बंद करके उसके अंदर बैठ जाती थी। अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता था कि दिन के कितने बजे हैं, वर्ष की कौन–सी ऋतु चल रही है, सन कौन–सा है। हमेशा रेशम–सा माहौल था। मै अपनी सांस से अपनी भूख पूरी कर लेती थी।

एक वक्त ऐसा हुआ कि मैं रात को कोई सांस घुटने वाला सपना देखते–देखते जग गई और मुझे आदमी की तरह अलमारी की जरूरत महसूस हुई। अपने अपने हाथ और टांगें अर. के शरीर के साथ उलझानी पड़ीं, मुझे उसको जोर से पकड़ना पड़ा ताकि मैं अपनी जगह से हिल न जाऊं। अर. सपने में कुछ बोल रहा था, पर उसके शब्दों में कोई तुक नहीं थी। आखिरकार एक रात मैंने उसे जगा दिया था। वह गर्म बिस्तर नहीं छोड़ना चाहता था। मैंने उसको खींचा औ रहम अलमारी के सामने खड़े हो गए थे। उस अपरिवर्ती, ताकतवाली और बहकावा देनेवाली अलमारी के सामने। मैंने चिकने हैंडल को छुआ और अलमारी हमारे सामने खुल गई। उसके अंदर पूरी दुनिया के लिए काफी जगह थी। अंदर वाला शीशा हम दोनों की आकृतियां अंधेरे से निकालकर प्रतिबिंबित कर रहा था। हमारी सांसें पहली रुकतीं और फूलती हुईं, बाद में साथ–साथ चलने लगी थीं और हम दोनों में कोई फर्क नहीं था। हम दोनों आमले–सामने अलमारी के अंदर बैठ गए। हमारे चेहरे टंगे हुए कपड़ों के पीछे छुप गए। अलमारी ने अपने दरवाजे बंद कर दिए। इस तरह हम इसके अंदर रहने लगे थे।

शुरु में अर. बाहर चला जाता था, कभी कुछ खरीदने, कभी काम पर। पर बाद में इतना भी करना मुश्किल होने लगा। अब दिन लंबे होते जा रहे हैं। कभी सड़कों से खान के मजूदरों के वाद्य–वृंद की धीमी आवाजें आती रहती हैं। सूरज गायब होता है और वापस लौटता है और खिड़कियां उसे अंदर खींचने के लिए बेकार कोशिशें करती रहती हैं। फर्नीचर, मेजपोश और सजावट की चीजों पर मोटी होती जाती मिट्टी की परत जमी जा रही है और हमारा फ्लैट सारे समय अंधेरे में रहता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था उड़ान भरने को तैयार

राजेश कुमार कर्ण*

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2024–25 तक देश को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का सपना देखा है। भारत आज अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों खासकर उद्योग, कृषि तथा बुनियादी सुविधाओं आदि में समृद्धि की स्थिति में है। भारत विश्व की जीडीपी का मात्र 3 प्रतिशत हिस्सा है किंतु वह विश्व की आर्थिक प्रगति में 7 गुणा ज्यादा योगदान कर रहा है। जितने भी सूक्ष्म आर्थिक मापदंड हैं– चालू खाता घाटा, राजकोषीय घाटा, महंगाई, ब्याज दर, एफडीआई अन्तर्वाह, विदेशी मुद्रा भंडार आदि, भारत आज सभी में अच्छा काम कर रहा है। कंपटीटिवनेस सूचकांक के अनुसार कारोबार की दुनिया में हमारी संभावनाएं बढ़ रही हैं। विश्व बैंक द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत की स्थिति में लगातार पांचवीं बार सुधार आया है। 190 देशों की सूची में भारत हाल ही में 14 पायदान चढ़कर 63वें स्थान पर पहुंच गया है। सरकार की कोशिश है कि अगले वर्ष वह 50वीं रैंकिंग हासिल करे। शहरीकरण, उपभोक्तावाद, आधुनिकीकरण तथा कारोबारी सुगमता बढ़ने से बाजार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारतीय बाजार में कारोबार में बढ़ती अनुकूलताओं के कारण वैश्विक कंपनियां भारत में अपने कदम तेजी से बढ़ा रही हैं। भारत से विकसित और विकासशील देशों के कई काम बड़े पैमाने पर आउटसोर्स हो रहे हैं। देश में बढ़ते हुए इनोवेशन, स्टार्टअप, डिजिटल अर्थव्यवस्था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कारण भारतीय बाजार का उत्तरोत्तर विस्तार होता गया है। भारत पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के पथ पर आगे बढ़ रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के रणनीतिक विनिवेश जैसे बड़े फैसलों और टैक्स, श्रम व बैंकिंग जैसे अहम सुधारों से भारतीय अर्थव्यवस्था निरंतर मजबूत हो रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर में गिरावट के बावजूद भारत विश्व भर में उच्च प्रदर्शन करने वालों में शामिल है।

पिछले वर्ष से पूरी दुनिया में मंदी है। इसके परिणामस्वरूप भारत में तिमाही जीडीपी के आंकड़ों के पांच प्रतिशत पर आ जाने को लेकर चिंता स्वाभाविक है। संयुक्त राष्ट्र ने भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर मौजूदा वित्तीय वर्ष 2019–20 में 5.7 प्रतिशत रहने और अगले वित्तीय वर्ष यानी 2020–21 में 6.6 प्रतिशत रहने का आकलन किया है। आज विश्व के सभी देश आर्थिक रूप से एक–दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक देश की मंदी शेष मुल्कों को प्रभावित करती है। ऐसे में पिछले वर्ष से चल रही वैश्विक मंदी का असर भारत पर पड़ना स्वाभाविक है। विश्व बैंक ने 2020 में वैश्विक विकास दर के 2.5% रहने का अनुमान जताया है। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की विकास दर गिरकर 1.4% और उभरती अर्थव्यवस्थाओं की विकास दर सुधार के साथ 4.1% रहने का अनुमान है। इस तरह विकास दर में सुस्ती वैश्विक प्रवृत्ति है। विश्व बैंक के अनुसार भारत में निजी स्तर पर कम उपभोग और पर्याप्त कर्ज की व्यवस्था न हो पाने से गतिविधियां थमी हुई हैं। तेल की बढ़ती कीमतों के कारण भी अर्थव्यवस्था की गति धीमी हुई है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव से मुद्रास्फीति बढ़ने की आशंका है। उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में वृद्धि दर पहले की अपेक्षा कम हुई है। वित्त वर्ष 2018–19 के मुकाबले 2019–20 में खनन, सार्वजनिक प्रशासन और रक्षा क्षेत्र के अलावा बाकी सभी क्षेत्रों में कम वृद्धि होने के आसार हैं। अर्थात, वर्ष 2019 अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर काफी चुनौतीपूर्ण रहा।

इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार ने पिछले कुछ महीनों में कई कदम उठाए हैं। 23 अगस्त 2019 को सरकार ने बजट में लगी अधिभार बढ़ोतरी का फैसला वापस ले लिया तथा सरकारी बैंकों की लिक्विडिटी बढ़ाने के के लिए बैंकों को 70 हजार करोड़ पूंजी देने की घोषणा की गई। साथ ही वाहन उद्योग को राहत देते हुए बीएस–चार वाहनों की रजिस्ट्रेशन की पूरी अवधि तक वैध करने की घोषणा की गई। 28 अगस्त 2019 को कोयला खनन कॉन्ट्रैक्ट मैन्यूफैक्चरिंग में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को मंजूरी दी गई; चीनी के निर्यात पर 6,268 करोड़ रुपए की सब्सिडी की घोषणा की गई; डिजिटल और प्रिंट मीडिया में 26 प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी देने के साथ–साथ एकल खुदरा ब्रांड में एफडीआई के नियमों में ढील दी गई। निश्चित तौर पर भारत को विदेशी निवेश की जरूरत है। कई सेक्टरों में प्राइवेट–पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल के जरिए

* *आशुलिपिक ग्रेड–II, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, सैक्टर–24, नौएडा*

आगे बढ़ा जा सकता है। 30 अगस्त 2019 को सरकार ने बैंकिंग सेक्टर की वित्तीय सेहत सुधारने के लिए 10 सरकारी बैंकों का विलय कर चार बड़े बैंक बनाने की घोषणा की। 19 सितम्बर 2019 को देशभर में कर्ज की आसान उपलब्धता के लिए 400 जिलों में ऋण मेला लगाने की घोषणा की गई तथा एमएसएमई को ऋण चुकाने के लिए छह महीने की राहत दी गई।

20 सितम्बर 2019 को सरकार ने आर्थिक वृद्धि दर को गति देने के लिए कॉरपोरेट टैक्स में कटौती की घोषणा की। कॉरपोरेट टैक्स 34.94 प्रतिशत (सेस, सरचार्ज समेत) से घटाकर 25.17 प्रतिशत कर दिया गया। घरेलू विनिर्माण कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया। भारत भी अब सबसे कम टैक्स दरों वाले देशों में शुमार हो गया है। इससे अब हम सबसे स्पर्द्धी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गए हैं। कॉरपोरेट टैक्स में कमी से भारत के बाजार की संभावनाएं बढ़ गई हैं। बढ़ते हुए भारतीय बाजार पर दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं। वित्त मंत्री द्वारा 5 नवम्बर 2019 को संकटग्रस्त रियल्टी क्षेत्र के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित बूस्टर पैकेज के तहत 25000 करोड़ रुपए के 'वैकल्पिक निवेश कोष' की स्थापना की घोषणा की गई जिसका उद्देश्य डेवलपर्स को अधूरी परियोजनाओं को पूरी करने के लिए फंड की व्यवस्था करना है ताकि खरीदारों को घरों की डिलीवरी सुनिश्चित हो सके। सरकार ने 10000 करोड़ रुपए इस फंड में डाल दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक की हालिया मौद्रिक नीति में कमर्शियल रॉयल्टी लोन लेने वालों के लिए बड़ा निर्णय किया गया है। उचित कारणों से हुई देरी पर अब लोन डाउनग्रेड नहीं होगा। अर्थात अगर कोई डिवेलपर उचित कारणों की वजह से कर्ज समय पर नहीं चुका पाता है तो उसके कर्ज को एक साल तक एनपीए घोषित नहीं किया जाएगा। रीयल्टी सेक्टर को इससे काफी राहत मिली है और कारोबारी जगत ने भी इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाई है।

आज जरूरत इस बात की है कि चिरस्थाई उपभोक्ता वस्तुओं, घरों और वाहनों की मांग बढ़ाई जाए। इस काम में बैंक एवं गैर–बैंकिंग कंपनियों की अहम भूमिका होती है। सरकार ने हाल के दिनों में इन्हें मजबूती देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इससे सरकारी बैंकों का एनपीए घट रहा है, वे भी मुनाफे की राह पर लौट रहे हैं और उनकी कर्ज देने की क्षमता बढ़ रही है। बैंकों का एनपीए 11% से घटकर 3.8% हो गया है। गैर–बैंकिंग कंपनियां भी आसान कर्ज उपलब्ध कराने लगी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बाजार में डिमांड बढ़ाने के लिए लगातार पांच बार रेपो रेट में कटौती किया जिससे रेपो रेट घटकर 5.15 प्रतिशत पर आ गया है। इसके परिणामस्वरूप बैंकों ने सभी तरह के कर्ज पर ब्याज में राहत दी है। इससे आम लोगों पर ईएमआई का बोझ कुछ हल्का हुआ है।

जीएसटी प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए सरकार लगातार उसमें बदलाव कर रही है। जीएसटी के लागू होते ही भारतीय अर्थव्यवस्था विकसित देशों की तर्ज पर नियमित एवं व्यवस्थित हो गयी है। जीएसटी से इंस्पेक्टर राज समाप्त हुआ है जो एक बड़ी उपलब्धि है। व्यापारियों के बिना भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना मुमकिन नहीं है। भरोसे की बहाली तभी होगी जब कारोबारियों की चिंताओं और आशंकाओं को सचमुच दूर किया जाएगा। घरेलू व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सरकार दुबई की तर्ज पर जल्द ही भारत में वार्षिक मेगा शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन करने जा रही है। इससे आर्टिफिशियल ज्वैलरी, टेक्सटाइल, लेदर एवं हस्तशिल्प क्षेत्र के व्यापारियों को खासकर फायदा होगा।

आर्थिक सुस्ती दूर करने और देश को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के दिशा में पहल करते हुए सरकार ने देश में पहली बार एक 'नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी)' तैयार की है जिसके तहत अगले पांच वर्षों में 102 लाख करोड़ रुपये की ढांचागत परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा। इससे रोजगार के बहुत सारे अवसर पैदा होंगे और जीवन सुगमता बढ़ेगी। पिछले वर्ष सरकार ने इसपर 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का वादा किया था। यह वादे से अधिक है। इसके साथ ही सरकार ने विदेशी निवेश को आमंत्रित करने के लिए मौजूदा रेलवे, ऊर्जा और हाईवे परियोजनाओं को अलग–अलग तरीकों से बाजार में उतारने का भी फैसला किया है। उम्मीद है कि ये परियोजनाएं देश की आर्थिक सुस्ती दूर करने में सहायक होंगे।

सरकार ने आर्थिक सुस्ती दूर करने के लिए पिछले कुछ महीनों में जो कुछ कदम उठाए हैं, उसका असर दिखने लगा है। शेयर बाजार लगातार नई ऊंचाई को छू रहा है। वजह साफ है कि बाजार आने वाले समय

में बेहतर आंकड़ों को लेकर आश्वस्त है। निवेशकों का विश्वास नहीं होता तो शेयर सूचकांक रिकार्ड ऊंचाइयों पर नहीं होते। इसके साथ सरकार आगामी बजट में मांग बढ़ाने के लिए कुछ बड़े उपायों की घोषणा कर सकती है। इसका फायदा सभी क्षेत्रों को होगा तथा रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बेरोजगारी दर को नीचे लाने के तेजी से प्रयास हो रहे हैं। सरकार स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए कई सहूलियतें दे रही हैं। सरकार स्वरोजगार के लिए लोगों का जरूरी कौशल का विकास कर रही है एवं मुद्रा योजना के जरिए उन्हें आसान दरों पर ऋण दे रही है। अगर लोगों को बड़े पैमाने पर नौकरी मिलनी शुरू हुई तो इससे आम उपभोक्ताओं में विश्वास और उत्साह पैदा होगा। जब एक आदमी स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ेगा, तो अपने जैसे ही अन्य लोगों को रोजगार मुहैया कराएगा। इससे किसी वेतनभोगी व्यक्ति की तुलना में स्वरोजगारशुदा आदमी देश की अर्थव्यवस्था और विकास में ज्यादा समग्र भागीदारी निभा पाएगा। ज्यादा लोगों की आय में वृद्धि होगी, इससे उनकी क्रयशक्ति बढ़ेगी और मांग व आपूर्ति के सिद्धांत का पहिया धीरे–धीरे आर्थिक विकास को गति देगा।

भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ अच्छी बात यह है कि इसके फंडामेंटल्स मजबूत हैं। इसलिए इस बात की पूरी उम्मीद है कि अगली तिमाहियों में रिकवरी हो जाए। सरकार एक–एक सेक्टर को सामने रख स्थिति का आकलन कर रही है। सरकार ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई ढांचागत सुधार शुरू किए। इनमें वस्तु और सेवा कर अर्थात जीएसटी के माध्यम से एकीकृत बाजार का सृजन (जिससे करोबार करना सुगम हुआ), दिवालिया संहिता (आईबीसी) लागू करना, 433 स्कीमों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश व्यवस्था को खोलना और कारोबारी सहूलियत देना प्रमुख है। पिछले कुछ महीनों में केन्द्र सरकार की ओर से आर्थिक माहौल को मजबूती देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं जिससे निवेशकों एवं ग्राहकों का मनोबल बढ़ेगा। इसका सकारात्मक असर आने वाले समय में दिखेगा। वित्त मंत्री ने संकेत दिए हैं कि ऐसे कदम आगे भी उठाए जाएंगे। बेहतर हो कि ये कदम ऐसे हों जिससे उद्योग जगत कहीं अधिक सक्षम और प्रतिस्पर्धी बन सके। निस्संदेह इसके लिए उद्योग जगत को खुद भी सक्रिय होना होगा, उसे अपने बलबूते आगे बढ़ने की क्षमता अर्जित करनी होगी वहीं सरकार को इसके लिए बेहतर अनुकूल माहौल बनाना होगा।

उद्योगपतियों की समस्याओं को जानने के लिए वित्त मंत्री के साथ–साथ खुद प्रधानमंत्री भी उनसे मुलाकात कर रहे हैं। मोदीजी ने पिछले दिनों बड़े उद्योगपतियों के साथ बैठक में कहा है कि भ्रष्टाचार विरोधी कानून कॉरपोरेट को परेशान करने के लिए नहीं है। शायद इससे उद्योगपतियों में अपेक्षित भरोसा जगे। एकदम से खुला खेल फरुखाबादी नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। वह इन मुलाकातों में और अन्यत्र भी इस बात को लगातार रेखांकित कर रहे हैं कि अगले पांच वर्षों में देश पांच ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल कर लेगा। इस लक्ष्य को लेकर प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता के बाद इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि भारतीय अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियर डॉलर के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए कम से कम 8–9 प्रतिशत सालाना विकास दर हासिल करनी होगी। इसके लिए सरकार को आर्थिक माहौल को सुधारने को अपनी प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर रखना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि आर्थिक हालात में सुधार के उपाय जमीन पर असर करते हुए दिखें। ऐसा करके ही देश को पांच ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को हासिल किया जा सकेगा।

इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अनुसार यदि औद्योगिक विकास की राह में रोड़े बन रहे इन बातों पर सरकार सार्थक कदम उठा ले तो उत्पादन के क्षेत्र में व्यापक

सुधार देखने को मिलेगा– सरकार द्वारा विभिन्न स्तर के औद्योगिक फोरमों को प्रभावी बनाना, औद्योगिक क्षेत्रों को अविलंब फ्री–होल्ड करना, उद्योगों के लिहाज से विद्युत दरों को तर्कसंगत बनाना, मूलभूत सुविधाओं में सुधार करना, वित्तीय संस्थाओं को उद्योगोन्मुख बनाना, टैक्स दरों में कमी व श्रम कानून को सरल करना आदि। जरूरी केवल यह ही नहीं कि सरकार मौजूदा हालात से निपटने के लिए केवल हर संभव उपाय करती हुई दिखे, बल्कि उद्योग जगत की समस्याएं हल होती हुई भी दिखनी चाहिए। इससे ही उद्योग जगत के साथ–साथ आम आदमी में भी अर्थव्यवस्था के प्रति भरोसा पैदा होगा।

अब लंबित सुधारों को आगे बढ़ाने में और देरी नहीं होनी चाहिए। निःसंदेह यह भी समय की मांग है कि सरकार श्रम कानूनों में बदलाव की दिशा में आगे बढ़े। हमारे श्रम कानून आर्थिक गतिविधियों के माकूल नहीं हैं। अभी राज्य और केन्द्र के 44 श्रम कानून हैं। द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों के अनुरूप श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार इन कानूनों को मजबूत करने, उत्पादकता बढ़ाने, फर्जीवाड़ा रोकने, बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने एवं बेहतर कार्यान्वयन के लिए इन 44 कानूनों को मिलाकर चार श्रम संहिताएं बनाने का फैसला पहले ही ले चुकी है। पहली संहिता 'मजदूरी संहिता विधेयक, 2019' अधिसूचित हो गया है। मजदूरों के हित में कई प्रावधान इस कानून में शामिल किए गए हैं। देश में कामगारों को न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने, महिलाओं को पुरुषों के समान मजदूरी का प्रावधान कर लैंगिक भेदभाव को खत्म करने, समय पर मजदूरी देने एवं वेतन विसंगति की शिकायत करने की प्रक्रिया को सरल एवं दावा करने की समयसीमा को एक साल से बढ़ाकर तीन साल करने की संवैधानिक व्यवस्था की गई है। उम्मीद है कि अन्य तीन संहिताएं– कोड ऑन ऑक्युपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस बिल, 2019; इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, 2019; तथा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2019 भी यथाशीघ्र अधिसूचित होंगी। ये सभी संहिताएं ट्रेड यूनियनों, नियोक्ताओं और अन्य सभी हितधारकों के साथ व्यापक विचार–विमर्श के बाद बनाई गई हैं। इन संहिताओं से लगभग 50 करोड़ कामगार लाभान्वित होंगे।

अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वार का असर भारत पर भी पड़ा है। किंतु अच्छी बात यह है कि दोनों के बीच समझौता हो गया है। ट्रेड वार खत्म होने से भारत को फायदा होगा। वर्ष 2008 की वैश्विक मंदी के बाद दुनिया के 100 देशों ने औद्योगिक नीति लागू की है, लेकिन भारत में यह नीति लागू नहीं हो सकी है। भारत में केवल औद्योगिक नीति से काम नहीं चलेगा, इसके साथ रोजगार नीति भी बनाने की जरूरत है। बड़ी तादाद में भारतीय युवा काम नहीं कर रहे हैं। युवा पीढ़ी को बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त कर गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं तलाशनी चाहिए, माडर्न सर्विस सेक्टर में रोजगार के अवसर खुल रहे हैं। अन्य सेक्टर में भी रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं और हो रहे हैं। औपचारिक क्षेत्र में रोजगार सृजन में 9% से ज्यादा का उछाल आया है। उम्मीद है कि अगले साल देश का नॉमिनल ग्रोथ रेट ज्यादा होगा। यानी मार्केट रेट के अनुसार अर्थव्यवस्था का विस्तार होगा। ऐसे में बाजार में नौकरियां आएंगी और पहले की तुलना में ज्यादा आएंगी। हमें महिलाओं के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करने होंगे। भारत में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना बहुत ही लाभकारी साबित हो सकता है। कुछ वर्ष पहले मैकिजी ग्लोबल ने अपने एक अध्ययन में दावा किया था कि अगर भारत अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी के लिए समान अवसर पैदा कर सके तो वह वर्ष 2025 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद में 60 प्रतिशत तक वृद्धि कर सकता है। वर्तमान में भारत में महिलाओं का आर्थिक योगदान मात्र 17 प्रतिशत है, जो विकसित या कई विकासशील देशों की तुलना में काफी कम है। यदि औपचारिक अर्थव्यवस्था में महिलाओं को पुरुषों के समान अवसर दिए जाएं तो देश की अर्थव्यवस्था और सुदृढ़ होगी और वर्ष 2025 तक भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला देश बनाने के महात्वाकांक्षी लक्ष्य को पूर्ण करने में भी मदद मिलेगी।

रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के सरकार को विभिन्न क्षेत्रों में एफडीआई को और अनुमति देनी चाहिए। बेरोजगारी दूर न होने से देश के लोगों में चिंता बढ़ रही है। रोजगार कम होने से बाजार में माल की मांग कम है। इसलिए रोजगार उपलब्ध कराने के लिए श्रम प्रधान उद्योगों को बढ़ावा देना होगा। ऐसी नीतियां बनानी होंगी कि उद्योगपति श्रम उन्मुख उत्पादों के क्षेत्र में आगे आ सकें। सुस्त अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ाने की तमाम कोशिशों के बावजूद सरकार को बहुत सफलता नहीं मिली है। अर्थव्यवस्था में रफ्तार लाने और उच्च विकास दर हासिल करने के लिए सरकार को कई मोर्चों पर काम करना होगा।

किसी समस्या को हल करने की दिशा में पहला कदम उस समस्या को मानने की जरूरत होती है। बजट इस समस्या को मानने का अच्छा मौका है। आर्थिक खपत में आयी कमी के कारण आर्थिक सुस्ती आई है। इसके लिए

जरूरी है कि सरकार लोगों के हाथों में ज्यादा पैसा दे। यदि सरकार आयकर में कटौती करती है या आयकर में जो अलग–अलग किस्म की छूट और डिडक्शन मिलते हैं, इनमें वृद्धि करती है तो इससे आयकर देने वालों के हाथों में ज्यादा पैसा आएगा और वे ज्यादा पैसा खर्च कर सकेंगे। इससे अन्य लोगों की आय बढ़ेगी। एक आदमी का खर्च किसी और आदमी की आय होता है। जब इन लोगों की आय बढ़ेगी तो इनके खर्च करने की क्षमता बढ़ जाएगी। निजी खपत में वृद्धि होने से सरकार माल और सेवा कर से ज्यादा पैसे कमा सकती है और आयकर से हुई कम आमदनी की भरपाई कर सकती है। सरकारी खर्च बढ़ाने के लिए राजस्व बढ़ाना जरूरी है। सरकार विनिवेश से जरूरी रकम जुटाकर उन क्षेत्रों पर खर्च बढ़ाए जहां ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो। जीडीपी का पांच प्रतिशत हिस्सा अयोग्य सब्सिडी पर खर्च हो जाता है। इसे बचाने से खर्च के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध हो सकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर अभी भी कम खर्च हो रहा है। इनमें से प्रत्येक को जीडीपी का कम से कम एक प्रतिशत अतिरिक्त धन मुहैया कराया जा सकता है। बड़े पैमाने पर पूंजी लगाने के साथ टैक्स संबंधी प्रोत्साहन देने से भी मांग में तेजी आएगी।

सितंबर 2019 में कॉरपोरेट टैक्स में कटौती की गई थी जिससे कंपनियों के हाथ में निवेश के लिए काफी रकम आ चुकी है किंतु आम आदमी के हाथ में क्रय शक्ति न होने से बाजार में मांग के अभाव में उद्यमी अपेक्षित निवेश नहीं कर पा रहे हैं। निवेश धीमा होने से नई नौकरियां पैदा नहीं हो रहीं और पुरानी नौकरियों में वेतन वृद्धि धीमी है। इससे उपभोग घट रहा है और अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ गई है। मांग बढ़ाने का एक उपाय यह है कि सरकार अपना पूंजीगत खर्च बढ़ाए। आम आदमी की क्रयशक्ति बढ़ाने वाले बुनियादी ढांचे में सरकार निवेश करे तो अर्थव्यवस्था को गति मिल सकती है।

सरकार दीर्घकालिक असर वाले कदमों के साथ तात्कालिक प्रभाव वाले कदम भी उठाए। टैक्स व्यवस्था की जटिलताएं अभी भी उद्योग–व्यापार जगत को परेशान कर रही है। हमारे यहां ब्याज दरें भी बाकी देशों से ज्यादा हैं। पुलिस और न्यायिक सुधार जरूरी हैं। इसमें दोराय नहीं कि जिन देशों में न्याय शीघ्र और आसानी से उपलब्ध होता है वहां अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। सरकार को इन जरूरतों की पूर्ति करनी चाहिए। सरकार ने इसके लिए भरसक प्रयास किए हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था निर्धारित नियमों से चले और तय लक्ष्यों की ओर बढ़े। इसके संकेत दिए जा रहे हैं कि आगामी बजट में सरकार आर्थिक माहौल को बेहतर बनाने के लिए कुछ और कदम उठाने जा रही है। सरकार को इन्फ्रास्ट्रक्चर, आवास, टेक्सटाइल, पर्यटन आदि ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां सरकार अगर अपना फोकस बढ़ाए तो अर्थव्यवस्था में तेजी पैदा की जा सकती है। आज हमारे कई पड़ोसी देश केवल सरकारी प्रोत्साहन मिलने से टेक्सटाइल के क्षेत्र में दुनिया के बाजार में हमसे आगे निकल रहे हैं। एमएसएमई, शिक्षा, कौशल आदि के क्षेत्र में यदि सरकार विशेष प्रोत्साहन दे तो नतीजे काफी अनुकूल हो सकते हैं। रीयल्टी सेक्टर की तरह दवाब झेल रहे एमएसएमई सेक्टर के लिए भी सरकार 25 हजार करोड़ का एक फंड बनाए जिससे उन्हें गिरवी–मुक्त फंड दिया जा सके। किसी अर्थव्यवस्था में नौकरियां तभी बढ़ती हैं जब छोटी कंपनियों का दायरा बड़ा होता है। भारत में अमूमन छोटी कंपनियां छोटी रह जाती हैं या और सिकुड़ जाती हैं। शेयर बाजार में सिर्फ छह हजार कंपनियां सूचीबद्ध हैं। जबकि देशभर में करीब छह करोड़ माइक्रो कंपनियां काम करती हैं। उनकी स्थिति ठीक नहीं है। अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए इन कंपनियों पर विशेष ध्यान देना होगा। एमएसएमई सेक्टर को और ज्यादा राहत देने की जरूरत है।

निर्यात एवं रोजगार में कमी ने भी समस्या बढ़ाई है। निर्यात बढ़ाने तथा रोजगार उपलब्ध कराने में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान होता है किंतु भारत में इस सेक्टर की बजाय सर्विस सेक्टर का ज्यादा विकास हो रहा है। निवेश को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास की गति को तेज करने तथा देश को 'मैन्युफैक्चरिंग हब' बनाने के लिए केन्द्र सरकार ने वर्ष 2015 में 'मेक इन इंडिया' अभियान की घोषणा की थी जिसके अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने के लिए सुरक्षा, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल, केमिकल, रेलवे, लेदर, टेक्सटाइल्स एवं आईटी, बंदरगाह, एविएशन, जैसे 25 क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इन चुने हुए क्षेत्रों में भारत आगे चलकर मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से दुनिया भर में अगुआ देश बन सकता है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार ने काफी प्रयास किया है, निवेशकों के लिए लाल–फीताशाही की समाप्ति, नियमों की जटिलता एवं बोझ कम करने की कोशिश की जा रही है ताकि अधिक निवेश आकर्षित किया जा सके। 'मेक इन इंडिया' की कोशिश है कि भारत एक आत्मनिर्भर, निर्यातक एवं बेरोजगारीरहित देश बने। 'मेक इन इंडिया' अभियान निश्चित रूप से औद्योगिक क्षेत्र में एक आशा की एक नई किरण लेकर आया है। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स इस समय पिछले आठ साल के सबसे ऊंचे स्तर

पर पहुंच गया है अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था विस्तार की ओर अग्रसर है। मैन्युफैक्चरिंग में दिख रही बढ़त यह बता रही है कि अर्थव्यवस्था ने पटरी पर लौटना शुरू कर दिया है, अब जरूरत इसको गति देने की है।

भारत में पर्यटन क्षेत्र में जीडीपी के लगभग दस प्रतिशत के बराबर योगदान की संभावनाएं हैं। भारत पर्यटन क्षेत्र में तमाम उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है क्योंकि भारत के पास पर्यटकों को लुभाने के लिए प्राकृतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक विरासत पहले से ही मौजूद है। भारतीय संस्कृति, यहां का रहन–सहन, पहनावा, परंपराएं एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थल, मनमोहक दृश्य हमेशा से ही पर्यटकों को लुभाते रहे हैं। इससे अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है तथा करोड़ों लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल सकता है। इसी के मद्देनजर पर्यटन स्थलों पर इंतजाम को बेहतर किया जा रहा है। पर्यटकों के आगमन, परिवहन, आवास, खानपान, खरीदारी, मनोरंजन और सुरक्षा की पूरी प्रक्रिया बेहद पेशेवर तरीके से सुधारी जा रही है ताकि इन अवसरों को भुनाया जा सके। भारतीय पर्यटन क्षेत्र के विकास में 'अतुल्य भारत', 'वीजा ऑन अराइवल' नीति के साथ–साथ 'स्वच्छ भारत अभियान' ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश–विदेश से आने वाले पर्यटकों की बढ़ती संख्या के कारण आज भारतीय पर्यटन एक बड़ा सेवा उद्योग बनकर उभरा है। भारत में पर्यटन क्षेत्र के और ज्यादा विकास की आवश्यकता है। हम पर्यटन का बेहतर विकास कर दुनिया के निवेशकों से लेकर पर्यटकों तक को आकर्षित कर सकते हैं। उम्मीद है कि आगामी कुछ वर्षों में भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या में और भी वृद्धि होगी और 'अतिथि देवो भवः' की भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में फैलेगी और यह निश्चित तौर पर अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी उत्प्रेरक साबित होगी।

ग्रामीणों को एक न्यूनतम लेकिन गारंटीयुक्त आय जरूरी है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ज्यादा मजबूत बनेगी। ग्रामीण विकास गरीबी को तीन गुणा अधिक गति से कम करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज करने का एकमात्र रास्ता ग्रामीण क्षेत्र में खपत बढ़ाना है। सरकार को ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, मनरेगा और किसान सम्मान निधि पर बजट आबंटन बढ़ाना चाहिए। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में मांग बढ़ेगी जो छोटी कंपनियों को पटरी पर लाने में मदद करेगा। चंद लोगों में आय का वितरण करने की बजाय करोड़ों लोगों की हाथों में धन पहुंचाने की व्यवस्था करना ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। आर्थिक विकास के साथ आम आदमी को आर्थिक रूप से समृद्ध यानी सशक्त बनाना भी जरूरी है। सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से यह कर भी रही है। यदि इस योजना का विस्तार कर हर गरीब को 6000 रुपए सालाना दिए जाएं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के हाथों में धन आएगा और खर्च बढ़ेगा। सुस्त होती अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में धन का प्रवाह बढ़ाना जरूरी है। मांग बढ़ाकर इस सुस्ती को मात दी जा सकती है। चूंकि खपत का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण उपभोग पर निर्भर है तो उसमें निवेश बढ़ाकर इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजना निर्णायक साबित हो सकती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में ग्रामीण बाजार की मांग को सहारा देने की भरपूर क्षमता है। आर्थिक सुस्ती से निकलकर पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का सपना ग्रामीण भारत में बसने वाली 65% आबादी के आर्थिक सशक्तीकरण से ही संभव है।

चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव ये भरोसा दिलाती है कि खुद के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी गति देने की इसमें कूवत है। सरकार पेशेवर तरीके से काम कर रही है और अर्थव्यवस्था का शीघ्र ही कायाकल्प कर देगी। यहां निवेश को लेकर जबरदस्त माहौल है। भारतीय अर्थव्यवस्था उड़ान भरने के लिए पूरी तरह तैयार है। मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर के अनुसार 'विकास दर जितनी नीचे आनी थी वह आ चुकी है। अब उसमें सुधार के संकेत दिखने लगे हैं। जिन 18 संकेतकों पर गौर कर रहे हैं उनमें 15 में सुधार दिखने लगा है। साथ ही अन्य 16 में से 11 संकेतकों में सुधार दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगले वित्त वर्ष में देश की विकास दर फिर से रफ्तार पकड़ सकती है।' हमलोग ज्यादा काम करके अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं और उस कमाई को खर्च करके भी देश की जीडीपी में बेहतर योगदान कर सकते हैं।

भविष्य से हमें काफी उम्मीदें हैं और हम तमाम लक्ष्यों पर नजर रखते हुए तेजी से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। उम्मीद है वर्ष 2020 तक हम व्यापार के क्षेत्र में सुगमता की दृष्टि से 50वें पायदान के आसपास आ जाएंगे, विश्व के अग्रिम स्टार्टअप वाले देश बन जाएंगे तथा वर्ष 2022 तक डिजिटल पेनेट्रेशन 95 प्रतिशत हो जाएगा एवं भारतीय उद्योग जगत का जीडीपी में योगदान 15 प्रतिशत से बढ़कर 25 प्रतिशत हो जाएगा। इससे अपेक्षित विकास होगा एवं रोजगार के अवसर सृजित होंगे। भारत अपने पेशेवर युवाओं के सहारे वर्ष 2030 तक विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनकर उभर सकता है।

वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा द्वारा हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन

राजभाषा हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नौएडा द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (कार्यालय), नौएडा के तत्त्वावधान में गुरुवार, 26 दिसम्बर 2019 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (कार्यालय), नौएडा के सदस्य कार्यालयों के लिए हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता शुरु करने से पहले संस्थान की ओर से डॉ. संजय उपाध्याय, वरिष्ठ फेलो ने सभी प्रतियोगियों का स्वागत करते हुए संस्थान द्वारा राजभाषा हिंदी में किए जा रहे कार्यों की संक्षेप में जानकारी दी और हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता में सफलता के लिए उन्हें अपनी शुभकामनाएं दीं।

श्री बीरेन्द्र सिह रावत, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक द्वारा प्रतियोगिता के संबंध में आवश्यक जानकारी देने और सभी प्रतियोगियों से अधिकाधिक काम हिंदी में करने के अनुरोध के पश्चात स्वागताध्यक्ष महोदय की आज्ञा से प्रतियोगिता शुरु की गयी। इस प्रतियोगिता में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (कार्यालय), नौएडा 18 सदस्य कार्यालयों से 37 प्रतियोगियों ने भाग लिया।

भारतीय
श्रम पुस्तिका

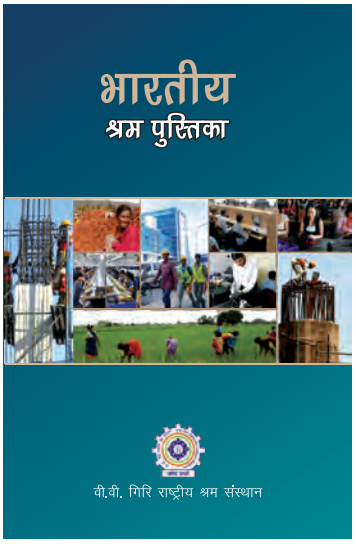

भारत विकास प्रक्रिया के एक बहुत महत्त्वपूर्ण मोड़ पर है। विगत कुछ वर्षों से हमारा देश विश्व की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभर रहा है। यह अत्यावश्यक है कि आर्थिक विकास के इन लाभों का वितरण न्यायपूर्ण ढंग से किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि विकास के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचें। इस संबंध में सबसे महत्त्वपूर्ण आवश्यकता, सभी के लिए गुणवत्ता वाला रोज़गार और श्रम मुद्दों का हल सुनिश्चित करना है, क्योंकि यह पहलू जनता की आजीविका से प्रत्यक्षतः जुड़ा हुआ है। श्रम के संबंध में देश अनेक और विविध प्रश्नों का सामना कर रहा है, जिनका विस्तार रोज़गार और अल्प–रोज़गार के बारे में सरोकारों से लेकर बाल श्रम का उन्मूलन करने के लिए कर्मकारों की सामाजिक सुरक्षा तक है। भारतीय श्रम मुद्दों की व्यापकता और विस्तार पर विचार करते हुए यह महत्त्वपूर्ण है कि इन मुद्दों का हल खोजने की प्रक्रिया में, बड़ी संख्या में सामाजिक साझेदारों तथा हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) को शामिल किया जाए। हितधारकों की रचनात्मक सहभागिता तभी संभव है, जब कि श्रम से संबंधित सूचना और विचारों को सुलभ बनाया जाए। इस परिप्रेक्ष्य में, वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने यह पुस्तिका प्रकाशित की है। इसमें भारत में श्रम के परिदृश्य के प्रमुख आयामों से संबंधित मूलभूत सूचनाओं को समेकित करने का प्रयास किया गया है। इसका आशय यह है कि सुसंगत सूचनाएं एक सरल और बोधगम्य तरीके से उपलब्ध कराई जाएं, जिससे इन्हें समाज के व्यापक तबके तक पहुंचयोग्य बनाया जा सके। इस पुस्तिका का विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराया जा रहा है।

स्वच्छ भारत अभियान
एक कदम स्वच्छता की ओर

स्वच्छ, साफ–सुथरा एवं गरिमामय बनने के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती।

आईये, जन भागीदारी के माध्यम से स्वच्छ भारत अभियान को एक उल्लेखनीय उपलब्धि बनाने हेतु मिलकर काम करें।

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान
नौएडा

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान श्रम एवं इससे संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा, प्रकाशन और परामर्श का अग्रणी संस्थान है। इस संस्थान की स्थापना 1974 में की गई थी और यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है। यह संस्थान विकास की कार्यसूची में श्रम और श्रम संबंधों को निम्नलिखित के द्वारा मुख्य स्थान देने के लिए समर्पित है:

- वैश्विक स्तर के अनुसंधानिक अध्ययनों और प्रशिक्षण हस्तक्षेपों को हाथ में लेना;
- कार्य की दुनिया में रूपांतरण के मुद्दे पर कार्रवाई करना;
- श्रम तथा रोजगार से संबंधित मुख्य सामाजिक भागीदारों तथा पणधारियों के बीच कौशल तथा अभिवृत्ति और ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना;
- विश्व प्रसिद्ध संस्थानों के साथ समझ निर्माण तथा सहभागिता विकसित करना।

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत निकाय)

सैक्टर 24, नौएडा–201 301
उत्तर प्रदेश (भारत)
वेबसाइट: www.vvgnli.gov.in